ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

16वी वार्षिक रिपोर्ट
और
वर्ष 2018–2019 के लिए

लेखापरीक्षित लेखे

ईपीसीईए की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां

श्री टी.डी. रवि, महानिदेशक ईपीसीएच को उद्घाटन समारोह के दौरान सम्मानित करते हुए

दाएं से बाएं : अध्यक्ष, राजस्थान सम्राट लिमिटेड, महानिदेशक ईपीसीएच एवं निदेशक (ईओएफआईऐक्स), उप-महानिदेशक, ओरियन्ट चैंट प्राइवेट, उप-महानिदेशक, ईपीसीएच और प्रबंधक, एक्सपो

पवेलियन का एक दृश्य

भारतीय पवेलियन में आगन्तुक

ईपीसीएच पवेलियन का उद्घाटन : दाएं से बाएं : डॉ. राजेश्वर कुमार, प्रथम सचिव (वाणिज्य), जापान में भारतीय राजदूतावास, श्री टी.डी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीएच एवं श्री आनन्द गिरि, उप-महानिदेशक ईपीसीएच

श्री टी.डी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीएच, डॉ. राजेश्वर कुमार प्रथम सचिव (वाणिज्य) एवं श्री आनन्द गिरि, उप-महानिदेशक ईपीसीएच मेले का भ्रमण करते हुए

ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

16वीं वार्षिक रिपोर्ट

तथा

लेखापरीक्षित लेखे

2018-19

सांविधिक लेखापरीक्षक	आंतरिक लेखापरीक्षक	बैंकर्स
मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार 221, दीन दयाल मार्ग नई दिल्ली -110002 दूरभाष : 011-23234052 फैक्स : 011-23230831 ई-मेल : tavand@vsnl.com	मैसर्स गर्ग प्रतीक एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार 400, 70/1/1, मंगोलपुरी मार्बल मार्केट, नई दिल्ली- 1100085 मोबाइल : 8860079394 ई-मेल : rateekgarg_21@yahoo.com	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 2692, डी. बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली- 110005 कारपोरेशन बैंक एम-41, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली- 110001

क्षेत्रीय विकास आयुक्त

डॉ. एल. बी. सिंघल
क्षेत्रीय विकास आयुक्त
नोएडा-एसईजेड

श्रीमती मीता राजीव लोचन, आईएएस
क्षेत्रीय विकास आयुक्त
सीप्ज-एसईजेड

श्री एम.के.एस. सुन्दरम
क्षेत्रीय विकास आयुक्त
एमईपीजेड-एसईजेड

श्री डी.वी. स्वामी, आईएएस
क्षेत्रीय विकास आयुक्त
कोचीन एसईजेड

डॉ. अमिय चन्द्रा
क्षेत्रीय विकास आयुक्त
कांडला एसईजेड

श्री बी. के. पाण्डा
क्षेत्रीय विकास आयुक्त
फाल्टा एसईजेड

श्री ए. राम मोहन रेड्डी
क्षेत्रीय विकास आयुक्त
विशाखापत्तनम एसईजेड

सन्देश : महानिदेशक

डी.वी. रवि, आईआरएस
महानिदेशक

प्रिय सदस्य,

हमें वर्ष 2018-19 के लिए 16वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है। जैसाकि आपको ज्ञात है कि ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) की स्थापना देश में निर्यातोन्मुख इकाइयों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों की निर्यात संवर्धनात्मक जरूरतों की सेवा के लिए जनवरी, 2003 में की गई थी। मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष है कि इस सेक्टर से, खासकर विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 के दौरान एसईजेड से निर्यात 5,81,033/- करोड़ रुपये का हुआ था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 7,01,179/-करोड़ रुपये का हो गया (यह वित्तीय वर्ष 2017-18 की समनुरूपी अवधि में हुए निर्यात से 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है)।

ईपीसीईएस ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अनुमोदित कार्रवाई के अनुरूप एमएआई स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों में प्रतिभागिता की तथा ओपन हाउस, संगोष्ठियों का सक्रिय आयोजन कराया है। हम भारत एवं विदेश में ईओयू एसईजेड स्कीमों का प्रचार करने के लिए अभी भी समान प्रक्रिया अपना रहे हैं ताकि अधिकतम निवेश आकृष्ट किया जा सके, अधिकतम रोजगार सृजित किया जा सके और इन स्कीमों से निर्यात में वृद्धि की जा सके। हम सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे भारत के अंदर एवं विदेशों में आयोजित किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करें और भारत सरकार तथा ईपीसीईएस द्वारा प्रदान कराई जा रही सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।

जीएसटी के महत्व को ध्यान में रखते हुए ईपीसीईएस भारत सरकार के संबंधित स्कन्धों के प्रमुख अधिकारियों के साथ संगोष्ठियों/ओपन हाउस बैठकों का आयोजन करती है ताकि अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखने के लिए सदस्यों को एक मंच प्रदान कराया जा सके। इसके अलावा, एसईजेड से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और उनके समाधान तथा आगामी कार्रवाई का सुझाव देने के लिए बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। ईपीसीईएस के सदस्य भी इस समिति के सदस्य थे। इस समिति ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार इस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

हम ईपीसीईएस के सभी सदस्यों को एक बार पुनः आश्वस्त करते हैं कि इस स्कीम का सुचारु संचालन होगा और सदस्यों से प्राप्त सभी समस्याओं पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जाएगा, ताकि उनका उपयुक्त स्तर पर समाधान किया जा सके।

ह./-
(डी. वी. रवि)
महानिदेशक

वर्ष 2018-19 के दौरान जारी ईपीसीईएस परिपत्र

क्र.सं.	परिपत्र संख्या एवं तारीख	विषय
1	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 285 दिनांक 12.04.2018**	- एडवांस/ईपीसीजी प्राधिकृतिकरणों के लिए निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) मॉनिटरिंग प्रणाली के संबंध में **दिनांक 4 अप्रैल, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 01/2018-2019 फाइल संख्या 01/94/180/361/ एएम18/पीसी-4** - **परिपत्र संख्या 40/14/2018-जीएसटी दिनांक 06 अप्रैल, 2018** – निर्यात के लिए बांड/वचनबंध प्रस्तुत करने के संबंध में सीबीआईसी स्पष्टीकरण। - **अधिसूचना संख्या 42/2018- सीमाशुल्क दिनांक 06 अप्रैल, 2018** – निरस्तीकरण अधिसूचना संख्या 07/2018- सीशु, 08/2018-सीशु, 19/2018 सीशु, 20/2018-सीशु। - माल के अंतर-राज्यीय आवागमन के लिए ई-वे बिल प्रणाली शुरू करने के संबंध में **प्रेस रिलीज** - वाणिज्यिक कर निदेशालय – पश्चिम बंगाल द्वारा जारी नोटिस। - पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एसईज़ेड यूनिट का जीएसटीआईएन में (पश्चिम बंगाल का) राज्य कोड 19 है, उसे अभी तक सक्षम नहीं बनाया गया है। इसलिए एसईज़ेड इकाइयों से/को उसी राज्य अर्थात पश्चिम बंगाल स्थित एसईज़ेड इकाइयों से/को माल को लाने/ले जाने के लिए ई-वे बिल नहीं बनाया जा सकता है। - **दिनांक 4 अप्रैल, 2018 का आदेश संख्या 5/2018-जीएसटी एफ.सं.2(60)/ पीसीसी- जीएसटी/2017/13-18** – डीजीएसटी/ सीजीएसटी अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 50/-लाख रुपये से अधिक के एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी एवं उपकर के प्रतिदाय के मामलों में अनुमोदन देने के लिए प्रतिदाय अनुमोदन समिति का पुनर्गठन।
2	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 286 दिनांक 18.04.2018**	- **दिनांक 11 अप्रैल, 2018 का व्यापार नोटिस संख्या 02/2018-2019 [फाइल संख्या 01/02/70/एएम-18/ईडीआई]** आइसगेट को आईईसी आवेदन पत्र की स्थिति एवं आईईसी घोषणा की स्थिति जानने के लिए सुविधा सृजित की गई है। वस्तु स्थिति की यह प्रथा डीजीएफटी को किए गए आईईसी प्रयुक्त पीएएन पर आधारित होती है। इस सुविधा तक पहुंच डीजीएफटी की वेबसाइट Online Application -> IEC -> Know your IEC से या सीधे http://164.100.128.145:8100/iecStatusReport/link. से प्राप्त की जा सकती है। - **दिनांक 13 अप्रैल, 2018 का परिपत्र संख्या 42/16/2018-जीएसटी** केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर और उनके कैनवैट क्रेडिट की वसूली के लिए प्रक्रिया के संबंध में। - **दिनांक 12 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना संख्या 10(6)2018-डीबीए-II/एनईआर** सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को मिलाकर बने पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों हेतु **पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास स्कीम, एनईआईडीएस-2017** की घोषणा की है। यह

		स्कीम दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी होकर दिनांक 31.03.2022 तक प्रभावी रहेगी। - **प्रेस रिलीज – अप्रैल 20 से राज्यान्तरिक ई-वे बिल प्रारंभ करना** – एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि माल के राज्यान्तरिक आवागमन पर ई-वे बिल प्रणाली को 20 अप्रैल, 2018 से बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड में क्रियान्वित किया जाएगा।
3	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 287 दिनांक 19.04.2018**	- **सरकार ने दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को अधिसूचना संख्या 21/2018-केंद्रीय कर** जारी की, एतद्द्वारा प्रतिदाय और विहित प्ररूपों के संबंध में सीजीएसटी नियमों में संशोधन किया।
4	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 288 दिनांक 26.04.2018**	- **दिनांक 23 अप्रैल, 2018 की प्रेस रिलीज** – ई-वे बिल के लिए "बिल-टू-शिप-टू" संबंधी स्पष्टीकरण। - **प्रेस रिलीज** – 25 अप्रैल से राज्यान्तरिक ई-वे बिल प्रारंभ करना। - **दिनांक 24 अप्रैल, 2018, परिपत्र संख्या 10/2018-कस्टम्स**-सीबीआईसी ने सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 के नियम-5 के संदर्भ में ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/बीटीपी द्वारा शुल्क का भुगतान किए बिना आयात करने के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया।
5	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 289 दिनांक 26.04.2018**	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, निर्यात संवर्धन महानिदेशालय ने दिनांक 24.04.2018 का परिपत्र संख्या 10/2018 – कस्टम्स जारी किया है जिसमें सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 के नियम 5 का अनुसरण करके ईओयू इकाइयों द्वारा शुल्क का भुगतान किए बिना आयात करने के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है।
6	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 290 दिनांक 07.05.2018**	1. जीएसटी परिषद ने नया रिटर्न भरने हेतु डिजायन को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया है जो 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा : § **प्रथम चरण** – रिटर्न दाखिल करने की मौजूदा प्रणाली अर्थात जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-1 अगले 6 महीनों की अवधि तक जारी रहेगा, जब तक रिटर्न दायर करने का नया सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा। जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 स्थगित बने रहेंगे। § **दूसरा चरण** – इस नए रिटर्न को सिस्टम में डाला जाएगा जिससे बीजक वार आंकड़े अपलोड करने और स्व-घोषणा आधार पर, यानी कि अनन्तिम आधार पर, आईटीसी का दावा करना आसान हो जाएगा, जैसाकि इस समय जीएसटीआर-3बी के मामले में है। § **तीसरा चरण** – चरण-2 के 6 माह पश्चात अनन्तिम क्रेडिट की सुविधा को वापस ले लिया जाएगा और इनपुट कर क्रेडिट विक्रेता द्वारा अपलोड की गई केवल उन बीजकों तक सीमित होगा जिनसे डीलर ने माल की खरीद की है। इसके अतिरिक्त, ऐसे संकेत भी है कि एक एकल रिटर्न प्रतिमाह को ध्यान में रखते हुए नए रिटर्न को अपेक्षित संघटक/सूचना को कम करके सरल

		बनाया जाएगा। 2. डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिषद ने बी2सी की गई उन आपूर्तियों पर जीएसटी दर में 2 प्रतिशत की रियायत (जहां आपूर्ति पर जीएसटी दर 3 प्रतिशत या उससे अधिक है) देने का प्रस्ताव किया है, जिनके लिए भुगतान चेक या डिजिटल मोड से किया गया है, परंतु यह सुविधा 100/-रुपये प्रति लेन-देन तक सीमित होगी। 3. परिषद ने जीएसटी के अंतर्गत एक नए उपकर अर्थात जीएसटी की दर के 5 प्रतिशत से बढ़कर "शुगर सेस" की उगाही करने का प्रस्ताव किया है, इसके अतिरिक्त, परिषद ने इथेनाल पर जीएसटी की दर कम करने की सिफारिश की है।
7	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 291 दिनांक 09.05.2018**	- **04 मई, 2018 को आयोजित जीएसटी परिषद की 27वीं बैठक** में लिए गए निर्णयों के महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करते हुए सूचना। - **दिनांक 04 मई, 2018 का परिपत्र संख्या 209/1/2018-सेवा कर, फाइल संख्या 137/26/2016-सेवा कर-भाग-V** सॉफ्टवेयर विकसित करने और सॉफ्टवेयर पर सेवाएं देने के संबंध में सेवा प्रावधान का स्थान नियम, 2012 (पीओपीएस) की अनुप्रयोज्यता।
8	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 292 दिनांक 17.05.2018**	**प्रेस रिलीज – राज्यान्तरिक ई-वे बिल** की शुरुआत – एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि माल की राज्यान्तरिक आवाजाही के लिए ई-वे बिल का क्रियान्वयन 16 मई, 2018 से असम में तथा 20 मई, 2018 से राजस्थान में किया जाएगा। - **दिनांक 14 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 22/2018-कस्टम्स** सरकार ने अक्तूबर, 2017 से अप्रैल, 2018 माह के लिए निर्धारित तारीख तक फॉर्म जीएसटीआर – 3बी में रिटर्न दाखिल न कर पाने की स्थिति में देय विलंब शुल्क से छूट उन पंजीकृत व्यक्तियों के लिए दी है जिनकी फॉर्म जीएसटी ट्रॉन-1 में घोषणा प्रस्तुत की गई थी परंतु जिन्होंने 27 दिसम्बर, 2017 तक या उससे पहले पोर्टल पर फाइल नहीं कर पाई थी। - **दिनांक 14 मई, 2018 की सार्वजनिक सूचना संख्या 09/2015-2020-डीजीएफटी** ने प्रक्रिया पुस्तिका के पैरा 4.07(i), पैरा 4.27 और पैरा 4.45(क)(iv) में संशोधन किया है।
9	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 293 दिनांक 24.05.2018**	- **दिनांक 18 मई, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 11/2018-19** इसे जनहित के प्रयोजन से और सुविधा के लिए डीलिंक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ई-एमपीएस के ज़रिए अनिवार्य डिजिटल भुगतान के लिए समय-सीमा बढ़ाकर 01.06.2018 कर दी गई है। - **दिनांक 18 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 23/2018-केंद्रीय कर** – भारत सरकार ने दिनांक 18 मई, 2018 की एनएन संख्या 23/2018 – केंद्रीय कर के तहत अप्रैल, 2018 से 22 मई, 2018 तक के माह के लिए जीएसटीआर-

		3बी दायर करने की निर्धारित तारीख बढ़ाने का निश्चय किया है।
10	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 294 दिनांक 31.05.2018**	- **दिनांक 22 मई, 2018 की सार्वजनिक सूचना संख्या 10/2015-2020 -** विदेश व्यापार महानिदेशक ने क्रियाविधि पुस्तिका 2015-2020 में संशोधन कर दिया और यह उल्लेख किया गया कि किसी वर्ष के दौरान ईपीसीजी के प्राधिकृतीकरण को पूरा करने के लिए औसत निर्यात दायित्व से किए गए अतिरिक्त निर्यात का प्रयोग किसी अन्य वर्ष (वर्षों) में निर्यात दायित्व अवधि या ब्लॉक अवधि में किए गए औसत निर्यात दायित्व में कमी को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि औसत निर्यात दायित्व समय आधार पर अनुरक्षित किया गया हो। - **दिनांक 25 मई, 2018 का परिपत्र संख्या 3/1/2018 –** आईजीएसटी सीबीआईसी ने सीमाशुल्क के बांडेड भांडागारों में जमा किए जाते समय आपूर्ति किए गए माल पर आईजीएसटी की अनुप्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। - **दिनांक 28 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 11/2018 –** केंद्रीय कर (दर) - केंद्रीय सरकार ने एक अनुषंगिक मुक्त अधिसूचना के तहत दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 4/2017-केंद्रीय कर (दर) में एक प्रविष्टि जोड़ी की है जो सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 9(3) के अंतर्गत माल की कुछ विहित आपूर्तियों पर प्रतिलोमित प्रभार से संबंधित है। - **दिनांक 29 मई, 2018 का परिपत्र संख्या 12/2018 - सीमाशुल्क** निर्यात पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के प्रतिदाय की मंजूरी के संबंध में यह प्रेक्षण किया गया है कि निर्यातकों ने जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी भरते समय गलतियां की हैं, निर्यात आपूर्तियों पर भुगतान किए गए आईजीएसटी की घोषणा त्रुटिवश घरेलू बाह्य आपूर्तियों पर भुगतान किए गए आईजीएसटी के रूप में की है, जीएसटीआर-1 में घोषित देयता की तुलना में आईजीएसटी का कम भुगतान किया है। इस मिसमैच के कारण जीएसटीएन से रिकार्ड सीमाशुल्क की ईडीआई प्रणाली में अंतरित नहीं हुआ। प्रतिदाय अवरुद्ध होने की समस्या का समाधान करने के लिए क्रियाविधि निर्धारित की गई है। - **दिनांक 30 मई, 2018 की प्रेस रिलीज** – स्पेशल रिफंड फोर्टनाइट - **दिनांक 30 मई, 2018 का परिपत्र संख्या 45/19/2018- जीएसटी** – उक्त परिपत्र में प्रतिदाय से संबंधित कुछ मुद्दों का स्पष्टीकरण दिया गया है।
11	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 295 दिनांक 02.06.2018**	आईजीएसटी प्रतिदाय से संबंधित मुद्दों पर सीमाशुल्क एवं जीएसटी अधिनियम के तहत क्रमशः (1) दिनांक 29.05.2018 का परिपत्र संख्या 12/2018-कस्टम्स और दिनांक 30.05.2018 का परिपत्र संख्या 45/19/2018-जीएसटी जारी किए गए हैं।
12	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 296 दिनांक 06.06.2018**	- **दिनांक 31 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या 25/2018-** किसी इनपुट सेवा वितरक द्वारा जुलाई, 2017 से जून, 2018 तक के माह के लिए फॉर्म जीएसटीआर-6 में रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई, 2018 कर दी गई है। - **31 मई, 2018 की प्रेस रिलीज –** यह अधिसूचित किया गया कि छत्तीसगढ़, गोआ, जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, ओडिशा और पंजाब राज्यों में ई-वे बिल प्रारंभ करने के लिए क्रियान्वयन की तारीख 1 जून, 2018, तमिलनाडु के

		लिए 2 जून, 2018; पश्चिम बंगाल के लिए 03 जून, 2018 है। - **30 मई, 2018 का परिपत्र संख्या 13/2018- सीमाशुल्क** सीबीआईसी ने शीघ्र खराब होने वाले/ताजा सब्जी निर्यात माल की रीफर कंटेनरों में फैक्टरी स्टफिंग और सीलिंग सीमाशुल्क अधिकारियों की मौजूदगी में करने का निर्णय किया है। - **दिनांक 30 मई, 2018 का परिपत्र संख्या 210/2/2018 – सेवाकर** इस परिपत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत गैर-सरकारी सेवा प्रदायकों (पीएसपी) द्वारा सरकार को प्रदान कराई गई रोगी वाहन सेवा पर सेवा कर की अनुप्रयोज्यता संबंधी स्पष्टीकरण दिया गया है। - **दिनांक 30 मई, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 14/2018-19** इस नोटिस में परियोजना निर्यात श्रेणी के अंतर्गत किए गए निर्यात के मामलों में लाभ प्राप्त करने के समक्ष आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात वे अध्याय 98 के अंतर्गत पोत-लदान बिल प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे, जिसमें अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है और उन्हें कम प्रोत्साहन वाले उत्पाद के विशिष्ट एचएस कोड के अंतर्गत दायर किया जाना अपेक्षित होता है। इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
13	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 297 दिनांक 11.06.2018**	- परिपत्र संख्या 47/21/2018 – जीएसटी – मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) द्वारा, उसके स्वामित्व वाली मोल्ड्स एवं डाईज, जो संघटक विनिर्माता को निःशुल्क (एफओसी) भेजी जाती हैं, उन पर कर वसूली योग्य होता है और क्या ओईएम को इस मामले में प्रतिलोमित इनपुट कर क्रेडिट अपेक्षित होता है, के प्रावधान का स्पष्टीकरण दिया गया है। - दिनांक 07 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या 10/2015-2020 – इस अधिसूचना के तहत, डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 6.08(ख) में संशोधन किया है।
14	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 298 दिनांक 15.06.2018**	- **दिनांक 06 जून, 2018 का परिपत्र संख्या 15/2018 – कस्टम्स** सीबीआईसी ने दिनांक 28/02/2018 तक फाइल किए गए शिपिंग बिलों के बीजक मिसमैच का समाधान निकालने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र का प्रावधान करते हुए दिनांक 23.02.2018 का परिपत्र संख्या 05/2018-कस्टम्स तथा 23/03/2018 का परिपत्र संख्या 08/2018-कस्टम्स जारी किए हैं। अधिकारी से मिलने की सुविधा दिनांक 30/04/2018 तक जारी किए गए शिपिंग बिलों पर प्रदान कराई गई है। - **दिनांक 07 जून, 2018 का व्यापार नोटिस संख्या 17/2018** अग्रिम के लिए एवं ईपीसीजी प्राधिकृतीकरण के लिए ईओडीसी आवेदनों का समाधान करने के लिए निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) शिविर का आयोजन दिनांक 11/6/2018 से 22/06/2018 तक निम्नलिखित आरए द्वारा किया जाएगा – मुंबई, चेन्नई, सीएलए नई दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, वडोदरा, पुणे, सूरत। - **07 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या 10/2015-2020** इस अधिसूचना से डीजीएफटी ने विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 6.08 (ख) में संशोधन किया है। - **दिनांक 14 जून, 2018 का परिपत्र संख्या 48/22/2018-जीएसटी** एसईजेड विकासकर्ता/यूनिट को प्रदत्त अल्पावधि सम्मेलन आयोजित करने, आवासन, कैटरिंग आदि अंतर या अंतरराज्य आपूर्ति के रूप में माना जाए, इस

		संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया है। क्या शून्य रेटिड आपूर्ति के लाभ एसईजेड यूनिट द्वारा किए गए सभी खर्चों जैसे इवेंट प्रबंधन सेवा, होटल एवं आवास सेवा, उपभोज्यों आदि सभी पर दिए जाने की अनुमति है। क्या टेक्सटाइल सेक्टर में स्वतंत्र फेब्रिक प्रोसेसर (जॉब कामगारों) को, जो जॉब वर्क सेवाएं प्रदान करते हैं, सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 54(3) के अंतर्गत प्रतिबंधित शुल्क संरचना के कारण प्रयोग न किए गए आईटीसी का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए तब भी पात्र माना जाए जब आपूरित माल (फेब्रिक्स) को एनएन-5/2017- केंद्रीय कर (दर) के तहत कवर किया जाता हो।
15	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 299 दिनांक 25.06.2018**	- **दिनांक 15 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या 3/2018 (फाइल संख्या 3(163)/पॉलिसी – जीएसटी/2018/298-307)**- दिल्ली में उद्गमित एवं दिल्ली के अंदर ही भेजी जाने वाली वस्तुओं (जो किसी अन्य राज्य से होकर न गुजरती हों) के आवागमन पर किसी तरह के ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी जबकि उनकी खेप का मूल्य 1,00,000/-रुपये से अधिक न हो। किसी पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति से किसी अपंजीकृत अंतिम उपभोक्ता को राज्यान्तरिक आपूर्ति पर, उनके साथ कर बीजक संलग्न होने पर किसी भी ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो। - **दिनांक 18 जून, 2018 का परिपत्र संख्या 19/2018 –कस्टम्स** –बोर्ड ने भंडागार में जमा करने तथा भंडागार से निकालने के लिए माल परिवहन हेतु आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) सीलिंग प्रदान करने का निर्णय किया है। आयातक या माल का स्वामी आरएफआईडी – वन टैम्पर वन-टाइम लॉक्स (आरएफआईडी-ओटीएल) का प्रयोग करेगा। चूंकि माल को विभिन्न प्रकार के वाहनों में हटाया जा सकता है इसलिए विभिन्न प्रकार के यथा-विहित आरएफआईडी – ओटीएल का प्रयोग किया जाएगा। - **दिनांक 19 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या 28/2018-केंद्रीय कर** उक्त अधिसूचना से सीजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन किया गया है।
16	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 300 दिनांक 30.06.2018**	- **दिनांक 20 जून, 2018 का व्यापार नोटिस संख्या 18/2018** – उक्त नोटिस में लिए गए उस संकल्प पर प्रकाश डाला गया है कि दिनांक 21 जून, 2018 से आयातक/निर्यातक को अपने आवेदन ई-मेल द्वारा import-dgft@nic.in (आयात लाइसेंस के लिए) पर अथवा export-dgft@nic.in (निर्यात लाइसेंस के लिए) पर प्रदत्त आवेदन शुल्क के प्रमाण सहित भेजना अपेक्षित है, जहां प्रतिबंधित मदों का आयात/निर्यात करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया हो। - **दिनांक 20 जून, 2018 की सार्वजनिक सूचना संख्या 14/2015-2020** महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा डीजीएफटी और अपने क्षेत्रीय प्राधिकारियों के कार्यालय पतों तथा उनके क्षेत्राधिकार में और विदेश व्यापार नीति के परिशिष्ट-1क के निजी एसईजेड में एतद्द्वारा संशोधन करते हैं। - **दिनांक 20 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या 13/2015-2020** – विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैराग्राफ 4.29 (VI) तथा (vii) में संशोधन किया गया है।

		- **दिनांक 29 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या 12/2018- केंद्रीय कर (दर) एवं अधिसूचना संख्या 13/2018-एकीकृत कर (दर)** – भारत सरकार ने अपनी उक्त अधिसूचना के तहत किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल और सेवाओं अथवा दोनों अंतर-राज्य और राज्यान्तरिक आपूर्तियों पर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(4) के तहत उद्ग्रहणीय समस्त केंद्रीय कर से अथवा आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 (4) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय एकीकृत कर से 30 सितम्बर, 2018 तक छूट देने का निश्चय किया है। इससे उक्त लेन-देनों पर प्रतिलोमित प्रभार को 30 सितम्बर, 2018 तक आस्थगित कर दिया गया है।
17	**ईसीसीईएस परिपत्र संख्या 301 दिनांक 09.07.2018**	- **दिनांक 21 जून, 2018 का परिपत्र संख्या 49/23/2018-जीएसटी** – उक्त परिपत्र में आवागमन के दौरान माल के निरीक्षण के लिए वाहन के अन्तरावरोधन और इस माल एवं वाहन के संसूचन, रिलीज एवं जब्ती के लिए क्रियाविधि संबंधी स्पष्टीकरण से संबंधित परिपत्र संख्या 41/15/2018-जीएसटी में संशोधन को बताया गया है। - **दिनांक 29 जून, 2018 की प्रेस रिलीज** – उक्त रिलीज में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) एवं स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) से संबंधित प्रावधानों को 30 सितम्बर, 2018 तक आस्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। - **दिनांक 03 जुलाई, 2018 की सार्वजनिक सूचना संख्या 17/2015-2020** – डीजीएफटी ने उक्त नोटिस से क्रियाविधि पुस्तिका का पैरा 3.24 जोड़ा है जिसमें विशिष्ट फार्मेट परिशिष्ट-3 में कोई प्रोत्साहन नहीं प्रमाणपत्र जारी करते समय संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि को विहित किया गया है।
18	**ईसीसीईएस परिपत्र संख्या 302 दिनांक 16.07.2018**	**दिनांक 09 जुलाई, 2018 का नीति परिपत्र संख्या 9/2015-2020** – यह परिपत्र अग्रिम प्राधिकरण का ईओडीसी अनुमोदन करने के लिए शिपिंग बिल की ईपी प्रति के स्थान पर शिपिंग बिल की कोई भी प्रति स्वीकार करने के संबंध में है।
19	**ईसीसीईएस परिपत्र संख्या 303 दिनांक 20.07.2018**	- **दिनांक 16 जुलाई, 2018 की प्रेस रिलीज – तीसरा प्रतिदाय पखवाड़ा** – सीबीआईसी ने प्रेस रिलीज डीओएफ संख्या 450/119/2017-कस्टम्स-IV दिनांक 16 जुलाई, 2018 को जारी की। जीएसटी के अंतर्गत प्रतिदाय की मंजूरी से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने 15 से 31 मार्च, 2018 तक और 31 मई से 16 जून, 2018 तक के दो स्पेशल ड्राइव-सह प्रतिदाय पखवाड़ा मनाने के उपरांत 16 जुलाई, 2018 से 30 जुलाई, 2018 तक "प्रतिदाय निपटान पखवाड़ा" शुरू करने के लिए एक प्रेस रिलीज जारी की। निर्यातकों को अपने प्रतिदाय दावे प्रोसेस कराने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ एवं हेल्पडेस्क प्रदान कराए जाएंगे। - **दिनांक 18 जुलाई, 2018 का परिपत्र संख्या 21/2018-कस्टम्स** – इस परिपत्र से आईजीएसटी प्रतिदाय से संबंधित मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए सीओ एवं एईपीसी के कार्यालयों में एक हेल्पडेस्क स्थापित करने का निश्चय किया गया है क्योंकि निर्यातकगण दूरी, सूचना का अभाव जैसे कई तथ्यों के कारण निर्यात के पत्तन पर स्थित सीमा शुल्क कार्यालय में पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। - **दिनांक 18 जुलाई, 2018 का आदेश संख्या एफ नम्बर 96/एसीटीटी/जीएसटी/**

		2018/391-93– ऐसा नोट किया गया है कि जीएसटीएन कॉमन पोर्टल पर सक्रिय नहीं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए करदाता लॉग इन करने और अपने देय प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं। इसके लिए मुख्य कारण यह पाया गया है कि मौजूदा करदाता का एनरालमेंट करने के लिए आवेदन पत्र का सत्यापन करने के दौरान ऑनलाइन एसएमएस जारी किए जाते हैं, उनकी करदाता द्वारा अनदेखी कर दी जाती है, जिसके कारण सिस्टम द्वारा बैक एण्ड से अनंतिम पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है। अत:, प्राधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे करदाता द्वारा प्रस्तुत जीएसटी आरईजी – 21 का विधिवत सत्यापन करने के उपरांत माइग्रेशन के इन सभी मामलों की बहाली करें। **दिनांक 18 जुलाई, 2018 का परिपत्र संख्या 22/2018-कस्टम्स** – इससे पूर्व सीबीआईसी ने सिस्टम निदेशालय द्वारा विकसित उपयोगिता के तहत कतिपय मामलों में एसबी003 त्रुटि का समाधान ठीक उसी तरह प्रदान कराया था जैसे दिनांक 06.06.2018 के परिपत्र संख्या 15/2018-कस्टम्स में एसबी005 त्रुटि के लिए प्रदान किया गया था। कई मामलों में निर्यातकों ने अपने शिपिंग बिलों में जीएसटीआईएन के स्थान पर पैनकार्ड का उल्लेख कर दिया था, जबकि जीएसटी रिटर्न दायर करते समय जीएसटीआईएन का सही-सही उल्लेख किया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि आईजीएसटी रिफंड दावे प्रोसेस नहीं किए जा सके। 30 अप्रैल, 2018 तक भरे गए शिपिंग बिलों के लिए बीजक मिसमैच (एसबी005 त्रुटि) का हल करने के लिए वैकल्पिक तंत्र की पेशकश करते हुए परिपत्र जारी किए गए हैं। बोर्ड ने इस समय चल रहे प्रतिदाय पखवाड़े के आलोक में दिनांक 30.06.2018 तक दायर किए गए शिपिंग बिलों के लिए परिशोधन सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया है। 8/2018-कस्टम्स परिपत्र में उल्लिखित अन्य त्रुटियों के मामले में अधिकारी अंतरशोधन के जरिए परिशोधन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
20	ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 304 दिनांक 23.07.2018	**जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक का आयोजन दिनांक 21 जुलाई, 2018 को** किया गया। उक्त बैठक में की गई प्रमुख सिफारिशों का विस्तृत ब्यौरा सदस्यों को प्रदान करा दिया गया है।
21	ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 305 दिनांक 23.07.2018	निर्यात संवर्धन महानिदेशालय, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक **23/07/2018 को परिपत्र संख्या 23/2018-कस्टम्स** यह सूचित करते हुए जारी किया कि आयात किए गए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम की खेप और आभूषणों के निर्यात के बीच एक-एक करके सह-संबंध स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है। तथापि, नामित एजेंसियों/निर्यातकों को शुल्क मुक्त स्वर्ण और घरेलू रूप से खरीदे गए शुल्क मुक्त स्वर्ण का लेखा-जोखा इस तरह से अनुरक्षित करना अपेक्षित होगा कि आभूषणों का निर्यात करने के प्रयोजन से प्राप्त शुल्क मुक्त स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम का हिसाब-किताब आभूषणों/मदों के निर्यात द्वारा स्पष्ट रूप से कर दिया गया।
22	ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 306 दिनांक 28.07.2018	**29 जुलाई, 2018 का कार्यालय ज्ञापन संख्या प्रधान सीसीए/सीबीईसी/जीएसटी – आईटीई-पीएओ रिफंड/33/2017-18/263-** इस कार्यालय ज्ञापन में

		सीबीआईसी की जीएसटी प्रतिदाय परामर्शी संख्या-2 को कवर किया गया है। उक्त परामर्शी दिनांक 16/07/2018 से 31.07.2018 तक प्रतिदाय पखवाड़े के दौरान जीएसटी प्रतिदाय की सुचारु एवं समय से प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों, प्राधिकारियों एवं संगठनों को जारी की गई है। - **दिनांक 23 जुलाई, 2018 का नीति परिपत्र संख्या 11/2015-20** यह परिपत्र संगठनों, जैसे जेआईसीए द्वारा विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैरा 8.2(घ) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं को आपूर्ति करने के लिए मांगे गए निर्यात लाभ देने से संबंधित है। - **दिनांक 21 जुलाई, 2018 की प्रेस रिलीज – जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक में की गई प्रमुख सिफारिशें** - **दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 14/2018-केंद्रीय कर (दर) –** इस अधिसूचना से अधिसूचना संख्या 12/2017 – केंद्रीय कर (दर) में संशोधन किया गया है ताकि कुछ आपूर्तियों को छूट प्रदान की जा सके। - **दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 17/2018- केंद्रीय कर (दर)** – इस अधिसूचना द्वारा अधिसूचना संख्या 11/2017 – केंद्रीय कर (दर) में संशोधन किया गया है। अधिसूचना संख्या 11/2017 – केंद्रीय कर (दर) की क्रम संख्या 3(vi) में अंतर्विष्ट स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि "बिजनेस" में केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई ऐसा क्रियाकलाप या लेनदेन शामिल नहीं होगा जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकारी के रूप में संलिप्त हों।
23	ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 307 दिनांक 03.08.2018	- **दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 22/2015-2020 –** केंद्रीय सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा संख्या 2.47 और 3.05 में संशोधन किया। - **30 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 30/2018 – केंद्रीय कर –** इस अधिसूचना के अंतर्गत सरकार ने जुलाई, 2017 से अगस्त, 2018 माह की जीएसटीआर-6 फाइल करने की देय तिथि 30 सितम्बर, 2018 तक बढ़ा दी है। - **दिनांक 31 जुलाई, 2018 का परिपत्र संख्या 50/24/2018-जीएसटी** – यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 08/01/2018- के परिपत्र तथा दिनांक 31.03.2018 के आदेश के द्वारा विभाग से किए गए स्पष्टीकरणों को दिनांक 26.07.2018 की अधिसूचना सं. 13/2018-केंद्रीय कर (दर) का संशोधन करके विधि के अंतर्गत नियमित किया गया है। - **दिनांक 31 जुलाई, 2018 का परिपत्र संख्या 51/25/2018-जीएसटी** – यह परिपत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकार को गैर-सरकारी सेवा प्रदायकों (पीएसपी) द्वारा प्रदान कराई गई रोगी वाहन सेवाओं के संबंध में जारी किया गया है।

24	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 308 दिनांक 07.08.2018**	**भारत सरकार ने दिनांक 06 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 22/2018-** केंद्रीय कर (दर) के तहत किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल और सेवाओं अथवा दोनों की राज्यान्तरिक आपूर्तियों पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(4) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय समस्त केंद्रीय कर से दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक छूट प्रदान की है।
25	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 309 दिनांक 13.08.2018**	- **दिनांक 06 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 22/2018- केंद्रीय कर (दर)** – भारत सरकार ने किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल और सेवाओं अथवा दोनों की राज्यान्तरिक आपूर्तियों पर केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(4) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय समस्त केंद्रीय कर से दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक छूट प्रदान की है। - **दिनांक 6 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 23/2018 – समेकित कर (दर)** – समन्वित माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (आईजीएसटी) के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल एवं सेवाओं अथवा दोनों की अंतर-राज्य आपूर्तियों पर आईजीएसटी की धारा 5(4) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय संपूर्ण समन्वित कर से छूट की अवधि 30 सितम्बर, 2019 तक बढ़ा दी गई है। - **दिनांक 08 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 24/2015-2020** - इस अधिसूचना के तहत केंद्रीय सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के आयातक-निर्यातक कोड के पैरा 2.05 में संशोधन किया है। इस अधिसूचना से पैरा 2.05 में सुधार किया गया और क्रियाविधि संबंधी विवरण को क्रियाविधि पुस्तक के पैरा 2.08 में अंतरित कर दिया गया। तत्काल संदर्भ के लिए उक्त अधिसूचना की प्रति संलग्न है। - **दिनांक 08 अगस्त, 2018 की सार्वजनिक सूचना संख्या 27/2015-20** – इस नोटिस से डीजीएफटी ने क्रियाविधि पुस्तिका के आयातक-निर्यातक कोड संबंधी पैरा 2.08 एवं 2.14 में संशोधन किया है।
26	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 310 दिनांक 16.08.2018**	निर्यात संवर्धन महानिदेशालय ने **दिनांक 14.08.2018 के परिपत्र संख्या 27/2018** के तहत एक स्पष्टीकरण जारी किया कि ईओयू को बैंक गारंटी/प्रतिभूति से छूट ईओयू द्वारा निष्पादित बी-17 बांडों के संबंध में सीबीआईसी द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों द्वारा शासित होती रहेगी और **दिनांक 8.12.2017 के परिपत्र संख्या 48/2017** द्वारा मार्गदर्शित नहीं होगी, जो सामान्य निर्यातकों को शासित करता है, न कि ईओयू को।
27	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 311 दिनांक 20.08.2018**	- **दिनांक 10 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 32/2018- केंद्रीय कर** – वित्तीय वर्ष 2017-18 अथवा 2018-19 में 1.5 करोड़ रुपये एआर से अधिक का औसत कारोबार करने वाले किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जुलाई,

		2018 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए मासिक जीएसटीआर-1 दाखिल करने की निर्धारित तारीख प्रत्येक उत्तरवर्ती माह की 11 तारीख तक बढ़ा दी गई है। - **दिनांक 10 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 33/2018- केंद्रीय कर –** वित्तीय वर्ष 2017-18 अथवा 2018-19 में 1.5 करोड़ आईएनआर तक का औसत कारोबार करने वाले किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जुलाई, 2018 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए तिमाही जीएसटीआर-1 दाखिल करने की निर्धारित तारीख अधिसूचित कर दी गई है। - **दिनांक 10 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 34/2018 – केंद्रीय कर –** सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए मासिक जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तारीख प्रत्येक उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख अधिसूचित की गई है। इसके अतिरिक्त, यह भी अधिसूचित किया गया है कि प्रत्येक माह के लिए कर ब्याज, अर्थदंड या शुल्क के भुगतान की देयता उक्त माह के लिए जीएसटीआर-3बी दायर करने की निर्धारित तारीख तक या उससे पहले जमा करा दिया जाना चाहिए। - **दिनांक 14 अगस्त, 2018 का परिपत्र संख्या 27/2018-कस्टम्स –** सीबीआईसी ने ईओयू द्वारा निष्पादित बांड के लिए बैंक गारंटी की जरूरत के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया है।
28	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 312 दिनांक 11.09.2018**	- **10 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 43/2018-केंद्रीय कर –** वित्तीय वर्ष 2017-18 या 2018-19 में 1.5 करोड़ आईएनआर से कम का औसत कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए जीएसटीआर-1 तिमाही रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित तारीख अधिसूचित कर दी गई है। - **दिनांक 10 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 44/2018 – केंद्रीय कर –** वित्तीय वर्ष 2017-18 या 2018-19 में 1.5 करोड़ आईएनआर से अधिक का औसत कारोबार करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए जीएसटीआर-1 मासिक रिटर्न दाखिल करने की निर्धारित तारीख 31 अक्तूबर, 2018 होगी। - **दिनांक 10 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 45,46 और 47/2018 – केंद्रीय कर –** उन करदाताओं के लिए, जिन्होंने दिनांक 06 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 31/2018 – केंद्रीय कर के अनुसार – माइग्रेशन के लिए विशेष स्कीम के अंतर्गत जीएसटीआईएन प्राप्त कर लिया है, जीएसटीआर-3बी फॉर्म भरने की निर्धारित तारीख 31 दिसम्बर, 2018 होगी। - **दिनांक 10 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 48/2018-केंद्रीय कर –**

		केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 का नियम 117, जो फार्म जीएसटी ट्रान-1 में क्रेडिट के ट्रांजीशन से संबंधित है, में उप-नियम (1क) अंतर्निविष्ट करके संशोधन किया गया है, जो ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के बारे में फार्म जीएसटी ट्रान-1 प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाने के लिए आयुक्त को अधिकार प्रदान करता है, जो कॉमन पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण निर्धारित तारीख तक उक्त घोषणा प्रस्तुत नही कर सका था।
29	ईसीआईसीईएस परिपत्र संख्या 313 दिनांक 14.09.2018	- **13 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 49/2018- केंद्रीय कर** – सरकार ने फार्म जीएसटीआर-9ग में जीएसटी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अधिसूचित कर दी है। - **दिनांक 13 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 50/2018 – केंद्रीय कर** – स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान को 01 अक्तूबर, 2018 से प्रभावी बना दिया गया है। - **दिनांक 13 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 51/2018 केंद्रीय कर** – इस अधिसूचना से उस तारीख अर्थात 01 अक्तूबर, 2018 का प्रावधान किया गया है, जब स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) का प्रावधान प्रभावी होगा।
30	ईसीआईसीईएस परिपत्र संख्या 314 दिनांक 20.09.2018	- **दिनांक 10 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 43/2018- केंद्रीय कर** – इस अधिसूचना के अनुसार जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए तिमाही जीएसटीआर-1 रिटर्न दाखिल करने की तारीख निर्धारित की गई है। - **दिनांक 10 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 44/2018- केंद्रीय कर** – इस अधिसूचना के तहत सरकार ने जीएसटीआर-1 दाखिल करने की तारीख निर्धारित की है। - **दिनांक 10 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 45, 46 और 47/2018 – केंद्रीय कर** – इस अधिसूचना के तहत सरकार ने उन करदाताओं के लिए, जिन्होंने दिनांक 6 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 31/2018 के अनुरूप माइग्रेशन के लिए विशेष स्कीम के अंतर्गत जीएसटीआईएन प्राप्त कर लिया है, फार्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की निर्धारित तारीख बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2018 कर दी है। **दिनांक 10 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या 48/2018 – केंद्रीय कर** – इस अधिसूचना के तहत सरकार ने केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 का नियम 117, जो फार्म जीएसटी ट्रान-1 में क्रेडिट के ट्रांजीशन से संबंधित है, में उप-नियम (1क) अंतर्निविष्ट करके संशोधन किया है, जो ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के बारे में फार्म जीएसटी ट्रान-1 प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाने के लिए आयुक्त को अधिकार प्रदान करता है, जो कॉमन पोर्टल में तकनीकी समस्या के कारण निर्धारित

		तारीख तक उक्त घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सका था। - **दिनांक 13 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 49/2018 – केंद्रीय कर –** इस अधिसूचना के तहत सरकार ने जीएसटीआर-9ग फार्म में जीएसटी लेखापरीक्षा रिपोर्ट अधिसूचित की है। - **दिनांक 13 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 50/2018 – केंद्रीय कर –** इस अधिसूचना के तहत स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान को दिनांक 01 अक्तूबर, 2018 से प्रभावी कर दिया गया। - **दिनांक 13 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 51/2018 – केंद्रीय कर –** इस अधिसूचना के तहत केंद्रीय सरकार ने उस तारीख अर्थात 01 अक्तूबर, 2018 को अधिसूचित किया जब से स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) का प्रावधान प्रभावी होगा। - **व्यापार नोटिस संख्या 30/2018-19 –** विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ईडीआई पत्तनों से शिपिंग बिलों के लिए एमईआईएस आवेदन फाइल हेतु सिस्टम चालित अनुमोदन तंत्र के अंतर्गत एमईआईएस के लिए आवेदन हेतु दिशानिर्देश जारी किए।
31	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 315 दिनांक 25.09.2018**	- **17 सितम्बर, 2018 का आदेश संख्या 4/2018 जीएसटी-** इस आदेश के अनुसार सरकार ने उन पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणी के लिए फार्म जीएसटी ट्रान-1 में घोषणा प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2019 कर दिया जो कॉमन पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण उक्त घोषणा निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर सके थे। - **दिनांक 19 सितम्बर, 2018 का परिपत्र संख्या 33/2018-कस्टम्स –** इस परिपत्र के अनुसार सरकार ने लागत लेखाकारों को भी दिनांक 29 मई, 2018 के परिपत्र संख्या 12/2018-कस्टम्स में यथा-परिकल्पित अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया है। - **दिनांक 20 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 52/2018-केंद्रीय कर –** इस अधिसूचना के अनुसार एजेंटों को छोड़कर अन्य सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य आपूर्तिकर्ताओं के जरिए की गई उन राज्यान्तरिक आपूर्तियों के निवल मूल्य पर स्रोत पर ही आधा प्रतिशत कर संग्रह करेंगे जिनके संबंध में ऑपरेटर को कन्सीडरेशन प्राप्त हुआ है। - **दिनांक 20 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 02/2018- समन्वित कर** – इस अधिसूचना के अनुसार एजेंटों को छोड़कर अन्य सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य आपूर्तिकर्ताओं के जरिए की गई उन अन्तर-राज्य आपूर्तियों के निवल मूल्य पर स्रोत पर ही एक प्रतिशत कर संग्रह करेंगे जिनके संबंध में ऑपरेटर को कन्सीडरेशन प्राप्त हुआ है।

32	ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 316 दिनांक 04.10.2018	- **दिनांक 24 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 65/2018-कस्टम्स** – इस अधिसूचना के तहत भारत सरकार ने ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी द्वारा माल के आयात के लिए क्षतिपूर्ति उपकर एवं समन्वित कर से छूट को 01 अप्रैल, 2019 तक बढ़ा दिया था। - **एसईजेड (संशोधन) नियम, 2018** – केंद्रीय सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में संशोधन करने के लिए दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को एसईजेड (संशोधन) नियम, 2018 अधिसूचित किया। - **26 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 35/2015-20** इस अधिसूचना से सरकार ने अग्रिम प्राधिकृतीकरण स्कीम (एए), पूंजीगत माल निर्यात संवर्धन स्कीम (ईपीसीजी) निर्यातोन्मुख इकाई स्कीम (ईओयू) के अंतर्गत समन्वित माल एवं सेवाकर (आईजीएसटी) एवं क्षतिपूर्ति उपकर की अनुप्रयोज्यता से 31 मार्च, 2019 तक छूट देने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 में संशोधन किया है।
33	ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 317 दिनांक 16.10.2018	- **दिनांक 09 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 53/2018- केंद्रीय कर** – इस अधिसूचना से केंद्रीय सरकार ने सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 96(10) में संशोधन किया है जो 23 अक्तूबर, 2017 से प्रभावी होगा। - **दिनांक 09 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 54/2018- केंद्रीय कर** – इस अधिसूचना से केंद्रीय सरकार ने सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89 (4ख) और नियम 96(10) में संशोधन किए हैं। - **दिनांक 09 अक्तूबर, 2018 का परिपत्र संख्या 37/2018-कस्टम्स** – इस परिपत्र के तहत सीबीआईसी ने निर्यातकों से उन मामलों के संबंध में प्राप्त कई अभ्यावेदनों का उत्तर दिया है जहां आईजीएसटी प्रतिदाय का अनुमोदन नहीं किया गया है क्योंकि ड्रॉबैक की उच्चतर दर का दावा किया गया है या जहां उच्चतर दरें एवं न्यूनतर दरें एक समान थी।
34	ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 318 दिनांक 25.10.2018	- इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त करने की अंतिम **तारीख से संबंधित दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 की प्रेस रिलीज** - **वित्त मंत्रालय की दिनांक 21 अक्तूबर, 2018 की प्रेस रिलीज** – इससे सितम्बर, 2018 माह के लिए फार्म जीएसटीआर – 3बी में रिटर्न दायर करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अक्तूबर, 2018 कर दी गई। - **दिनांक 21 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 55/2018- केंद्रीय कर** – इस अधिसूचना से केंद्रीय सरकार ने सितम्बर, 2018 माह के लिए फार्म जीएसटीआर – 3बी में रिटर्न दायर करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अक्तूबर, 2018 कर दी गई।
35	ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 319 दिनांक 31.10.2018	- **दिनांक 24 अक्तूबर, 2018 का परिपत्र संख्या 40/2018-कस्टम्स-** आईजीएसटी निर्यात प्रतिदाय – एसबी005 वैकल्पिक तंत्र और कुछ मामलों में, जिनमें क्षतिपूर्ति उपकर का अंतरण भी शामिल है, संशोधित प्रोसेसिंग का विस्तार किया गया। - **दिनांक 26 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 58/2018 – केंद्रीय कर** – इस अधिसूचना के तहत केंद्रीय सरकार ने यह अधिसूचित किया कि वे व्यक्ति, जिनका पंजीकरण दिनांक 30 सितम्बर, 2018 को या उससे पहले किसी उपयुक्त अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया है, फार्म जीएसटीआर -10 में अपनी अंतिम रिटर्न 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे।

		- **26 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 59/2018 – केंद्रीय कर** – इस अधिसूचना के तहत केंद्रीय सरकार ने जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018 तक की अवधि के दौरान किसी जॉब वर्कर को भेजी गई या किसी जॉब वर्कर से प्राप्त या एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को भेजी गई वस्तुओं के संबंध में फार्म जीएसटी आईटीसी-04 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2018 कर दी है। - **26 अक्तूबर, 2018 का परिपत्र संख्या 69/2018-** जीएसटी – फार्म आरईजी 16 में प्रस्तुत पंजीकरण को निरस्त करने के लिए आवेदनों की प्रोसेसिंग से संबंधित है। - **26 अक्तूबर, 2018 का परिपत्र संख्या 70/2018 जीएसटी** प्रतिदाय से संबंधित कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण
36	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 320 दिनांक 11.02.2019**	- विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण से संबंधित दिशानिर्देश।
37	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 321 दिनांक 19.02.2019**	- **दिनांक 11/2/2019 का व्यापार नोटिस संख्या 47 –** गुणवत्ता शिकायतें अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित व्यापार विवाद दायर करने एवं उनकी ट्रैकिंग करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल"।
38	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 322 दिनांक 27.02.2019**	- **दिनांक 22/2/2019 का डीजीएफटी नीति परिपत्र संख्या 20** – डीटीए इकाइयों की ओर, न कि डीटीए इकाइयों के माध्यम से, एसईजेड/ईओयू यूनिटों से निर्यात की पात्रता संबंधी स्पष्टीकरण।
39	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 323 दिनांक 11.03.2019**	- **एसईजेड नियम, 2019 में संशोधन** (दिनांक 07.03.2019 की राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 200 (ई))।
40	**ईपीसीईएस परिपत्र संख्या 324 दिनांक 25.03.2019**	- ईओयू स्कीम के अंतर्गत समन्वित माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी) तथा क्षतिपूर्ति उपकर पर विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 6.01 (घ) (ii) के अंतर्गत छूट में वृद्धि।

ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

1. दिनांक 06 से 15 अप्रैल, 2018 को फ्री पोर्ट, मेर-रूज, पोर्ट लुई, मॉरीशस में आयोजित होम वंडर 2018 में ईपीसीईएस की प्रतिभागिता।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता करने के लिए बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के अंतर्गत ईपीसीईएस की वर्ष 2018-19 की कार्य योजना का अनुमोदन कर दिया। तदनुसार, ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) ने अन्य भारतीय निर्यातक कम्पनियों के साथ मिलकर दिनांक 06 से 15 अप्रैल, 2018 को फ्री पोर्ट, मेर-रूज, पोर्ट लुई, मॉरीशस में आयोजित होम वंडर 2018 में (इससे पहले "भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी" नाम परिवर्तन प्रमाणपत्र संलग्न) प्रतिभागिता की। ईपीसीईएस की ओर से श्री टी.वी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीईएस और श्री आनन्द गिरि, उप-महानिदेशक, ईपीसीईएस भारतीय प्रदर्शकों के साथ गए।

मेले से पहले 5 अप्रैल, 2018 को महानिदेशक, ईपीसीईएस तथा उप-महानिदेशक ईपीसीईएस ने मॉरीशस में भारतीय उच्चायुक्त एवं उप-उच्चायुक्त से मुलाकात की और उन्हें इस मेले, ईपीसीईएस की प्रतिभागिता, शामिल किए गए उत्पादों आदि के बारे में संक्षेप में बताया। महानिदेशक ने मॉरीशस में भारत के उच्चायुक्त एवं उप-उच्चायुक्त को ईपीसीईएस न्यूज़ का अद्यतन संस्करण तथा ईपीसीईएस ब्रोशर आदि दिए।

मॉरीशस में भारत के उच्चायुक्त श्री अभय ठाकुर ने बैठक के दौरान ईपीसीईएस के महानिदेशक को मॉरीशस के एसईजेड प्राधिकारियों से मिलने का सुझाव दिया जिससे भारत के एसईजेड मॉरीशस होकर अपना उत्पाद अफ्रीकी देशों को भेजने तथा शुल्क लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगा सकें। इस सुझाव पर महानिदेशक, ईपीसीईएस तथा उप-महानिदेशक, ईपीसीईएस ने मॉरीशस पोर्ट ऑफ अथॉरिटी के उप-महानिदेशक से उसी दिन भेंट की और उन्हें भारत की एसईजेड नीति, इसके योजनाओं एवं प्रगति आदि के बारे में संक्षेप में बताया। डीडीजी मॉरीशस पोर्ट अथॉरिटी ने मॉरीशस पोर्ट अथॉरिटी, उपलब्ध सुविधाओं, उपलब्ध स्थान आदि के बारे में एक प्रस्तुतिकरण किया। श्रीमती राजस्थान ... भी इस बैठक में उपस्थित रही थी।

श्री टी. वी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीईएस (बाएं) ईपीसीईएस न्यूज़ का अद्यतन संस्करण तथा ईपीसीईएस ब्रोशर श्री के. डी. देवल, मॉरीशस में भारत के उप-उच्चायुक्त को भेंट करते हुए

बाएं से दाएं : श्रीमती राजस्थान ... डिप्टी महानिदेशक, ईपीसीईएस एवं निदेशक (ईओयू/एसईजेड), उच्चायुक्त, मॉरीशस पोर्ट अथॉरिटी, उप-महानिदेशक, ईपीसीईएस एवं ...

होम डेकर, 2018 का आयोजन 6 से 15 अप्रैल, 2018 के दौरान पोर्ट लुई, मॉरीशस में किया गया था। इस मेले को अफ्रीका को स्वीकृत गेटवे के रूप में मॉरीशस में अफ्रीकी एवं एशियाई देशों का संवर्धन करने के लिए एक अवसर के रूप में देखा गया। इस मेले में प्रतिभागिता करने के लिए प्रदर्शक के साथ-साथ असंख्य अतिथि आए उन्होंने अपने-अपने उद्योग के अंतर्गत लाभप्रद व्यवसाय अवसरों तथा अपनी अभिनव बाजार नवाचारों पर एक दूसरे के साथ आमने-सामने चर्चा की।

चूंकि यह मेला "होम डेकर 2018" घरेलू उपयोग की वस्तुओं का मेला था, इसलिए इस मेले में प्रदर्शित की गई वस्तुएं घरेलू उपयोग की वस्तुएं थीं जैसे टेक्सटाइल, होम फर्निशिंग, पर्दे, किचनवेयर, चादरें, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक मदें, फर्नीचर, कटलरी आदि।
इस मेले में अनेक विदेशी प्रदर्शकों तथा भारतीय निर्यातकों ने अपने उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया। इस मेले में भारी संख्या में भारतीय निर्यातकों के साथ-साथ विदेशी बिजनेसमैन निवेशकों और खरीददारों ने प्रतिभागिता की। इसने विदेशी बिजनेसमैन, निवेशकों एवं क्रेताओं की मौजूदगी में भारत की एसईजेड स्कीम की संकल्पना को प्रचारित करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया। मैसर्स राजस्थान डक्सें लिमिटेड, इस मेले के आयोजनकर्ता थे। यह कंपनी उपभोक्ता चीज जगत में सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रख्यात कंपनी है और इसका कोई दूसरा सानी नहीं है।

इस मेले का उद्घाटन श्रीमती शान्तिबाई हनुमानजी, मॉरीशस की संसद की माननीय अध्यक्ष, श्री राज रामपताब, संसदीय निजी सचिव, संसद सदस्य, श्री टी.वी. रवि, महानिदेशक, ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद तथा मॉरीशस एवं अन्य देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 2018 को दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया।

श्री टी. वी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीईएस एवं निदेशक (ईओयू/एसईजेड), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा मेले का उद्घाटन

श्री के.डी. देवल, मॉरीशस में भारत के उप-उच्चायुक्त द्वारा मेले का उद्घाटन

श्री टी. वी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीईएस को उद्घाटन समारोह के दौरान सम्मानित किया गया

श्री टी.पी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीईएस (बाएं से दूसरे - खड़े हुए) उद्घाटन समारोह के दौरान

आयोजनकर्ताओं ने इस उद्घाटन समारोह में मंत्रमुग्ध करने वाली कला का प्रदर्शन करने के लिए भारत तथा अन्य देशों के अंतरराष्ट्रीय कलाकारों, जादूगरों, गायकों को आमंत्रित किया था।

मेले के उद्घाटन समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम

श्रीमती सरोजनी जगन्नाथ, पत्नी श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरीशस के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तथा श्री प्रविन्द जगन्नाथ मॉरीशस के प्रधानमंत्री की माता जी ने भी इस मेले का दौरा किया

प्रतिभागियों तथा आगन्तुकों ने इस मेले की काफी सराहना की। इकाइयों को इस मेले से अधिकतम व्यवसाय प्राप्त हुआ।

लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों ने इस मेले का भ्रमण किया तथा भारतीय उत्पादों अर्थात भारत की टेक्सटाइल मदों, चादरों, किचनवेयर इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक मदों तथा अन्य घरेलू वस्तुओं की सराहना की। प्रतिभागियों ने ईपीसीईएस से अनुरोध किया कि वे भविष्य में भी इस तरह के मेलों का आयोजन करते रहें ताकि उन्हें एमएआई लाभ प्राप्त हो सके।

प्रतिभागियों की सुविधा के लिए इस मेले के आयोजकों ने विशेष व्यवस्था अर्थात इन-हाउस भारतीय रेस्तरां, प्रदर्शनी स्थल से निकटतम बस डिपो तक शटल सेवा की थी और प्रदर्शनी स्थल से उनके ठहरने के स्थान तक भी सीधे वाहन प्रदान कराए थे।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस मेले का विज्ञापन रेडियो मॉरीशस पर प्रसारित कराया गया और भारत के, मॉरीशस के तथा मलेशिया के कलाकारों ने इस संबंध में विभिन्न स्टेज शो भी आयोजित किए थे।

एक्सपो मेले का एक दृश्य

- मॉरीशस की संसद की माननीय स्पीकर श्रीमती शान्ति बाई हनुमानजी, श्री टी.वी. रवि, महानिदेशक ईपीसीईएस के साथ मेले का भ्रमण करते हुए।
- भारतीय कम्पनियों के कुछ स्टॉल।
- भारतीय कम्पनियों के कुछ स्टॉल।

ईपीसीईएस की प्रतिभागिता का उद्देश्य भारत के एसईजेड में विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए भारत की एसईजेड स्कीम की संकल्पना का विदेशों में प्रचार करना तथा भारत से निर्यात संवर्धन करने के लिए नई बाजारों का अन्वेषण करना था। श्री टी. वी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीईएस ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया आदि से आए विदेशी बिजनेसमैन, निवेशकों और क्रेताओं को एसईजेड स्कीम की मुख्य-मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया।

इस मेले में कुल 120 स्टॉल थे जिनमें भारत, मॉरीशस, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए निर्यातकों ने गृह सज्जा और सजावट से संबंधित अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई।

ईपीसीईएस ने 6 से 15 अप्रैल, 2018 को मॉरीशस में आयोजित बहु उत्पाद व्यापार मेला होम एक्स 2018 में भारत के निर्यातकों के साथ प्रतिभागिता की थी।

ईपीसीईएस ने भारतीय स्टॉलों पर विदेशी आगन्तुकों, निवेशकों एवं क्रेताओं के भ्रमण की व्यवस्था की। स्टॉल्स एवं फैसिलिटी आदि बनाने के लिए ईपीसीईएस के प्रतिनिधि इस मेले के आयोजन से एक दिन पहले ही वहां पहुंच गए थे।

ईपीसीईएस के प्रतिनिधियों ने मॉरीशस एवं अन्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की तथा उनको प्रतिभागिता के बारे में विस्तार से बताया और उन्हें ईपीसीईएस न्यूज़लेटर तथा ब्रोशर आदि दिए, जिनमें एसईज़ेड एवं ईओयू स्कीम का विस्तृत विवरण दिया गया था। भारतीय प्रतिभागियों के कंपनी प्रोफाइल, उनके संपर्क सूत्रों, उत्पाद विवरणों और क्रेताओं के बीच वितरित करने के लिए एक सूचीपत्र भी प्रकाशित किया गया।

उपर्युक्त के अलावा, इस मेले के विवरण का प्रसारण मॉरीशस रेडियो एफएम पर भी की गई। एक स्थायी स्टॉल बनाया गया जिसमें आगुन्तकों को मेले, उसमें प्रतिभागिताकारियों और उनके उत्पादों के बारे में सूचना दी गई।

मेले में सृजित/प्रेक्षित व्यवसाय

उन भारतीय प्रदर्शकों से अलग-अलग फीड बैक लिया गया जिन्होंने ईपीसीईएस की छत्रछाया में प्रतिभागिता की थी। प्रतिभागियों से प्राप्त इन रिपोर्टों के आधार पर यह उल्लेख किया गया है कि इस मेले के दौरान सभी प्रतिभागियों को बहुत अच्छा बिजनेस प्राप्त हुआ और उन्होंने मॉरीशस की विभिन्न कंपनियों के साथ विभिन्न करार/व्यवस्थाएं की गई।

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया कि इस मेले में भारी संख्या में विदेशी क्रेताओं एवं व्यावसायियों ने भ्रमण किया और उनके साथ भारतीय प्रदर्शकों के बीच काफी उपयोगी चर्चा की गई। प्रतिभागियों को भारी संख्या में पूछताछ भी प्राप्त हुई, जिनके लिए बातचीत अभी चल रही है।

2. डीसी, एमईपीजेड - एसईज़ेड चेन्नई द्वारा 5 अप्रैल, 2018 को होटल फॉरच्यून पांडियन, मदुरई में एक रोड शो का आयोजन किया गया।

श्री डी. आनन्दन, संयुक्त विकास आयुक्त, एमईपीजेड प्रस्तुतिकरण करते हुए (बाएं से दाएं) सुश्री विजया प्रभाकर कालीर, कार्यकारी, टाइडल पेनसुलर, मदुरई, श्री के. वीरा राघव राव, कलेक्टर - मदुरई, श्री डी. चन्द्र मोहन, सीएमडी, एल्कोट मदुरई, डॉ. विजय कानी स्थानापन्न अध्यक्ष, ईपीसीईएस, डा. एल.के. श्रीकान्त सुन्दरम, डीसी, एमईपीजेड - एसईज़ेड, श्री हरीमोहन, टीडबल्यू, सचिवालय चैम्बर, मदुरई

फिक्की ने एमईपीजेड के साथ मिलकर निर्यातकों के लाभ के लिए एक रोड शो की व्यवस्था की। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में निर्यातकों ने भाग लिया। ईपीसीईएस के स्थानापन्न अध्यक्ष इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि एसईजेड व्यवसाय करने के लिए एक सर्वोत्तम मंच है। एसईजेड द्वारा पेशकश किए जा रहे लाभों एवं सब्सिडियों से कहीं अधिक इस समय बिजनेसमैन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर देख रहे हैं और एसईजेड यह सुविधा प्रदान करता है। उन्होंने सिटी में उपलब्ध बिजनेसमैनों को प्रेरित किया ताकि वे अपने उद्यमों के लिए एसईजेड का उपयोग करें। विकास आयुक्त ने निर्यातकों को आमंत्रित किया कि वे ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए एसईजेड का उपयोग करें और एसईजेड ज़ोन्स से निर्यात करने का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करें। फोटो इसके साथ संलग्न है।

ईपीसीईएस के स्थानापन्न अध्यक्ष प्रदर्शकों के साथ परस्पर बातें करते हुए उनके साथ हैं श्री के. वीरा राघवन, कार्यकारी निदेशक (बिल्कुल बाएं)

जन समूह का एक दृश्य

3. ईपीसीईएस ने एसईजेड विकासकर्ताओं के लिए अहमदाबाद में दिनांक 14 अप्रैल, 2018 को एक परस्पर बातें सत्र का आयोजन किया।

ईपीसीईएस ने गुजरात में विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ताओं के साथ 14 अप्रैल, 2018 को अहमदाबाद में एक व्यापक परस्पर बातें सत्र का आयोजन किया। अन्य मुद्दों के साथ जिन प्रमुख मुद्दों पर इस सत्र में विचार-विमर्श किया गया उनमें क्षेत्र में केंद्रीय एसईजेड अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों के संबंध में विकासकर्ताओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों की समझ शामिल है। भारतीय एसईजेड के लिए ईपीसीईएस विपणन की संभावनाओं का समन्वेषण किया गया और उनकी प्रचालनात्मक चुनौतियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। यह सत्र एसईजेड इकाइयों/एसईजेड विकासकर्ताओं के मुद्दों का समाधान करने के लिए काफी लाभप्रद रहा।

4. ईओयू एवं एसईजेड इकाइयों/एसईजेड विकासकर्ताओं की डा. एल. बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, ओडिशा के साथ दिनांक 14 अप्रैल, 2018 को परस्पर विचार-विमर्श

(डा. एल. बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए)

एनएसईज़ेड स्थित ईपीसीईएस के क्षेत्रीय कार्यालय ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को पीएचडी हाउस, नई दिल्ली में ईओयू/एसईज़ेड/एसईज़ेड विकासकर्ताओं के एक इंटरैक्टिव सत्र की व्यवस्था की। इस इंटरैक्टिव सत्र की अध्यक्षता डा. एल. बी. सिंघल क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा ने की। इस इन्टरैक्टिव सत्र में श्री एस. एस. शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त और श्री. सालिक परवेज, उपायुक्त (कस्टम्स) नोएडा भी उपस्थित रहे।

प्रतिभागिताकारियों को सम्बोधित करते हुए डॉ. एल. बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त एनएसईज़ेड ने सूचित किया कि ईओयू एवं एसईज़ेड देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जन कर रहे हैं। एसईज़ेड सेक्टर अपने-अपने एसईज़ेड में विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं का सृजन करके देश के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। यह बड़े संतोष का विषय है कि एसईज़ेड सेक्टर से निर्यात जो वर्ष 2005-06 में 22000 करोड़ रुपये का हुआ था, बढ़कर वर्ष 2016-17 में 523637 करोड़ रुपये का हो गया। डा. सिंघल ने एसईज़ेड में शुल्कों एवं करों में छूट, द्रुत निकासी के लिए एसईज़ेड में सिंगल विंडो प्रणाली जैसे उपलब्ध लाभों पर भी प्रकाश डाला।

डा. एल. बी. सिंघल ने जानकारी दी कि एसईज़ेड में सेवा निर्यात के योगदान में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और इस समय एसईज़ेड के कुल निर्यात में सेवा निर्यात का योगदान लगभग 53 प्रतिशत है।

श्री अनिल खेतान, अध्यक्ष, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अपने स्वागत भाषण में जोर दिया कि एसईज़ेड के उद्देश्यों को उन सुविधाओं से अधिक अच्छा बनाया जा सकता है जो एसईज़ेड प्रणालियों को पालन से जोड़ सकती हों। श्री अनिल खेतान ने यह भी अनुरोध किया कि सरकार को एसईज़ेड पर न्यूनतम वैकल्पिक कर को समाप्त कर देना चाहिए जिससे उसका और अधिक विस्तार एवं विविधीकरण किया जा सके क्योंकि आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था के इस मंदिर में एमएटी के मुद्दे ने उनके विकास को सामान्य रूप से और निर्यात को विशेष रूप से अवरुद्ध किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा कि इस एमएटी की संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पुनरीक्षा किए जाने की जरूरत है ताकि एसईज़ेड में कराधान जैसे अवरोध उत्पन्न न हों और उनके विकास एवं विस्तार में कोई बाधा न आए।

(श्री भुवनेश सेठ, क्षेत्रीय अध्यक्ष, ईपीसीईएस - एनएसईज़ेड, प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए)

श्री भुवनेश सेठ, क्षेत्रीय अध्यक्ष, ईपीसीईएस – एनएसईज़ेड ने प्रतिभागियों को अवगत कराया कि एसईज़ेड विकासकर्ताओं ने जयपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव तथा अन्य स्थानों पर सभी सुविधाओं युक्त विनिर्मित क्षेत्र का निर्माण करने में भारी निवेश किया है। विकासकर्ताओं ने इतना विनिर्मित क्षेत्र तैयार कर लिया है जो संभावित आईटी/आईटीईएस सॉफ्टवेयर एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, इंजीनियरिंग कंपनियों को अपनी यहां इकाइयां स्थापित करने के लिए पट्टे पर दिया जा सकता है।

प्रतिभागियों का एक दृश्य

इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा कि एसईज़ेड स्कीम के अंतर्गत इकाइयां जीएसटी से छूट के अतिरिक्त [illegible] आधार पर आयकर से कर छूट प्राप्त करने के लिए भी पात्र हैं। एसईज़ेड इकाइयां आयात शुल्क का भुगतान किए बिना मशीनरी उपकरणों का आयात कर सकती हैं और उत्पाद शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर स्वदेशी उपकरणों की खरीद भी कर सकती हैं।

श्री एस. के. गुप्ता, सदस्य क्षेत्रीय शासी परिषद ने धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए यह सूचित किया कि डा. एल.बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा एसईज़ेड को ईओयू एवं एसईज़ेड समुदाय के हित में ईओयू एवं एसईज़ेड की समस्याओं का समाधान करने का दीर्घ अनुभव है।

श्री गुप्ता ने डा. एस.पी. शर्मा, मुख्य अर्थशास्त्री एवं निदेशक अनुसंधान, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, श्री ओ. पी. कपूर, क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस, नोएडा को धन्यवाद दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने श्री एस. एस. शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा एसईज़ेड, मो. साबिक परवेज, उपायुक्त (कस्टम्स) नोएडा एसईज़ेड को ईओयू एवं एसईज़ेड के मुद्दों का समाधान करने में उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता की। सभी प्रतिभागीगण इस कार्यक्रम के दौरान दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण से संतुष्ट थे।

5. "उत्पाद बाजार अभिज्ञान एवं बाजार प्रवेश कार्यनीति पर कोलकाता में दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

निर्यात संवर्धन परिषद ने कैपेक्सिल के सहयोग से "उत्पाद बाजार अभिज्ञान एवं बाजार प्रविष्टि कार्यनीति" पर ईईपीसी सम्मेलन कक्ष, कोलकाता में दिनांक 24 अप्रैल, 2018 को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम की डिज़ाइन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मुक्त व्यापार प्रणाली एवं आर्थिक सुधारों तथा "मेक इन इंडिया" प्रणाली के अंतर्गत निर्यात दर की वृद्धि संवर्धित करने, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को दिए गए महत्व को ध्यान में रखकर की गई थी। इस कार्यक्रम में नए बाजार अभिज्ञात करने और एडवांस टूल्स का प्रयोग करके बाजार पहुंच बनाने से जुड़ी कार्यनीतियों के प्रति निर्यातकों को जागरूक करने पर बल दिया गया।

विपणन प्रबंधन, प्रौद्योगिकी नवाचार प्रबंधन, उद्यमिता, लघु व्यवसाय विकास और अंतर्राष्ट्रीय विपणन विशेषज्ञ डा. गौतम दत्त, प्रोफेसर आईआईएफटी प्रमुख वक्ता थे। इस कार्यक्रम में श्री एस. के. घोष, अध्यक्ष, सिंटेनिक्स एंड एलायड प्रोडक्ट्स जिसमें रिफ़ेक्टरी पैनल भी शामिल है, श्री टी.के. भट्टाचार्य, कार्यकारी निदेशक, केमेक्सिल और डा. सव्यसाची घोष ने भी प्रतिभागिता की। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 55 निर्यातकों ने भाग लिया और इस सत्र के बारे में सकारात्मक फीड बैक दिया। उत्पाद बाजार अभिज्ञान एवं बाजार प्रविष्टि कार्यनीति के महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिया गया सारगर्भित स्पष्टीकरण बहुत उपयोगी रहा।

6. ईपीसीईएस ने नई दिल्ली में दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को जीएसटी पर एक ओपन हाउस का आयोजन किया

बाएं से दाएं : डा. विजय शर्मा, उपाध्यक्ष ईपीसीईएस, डा. एल. बी. सिंघल, डीसी, नोएडा एसईजेड, श्री योगेन्द्र गर्ग, अपर महानिदेशक जीएसटी, श्री अरुण गोयल, विशेष सचिव, जीएसटी परिषद, श्री धीरज रस्तोगी, संयुक्त सचिव, भारतीय जीएसटी परिषद, श्री विशिष्ठ चौधरी, उपाध्यक्ष, जीएसटी आईएन एवं श्री डी.के. राय, महानिदेशक, ईपीसीईएस

ईपीसीईएस ने अपने सदस्यों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं/मुद्दों का समाधान करने और जीएसटी से संबंधित आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में दिनांक 25 अप्रैल, 2018 को, विशेष रूप से जीएसटी पर, एक ओपन हाउस का आयोजन किया।

इस ओपन हाउस की अध्यक्षता, श्री अरुण गोयल, विशेष सचिव, जीएसटी परिषद ने की और डा. एल. बी. सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, श्री योगेन्द्र गर्ग, अपर महानिदेशक, माल एवं सेवा कर महानिदेशालय, श्री धीरज रस्तोगी, संयुक्त सचिव, भारतीय जीएसटी परिषद, श्री विशिष्ठ चौधरी, उपाध्यक्ष जीएसटीआईएन और श्री अभिषेक आप्टे, वरिष्ठ प्रबंधक एनएसडीएल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सीबीईसी, सीबीडीटी एवं अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने इस ओपन हाउस में प्रतिभागिता की।

श्री अरुण गोयल, विशेष सचिव, जीएसटी परिषद, दीप प्रज्वलित करते हुए

स्थानापन्न अध्यक्ष ने स्वागत के दौरान श्री अरुण गोयल, विशेष सचिव, जीएसटी को इस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने हेतु धन्यवाद दिया। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि 17 विभिन्न करों को पुनर्स्थापित करके एक कर जीएसटी बनाया गया है और हर व्यवसायी यह चाहता है कि 17 करों के बजाय उसे केवल एक कर का ही रखरखाव करना पड़े। व्यवसायी रिटर्न आदि दाखिल करने में अपना समय बचाना चाहते थे। दुर्भाग्यवश, अब उन्हें एक कर की रिटर्न दाखिल करने में पहले 17 विभिन्न करों की रिटर्न दाखिल करने की तुलना में अधिक समय गंवाना पड़ता है।

श्री टी. वी. रवि, निदेशक (एसईज़ेड) और डीजी, ईपीसीईएस ने कहा कि जीएसटी का शुभारम्भ भारत में अप्रत्यक्ष करों में सुधार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। निर्यातकगण बहुत खुश हैं क्योंकि शून्य रेटिड आपूर्तियां की गई हैं। तथापि, अभी भी कुछ दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी

श्री टी.वी. रवि, निदेशक (एसईज़ेड) एवं महानिदेशक ईपीसीईएस

प्रतिदाय से संबंधित मुद्दों को बड़े उच्च स्तर पर उठाया गया है। इन मुद्दों का समाधान करने में कुछ समय लग सकता है। प्रतिदाय से संबंधित मुद्दों का समाधान हो जाने पर अधिकांश मुद्दे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे।

प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए श्री अरुण गोयल विशेष सचिव, जीएसटी परिषद ने जीएसटी पर इस ओपन हाउस का आयोजन करने के लिए ईपीसीईएस को धन्यवाद दिया और संपूर्ण भारत से भारी संख्या में ईओयू तथा एसईज़ेड की उपस्थिति पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्थानापन्न अध्यक्ष, ईपीसीईएस ने जीएसटी पर सदस्यों की चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने सूचित किया कि आज का विचार विमर्श सदस्यों द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरण प्रदान करेगा और उनकी समस्याओं एवं चिन्ताओं का समाधान करने में सहायता करेगा।

श्री अरुण गोयल, विशेष सचिव, जीएसटी परिषद जन समूह को सम्बोधित

विशेष सचिव, जीएसटी परिषद ने कहा कि जीएसटी एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार है क्योंकि इसके प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक आयाम हैं। इसके आगे उन्होंने इन आयामों के बारे में प्रतिभागियों को विस्तार से बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि देश में पहली बार एक अति-शक्तिशाली निकाय जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। यह उम्मीद की गई थी कि जीएसटी प्रतिदाय तत्काल रूप से एवं शीघ्रता से किया जाएगा। इन मुद्दों/परेशानियों पर विचार किया जा रहा है और इनका अतिशीघ्र जवाब दिया जाएगा। जीएसटी परिषद की कई बैठकें आयोजित की गई हैं जिनमें बड़े-बड़े निर्णय लिए गए हैं। इस तरह के संदेश पर अन्य क्षेत्रों में भी चर्चा की जानी चाहिए। सभी मुद्दों/चिन्ताओं का निराकरण किया जा रहा है। जब सरकार निर्यातकों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करेगी तब निर्यातक यह

श्री योगेन्द्र गोयल, अपर महानिदेशक जीएसटी

देखेंगे कि अब भारी परिवर्तन आ गया है। क्योंकि अब भारी संख्या में और समय पर रिटर्न दायर कर रहे हैं। कृपया हमारा सहयोग करें, एक विभाग के रूप में हम जानते हैं कि हर कोई चीज पूर्ण नहीं होती है।

श्री योगेन्द्र गोयल, अपर महानिदेशक, माल एवं सेवा कर महानिदेशालय ने ईओयू एवं एसईजेड द्वारा सामना की जा रही जीएसटी से संबंधित समस्याओं एवं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करने हेतु ईपीसीईएस को धन्यवाद दिया। एसईजेड को शून्य रेटिड आपूर्तियों का मुद्दा हल हो गया है। ऐसे कुछ मुद्दे एवं अंतराल तथा संयोजन के अभाव का मुद्दा जैसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं और अब समस्याओं की बारम्बारिता भी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की नियमित बातचीत से हम ईओयू एवं एसईजेड के जीएसटी से संबंधित शेष समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे।

डा. एल. बी. सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड ने जीएसटी पर इस ओपन हाउस का आयोजन करने के लिए ईपीसीईएस को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर आज का ओपन हाउस एक सामयिक परिचर्चा है। उन्होंने जानकारी दी कि अभी हाल ही में नोएडा एसईजेड ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी पर ऐसे ही कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आईजीएसटी एक सराहनीय कदम है। ईओयू को भी कुछ स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को उच्च स्तर पर उठाया गया है और उनकी प्रतिक्रिया शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

डा. एल. बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, एनएसईजेड प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए

डा. एल.बी. सिंघल ने जानकारी दी कि एसईजेड घरेलू इकाइयों से माल की खरीद कर रहे हैं। घरेलू बाजार से वस्तुओं की खरीद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्थानीय इकाइयों ने जानकारी दी है कि वे प्रतिदाय प्राप्त करने में असमर्थ हैं और उन्होंने प्रतिदाय का दावा करने के लिए एसईजेड से आग्रह किया है। यदि यह मुद्दा हल हो जाता है तो जीएसटी से संबंधित मुद्दों का एक बड़ा भाग हल हो जाएगा।

जहां तक सेवा सेक्टर द्वारा भुगतान की गई जीएसटी का संबंध है, इसके बारे में एक क्रियाविधि निर्धारित की जानी चाहिए। डा. एल.बी. सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड ने जानकारी दी कि जब किसी घरेलू यूनिट को निर्यात आर्डर प्राप्त होता है और वस्तुओं को सीधे एसईजेड से पत्तन को भेजा जाता है और उन वस्तुओं का निर्यात घरेलू यूनिटों द्वारा नहीं किया जाता है तो इसे थर्ड पार्टी निर्यात कहा जाता है।

इस ओपन हाउस में जिन मुद्दों/चिंताओं/दिक्कतों पर चर्चा की गई वे मुख्यतः जीएसटी रिफंड, जीएसटी का भुगतान करने से छूट, माल एवं सेवाओं का वर्गीकरण, सेवा निर्यातों के लिए आपूर्ति का स्थान, जीएसटीएन, इनपुट सेवा वितरण/जीएसटी रिटर्न आदि से संबंधित थी। इन सभी मुद्दों/दिक्कतों/चिंताओं का सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल आवश्यक स्पष्टीकरण एवं जवाब दिया।

ओपन हाउस का एक दृश्य

श्री मुकेश जैन, क्षेत्रीय अध्यक्ष, ईपीसीईएस, एनएसईजेड धन्यवाद प्रस्ताव करते हुए

श्री भुवनेश सेठ, अध्यक्ष, ईपीसीईएस, एमएसईजेड ने इस ओपन हाउस में आने के लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने श्री अरुण गोयल, विशेष सचिव, जीएसटी परिषद इस ओपन हाउस में आने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालने, ईओयू एवं एसईजेड से मिलने के लिए आने तथा जीएसटी के संबंध में प्रश्नों का जवाब देने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने विशेष सचिव, जीएसटी परिषद को ईओयू एवं एसईजेड द्वारा जीएसटी के संबंध में सामना की जा रही समस्याओं/दिक्कतों का समाधान निकालने के लिए अधिकारियों की टीम को अपने साथ लाने के लिए भी धन्यवाद दिया। क्षेत्रीय अध्यक्ष, ईपीसीईएस ने श्री योगेन्द्र गोयल, अपर महानिदेशक जीएसटी को उन समूह का मार्ग प्रशस्त करने और यह आश्वस्त करने के लिए धन्यवाद दिया कि ईओयू एवं एसईजेड से संबंधित मुद्दों को शीघ्र ही हल निकाल लिया जाएगा। श्री भुवनेश सेठ ने डा. एल.बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, एमएसईजेड को जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत ईओयू एवं एसईजेड द्वारा सामना की जा रही समस्याओं एवं मुद्दों को उठाने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

7. वस्तुओं एवं निर्यात संवर्धन मुद्दों के संबंध में दिनांक 16 मई, 2019 को सम्मेलन कक्ष, एमएसएमई – डीआई कोलकाता में एक बैठक का आयोजन

श्री डी. मित्रा, उप-निदेशक, एमएसएमई-डीआई, कोलकाता ने अतिथियों का स्वागत किया। इस बैठक का प्रारंभ अपना-अपना परिचय देकर हुआ। डा. सव्यसाची घोष, क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल पर विशेष रूप से जोर देते हुए देश में मौजूदा निर्यात परिदृश्य से अवगत कराया। उन्होंने ईपीसीईएस एवं एसईजेड के क्रियाकलापों एवं कार्यों का विवरण दिया। उन्होंने संक्षेप में उन मौजूदा स्कीमों पर प्रकाश डाला जिनका एमएसएमई लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने एमएसएमई को निर्यात बाजार में आगे बढ़ने के लिए जागरूकता को मुख्य कारक बताया और निर्यात संवर्धन के लिए एमएसएमई-डीआई कोलकाता को सभी संभव सहायता एवं सहयोग देने का आश्वासन दिया।

श्री ए. बाजपेयी, उप-निदेशक, एमएसएमई-डीआई, कानपुर ने एमएसएमई-डीआई के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निर्यात से संबंधित क्रियाकलापों पर विभिन्न पूछताछों का उत्तर दिया। डा. एस. घोष, क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस कोलकाता ने उनकी शंकाओं का समाधान किया और आश्वस्त किया कि उनसे संपर्क करने पर एमएसएमई-डीआई कानपुर एवं कोलकाता को ई-मेल द्वारा विभिन्न आंकड़े भेज जाएंगे।

बैठक का एक दृश्य

श्री डी. मित्रा, उप-निदेशक ने एमएसएमई मंत्रालय द्वारा क्लस्टर विकास एवं निर्यात संवर्धन पर दिए जा रहे मौजूदा फ्रस्ट के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने सूचित किया कि पश्चिम बंगाल में क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चार सीएफसी पहले से ही पूर्ण कर ली गई हैं और नौ सीएफसी पर काम चल रहा है। एमएसएमई-डीआई कोलकाता ने एमएसएमई के फायदे के लिए एमएसएमई-डीआई कोलकाता में एक निर्यात सुविधा सेल (ईएफसी) की स्थापना पहले से ही कर दी है। उन्होंने सूचित किया कि श्री जी. पोद्दार, सहायक निदेशक को डीआई कोलकाता से संबद्ध ईएफसी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

श्री पोद्दार ने वर्ष 2019-20 के लिए ईएफसी की कार्य योजना के बारे में बताया और विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके निर्यात क्लस्टरों के दो प्रखंडों को अभिज्ञात करके एसईजेड में लघु क्लस्टर की शुरुआत करने और निर्यात संवर्धन जागरूकता पर विभिन्न औद्योगिक प्रेरणाप्रद अभियान (आईएमसी) चलाने तथा निर्यात प्रबंधन पर निर्यात प्रबंधन कार्यक्रम (एमडीपी) करने तथा एमएसएमई सेक्टर में, खासकर पश्चिम बंगाल राज्य में, निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की इच्छुक एमएसएमई को प्रतिभागित करके प्रलेखन करने के लिए ईपीसीईएस कोलकाता को हर प्रकार की सहायता देने का अनुरोध किया।

डा. एस. घोष, क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस, कोलकाता ने भी सुझाव दिया कि निर्यात प्रबंधन एवं प्रलेखन संबंधी एमडीपी के लिए कार्यक्रम मॉड्यूल आईआईएफटी, कोलकाता, केनरा बैंक तथा अन्यों के साथ परामर्श करके तैयार किया जा सकता है और उसे अंतिम रूप देने से पहले उनसे पृष्ठांकित कराया जा सकता है। डा. घोष ने डेटा/सूचना के तत्काल आदान-प्रदान के लिए एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाकर छह माह तक सभी ईएफसी को सूचनाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया।

केनरा बैंक के प्रतिनिधियों ने इस तरह के सभी कार्यक्रमों में निर्यात संवर्धन करने पर तथा एमएसएमई क्लस्टरों का एमएसएमई-डीआई कोलकाता ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया एवं उनका आभार व्यक्त किया। श्री एस.के. मंडल, एडी एमएसएमई, डीआई कोलकाता ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया।

8. "प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर" (एईओ) के संबंध में सीप्ज एसईजेड मुंबई में दिनांक 5 जून, 2018 को एक कार्यशाला

ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) ने मुंबई कस्टम्स एवं विकास आयुक्त, सीप्ज-एसईजेड के सहयोग से प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 05 जून, 2018 को सम्मेलन कक्ष, बीएफसी बिल्डिंग सीप्ज-एसईजेड मुंबई में एक कार्यशाला का आयोजन किया। मंच पर जो गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे वे हैं श्री बलदेव सिंह, आईएएस, विकास आयुक्त, सीप्ज-एसईजेड, श्री उमीत सैन नेगी, सीमाशुल्क आयुक्त-मुंबई, कस्टम्स जोन-1, श्री राम मोहन राव, संयुक्त सीमाशुल्क आयुक्त, एईओ कार्यक्रम के नोडल अधिकारी, श्री रवि कुमार, सहायक सीमा-शुल्क आयुक्त, क्लाइंट रिलेशन प्रबंधक, एईओ सेल, स्थानापन्न अध्यक्ष, ईपीसीईएस और श्रीमती एम. एच. बाले, क्षेत्रीय अध्यक्ष, ईपीसीईएस, पश्चिमी क्षेत्र।

श्री बलदेव सिंह, आईएएस, विकास आयुक्त सीप्ज एसईजेड ने सम्बोधित करते हुए कहा कि उन्हें इस कार्यशाला का आयोजन करने के लिए ईपीसीईएस तथा मुंबई कस्टम्स द्वारा की गई पहल पर प्रसन्नता है क्योंकि कई स्टेकहोल्डरों को एईओ दर्जा धारक होने के लाभ और उसके पात्रता मानदंड के संबंध में स्पष्ट ज्ञान नहीं है। उन्होंने यह भी उम्मीद व्यक्त की कि आयात एवं निर्यात के कार्य में लगी इकाइयां एईओ में अपना नामांकन कराने के लिए आगे आएंगी क्योंकि एईओ दर्जा व्यवसाय करने में आसानी तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए आवश्यक होगा।

श्री उमीत सैन नेगी, सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई, कस्टम्स जोन-1 ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा परिकल्पित प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) कार्यक्रम के लाभ तथा उसमें नामांकित कराने की क्रियाविधि से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जानकारी दी कि इस एईओ का शुभारंभ वर्ल्ड कस्टम्स आर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित" सेफ फ्रेमवर्क" के अनुसार तत्कालीन सीबीईसी द्वारा किया गया था और यह कि सीबीआईसी ने एक विकसित स्कीम शुरू की जिसमें अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला की विभिन्न कड़ियों जैसे आयातकों, निर्यातकों, भंडागार मालिकों, कस्टम्स ब्रोकरों, फ्रेट फारवर्डरों एवं कैरियर्स को शामिल किया गया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जिन निकायों को एईओ का दर्जा प्राप्त है उन्हें "सुरक्षित व्यापारी" और एक भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार के रूप में माना जाता है। एईओ कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त गुणवत्ता संकल्पना युक्त व्यवसाय प्रदान करता है और सुरक्षा के प्रति उनकी वचनबद्धता तथा आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्टेजों का संकेत भी

श्री राम मोहन राव, संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क, एईओ कार्यक्रम के नोडल अधिकारी ने प्रतिभागियों को एईओ में नामांकन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया और उल्लेख किया कि एईओ में आवेदन करने के लिए किसी तरह का नामांकन प्रभार नहीं लिया जाता है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, हांगकांग जैसे विभिन्न देशों के साथ परस्पर अभिज्ञान करार (एमआरए) किए हैं और इन करारों के अनुसार एईओ स्टेटस धारक भारतीय निर्यातकों को उन देशों के सीमा शुल्क द्वारा अपने आयातित माल की त्वरित क्लीयरेंस प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एईओ तथा लाभ के संबंध में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर प्रतिभागियों से परस्पर बातचीत भी की।

सुश्री एम.एल. भाटे क्षेत्रीय अध्यक्ष ईपीसीईएस - सीप्ज-एसईजेड द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस कार्यशाला का समापन हुआ। उन्होंने श्री बलदेव सिंह, विकास आयुक्त, सीप्ज - एसईजेड तथा सीमाशुल्क आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इस स्कीम को समझने में यूनिटों को एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।

9. ईपीसीईएस, क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा में दिनांक 12 जून, 2018 को महिला सुरक्षा के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

ईपीसीईएस, क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा ने एनएसईजेड में स्थित इकाइयों की महिला कर्मचारियों की रक्षा, सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के लिए दिनांक 12 जुलाई, 2018, शुक्रवार को नोएडा सम्मेलन कक्ष नोएडा में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 80 से अधिक महिला कर्मचारियों/ अधिकारियों ने प्रतिभागिता की।

डा. रिता गुप्ता, एनजीईओ जिन्होंने अथवा महिला समिति का प्रतिनिधित्व किया, प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए

प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए डा. एल.बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने जानकारी दी कि एनएसईजेड में आयोजित किया जा रहा है। यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। उन्होंने बल दिया कि महिला कर्मचारी के लिए इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाना उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उल्लेख किया कि डीसी, एनएसईजेड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले उत्तरी भारत के अन्य एसईजेडों में यदि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है तो उन्हें इसकी प्रसन्नता होगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक दृश्य

प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक दृश्य

डा. दिव्या गुप्ता (एमडी) स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं श्री राजेन्द्रन नायर, प्रमुख प्रशासन एवं कारपोरेट कार्य, टाटा पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जिन्होंने एक एनजीओ उत्थान महिला समिति का प्रतिनिधित्व किया, ने महिला कर्मचारियों को उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति शिक्षित करने का अवसर देने के लिए डा. एन.बी. सिंघल को धन्यवाद दिया। डा. गुप्ता ने जानकारी दी कि वैयक्तिक सुरक्षा हिंसा अवचेतन मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रैक्टिस है ताकि महिलाएं हर परिस्थिति में अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो सकें। इससे उन्हें समस्या समाधान करने की तकनीकी भी प्राप्त होती है जो औसत कामकाजी महिला के लिए जरूरी होती है।

डा एन.बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त एसईईपीजेड, श्री राजेन्द्रन नायर, प्रमुख, प्रशासन एवं कारपोरेट कार्य, टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड तथा अन्य प्रतिभागियों के साथ

श्री राजेन्द्रन नायर ने जानकारी दी कि उनके अभिप्रेरक, मार्गदर्शक एवं उनके जानगुरु डा. सत्यपाल सिंह (भूतपूर्व पुलिस आयुक्त, मुंबई) एवं मौजूदा केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं। श्री नायर ने संपूर्ण भारत में 125000 से अधिक महिलाओं को व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया है और उनके विद्यार्थियों ने महाराष्ट्र गुजरात एवं बंगलौर की 2 लाख से अधिक जनजातीय महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रशिक्षित किया है।

सभी प्रतिभागियों ने सराहना की और 100 प्रतिशत फीडबैक प्रदान किया।

10. ईपीसीईएस के औपनिवेशकृत क्षेत्रीय कार्यालय – एमईपीजेड – एसईजेड का दिनांक 13 जून, 2018 को उद्घाटन समारोह

ईपीसीईएस एमईपीजेड – एसईजेड में दिनांक 13 जून, 2018 को एमईपीजेड के परिसर में स्थित चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय में ईओयू एवं एसईजेड की एक बैठक का आयोजन किया। श्री डी. आनन्दन, आईएएस, जेडीसी, एमईपीजेड – एसईजेड ने एमईपीजेड – एसईजेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। ईओयू एवं एसईजेड से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

श्री आनन्दन, संयुक्त विकास आयुक्त, ईपीसीईएस सदस्यों के साथ अनौपचारिक वार्ता करते हुए

(मध्य में) श्री डी. आनन्दन, संयुक्त विकास आयुक्त, एमईपीजेड-एसईजेड, ईपीसीईएस के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करते हुए

11. महिला अधिकार एवं सुरक्षा पर सीप्ज़-एसईज़ेड में दिनांक 18 जून, 2018 को एक संगोष्ठी का आयोजन

ईपीसीईएस ने विकास आयुक्त सीप्ज़-एसईज़ेड के साथ मिलकर [illegible] बिल्डिंग सीप्ज़-एसईज़ेड के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 18 जून, 2018 को "महिला अधिकार एवं सुरक्षा" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

इस सत्र की अध्यक्षता सुश्री संगीता शर्मा, आईआरएस मुख्य आयुक्त, जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई ने की। मंच पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री डी. पी. शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़ - ईपीसीईएस के स्थानापन्न अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष ईपीसीईएस शामिल रहे।

श्री डी. पी . शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त सीप्ज़-एसईज़ेड ने ईपीसीईएस द्वारा महिला अधिकार एवं सुरक्षा जैसे संगत मुद्दे पर संगोष्ठी का आयोजन करने के लिए ईपीसीईएस प्रशासन की सराहना की एवं उसके प्रति आभार व्यक्त किया। वह प्रतिभागियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी देखकर खुश थे और उन्हें सलाह दी कि वे प्रख्यात व्यक्तियों को ध्यान से सुनें।

श्रीमती संगीता शर्मा, आईआरएस, मुख्य आयुक्त, जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुंबई ने अपने उद्बोधन में महिला अधिकार एवं सुरक्षा जैसे अत्यधिक संवेदनशील एवं समसामयिक मुद्दे पर संगोष्ठी आयोजित करने की पहल करने पर ईपीसीईएस की सराहना की क्योंकि देश की महिला कर्मचारियों में इस विषय पर जागरूकता सृजित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हमारी सरकार ने किस तरह सुविचारित एचआर नीतियों से तथा कई महिला एवं बाल उन्मुखी स्कीमों से महिलाओं के नियोजनकर्ता के रूप में उदार भूमिका अदा की है, जिसे बोर्ड के सभी संगठनों में अनुकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय दंड संहिता एवं अन्य कानूनों में मौखिक दुर्व्यवहार तथा हावभाव अथवा महिला की शालीनता को अपमानित करने वाले किसी अन्य मामले की रिपोर्ट किए जाने के प्रावधान की सभी प्रतिभागियों को जानकारी दी। अपने निष्कर्ष में उन्होंने सभी महिला प्रतिभागियों को जागरूक बनाने, आत्मरक्षा होने, निर्भीक बनने तथा अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज मुखर करने हेतु साहस जुटाने की प्रेरणा दी।

यह संगोष्ठी अत्यधिक सूचनाप्रद रही और सभी प्रतिभागियों ने महिलाओं पर हिंसा, प्रताड़ना, महिलाओं के मूल अधिकारों के उल्लंघन, उनकी समानता के अधिकार एवं जीवन रक्षा तथा मर्यादा का उल्लंघन के संबंध में दी गई जानकारी एवं ज्ञान की सराहना की। स्थानापन्न अध्यक्ष ईपीसीईएस द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही यह सत्र सम्पन्न हो गया।

11क. ईपीसीईएस एवं जीजेईपीसी द्वारा जयपुर में दिनांक 19 जुल, 2018 को आयोजित राजस्थान के ईओयू एवं एसईज़ेड के साथ ओपन हाउस वार्ता

ईपीसीईएस क्षेत्रीय कार्यालय ने रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के सहयोग से ईओयूएस एसईज़ेड के एक परस्पर-वार्ता सत्र का आयोजन दिनांक 19.07.2018 को जयपुर में किया। इस सत्र की अध्यक्षता डा. एल.बी. सिंघल, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा एसईज़ेड ने की। डा. एल.बी. सिंघल, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा एसईज़ेड ने अपने उद्बोधन में एसईज़ेड स्कीम के बारे में संक्षेप में बताया। इसके अतिरिक्त, डा. सिंघल ने यह भी कहा कि एसईज़ेड अधिनियम एवं एसईज़ेड नियम को क्रमशः 2005 तथा 2006 में प्रचालनात्मक बनाया गया था। उन्होंने कहा कि निर्यात, जो वर्ष 2005-06 में 22840 करोड़ रुपये के हुए थे, बढ़कर वर्ष 2017-18 में 581033 करोड़ रुपये के हो गए। अब एसईज़ेड सेक्टर 1977216 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजित कर रहा है। उन्होंने सूचित किया कि क्षेत्रीय डीसी नोएडा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एसईज़ेड में 739 प्रचालनात्मक यूनिटें हैं। डीसी, एनएसईज़ेड, नोएडा के क्षेत्राधिकार वाले सभी एसईज़ेड से वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 57569.61 करोड़ रुपये का निर्यात, कुल 36580.93 करोड़ रुपये निवेश और वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 333542 रोजगार सृजन हुआ।

डा. एल.बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त,
एनएसईज़ेड प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए

क्षेत्रीय विकास आयुक्त ने उल्लेख किया कि राजस्थान एसईज़ेड से वर्ष 2017-18 के दौरान 2596.81 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जुलाई, 2003 में सीतापुरा में एक एसईज़ेड की स्थापना की गई थी और यह 2004 में प्रचालनरत हो गया था परंतु यह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। तथापि, उन्होंने आश्वस्त किया कि उनका कार्यालय राजस्थान के एसईज़ेड सेक्टर में निर्यात बढ़ाने के लिए पूरी सहायता प्रदान करेगा।

डा. एल.बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त ने सूचित किया कि भारत सरकार ने उनकी अध्यक्षता में तीन समितियां गठित की हैं।

- एसईज़ेड नियम में संशोधन के लिए समिति
- एसईज़ेड एवं एसटीपी में सेवा निर्यात मॉनिटर करने हेतु समिति
- एसईज़ेड के कार्यनिष्पादन पर पीएसी के पर्यवेक्षण के लिए समिति

इसके आगे, उन्होंने यह सूचित किया कि समिति की सिफारिशों के आधार पर शीघ्र ही आवश्यक संशोधन किए जाने की संभावना है।

क्षेत्रीय विकास आयुक्त ने यह भी जानकारी दी कि वाणिज्य विभाग ने बाबा कल्याणी, अध्यक्ष, भारत फोर्ज की अध्यक्षता में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए जून, 2018 में प्रख्यात व्यक्तियों का एक समूह गठित किया है। यह ग्रुप 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

श्री भुवनेश सेठ, क्षेत्रीय अध्यक्ष, ईपीसीईएस ने अपने स्वागत उद्बोधन में डा. एल. बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा को जयपुर में इस अन्योन्य सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इस अन्योन्य सत्र में प्रतिभागिता करने के लिए श्री वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त डीजीएफटी, जयपुर को भी धन्यवाद दिया। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि वाणिज्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें एसईज़ेड यूनिटों तथा एसईज़ेड विकासकर्ताओं से परिषद की सदस्यता लेने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने सभी एसईज़ेड यूनिटों/एसईज़ेड विकासकर्ताओं से परिषद का सदस्य बनने के लिए अनुरोध किया ताकि ईओयू/एसईज़ेड के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सके।

प्रतिभागियों का एक दृश्य

श्री एस.डी. अग्रवाल, सीमाशुल्क आयुक्त, जयपुर ने सम्बोधित करते हुए कहा कि कागजी कार्य के स्थान पर अधिकतम कार्य ऑनलाइन किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके आगे, उन्होंने कहा कि निर्यातक प्राधिकृत आर्थिक प्रचालन (एईओ) स्कीम के अन्तर्गत स्वयं को पंजीकृत करा सकते हैं। इसके कई लाभ हैं जिसमें माल की द्रुत निकासी शामिल है। जीजेईपीसी के प्रतिनिधियों ने ड्रग नियंत्रक दिल्ली के कार्यालय से आभूषण विनिर्माण में प्रयोग किए जाने वाले रसायन के लिए अनुमति देने में विलंब का मुद्दा उठाया।

उन्होंने रत्न एवं आभूषण परिषद को रसायनों की सामान्य सूची तैयार करने एवं उसका अध्ययन करने का सुझाव दिया ताकि ड्रग नियंत्रक के कार्यालय से सामान्य अनुमोदन लिया जा सके।

प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए श्री वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त डीजीएफटी जयपुर ने निर्यात संवर्धन के लिए डीजीएफटी कार्यालय द्वारा लिए गए विभिन्न व्यापार सुविधा उपायों के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने यह भी सूचित किया कि राजस्थान सरकार, राजस्थान से निर्यात बढ़ाने के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद का गठन करने जा रही है।

श्री विजय गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एनएसईपीजेड ने एसईजेड यूनिटों को एनएसईपीजेड से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसके पश्चात, उन्होंने यह भी सूचित किया कि एसईजेड यूनिटों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का निवारण करने के लिए नोएडा एसईजेड में एक अधिकारी (सुश्री टैरेसा जोसेफ) की तैनाती की गई है। पुनश्च, उन्होंने यह भी सूचित किया कि यदि समय पर जवाब नहीं मिलता है तो वह फोन नम्बर एवं ई-मेल आईडी परिचालित करेंगे जिससे मामले को आगे बढ़ाया जा सके।

श्री चिन्मय कोपेकर, कैटेगरी प्रबंधक एवं श्री प्रतीक गुप्ता, मैसर्स अमेजान सेलर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड भारत ने ई-कॉमर्स के जरिए बीटूसी निर्यात के बारे में आमूलन निर्यातकों एवं विनिर्माताओं को जानकार बनाने के लिए एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने यह भी कहा कि अमेजान ग्लोबल का इरादा ई-कॉमर्स के जरिए यूएसए, यूरोप तथा विश्व की अन्य प्रमुख बाजारों में अपना निर्यात बढ़ाने का है। उन्होंने सूचित किया कि ओवरसीज बाजार में भारतीय माल की भारी मांग है और ई-कॉमर्स विक्रेता को अपने उत्पाद ऑनलाइन प्रदर्शित करने और न्यूनतम लागत पर अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

यूनिटों ने परिचर्चा सत्र में विचार-विमर्श के लिए कई मुद्दे उठाए। विकास आयुक्त, एनएसईजेड, आयुक्त, सीमाशुल्क एवं उपाध्यक्ष एनएसईपीजेड ने विभिन्न मुद्दों का समझदारी से उत्तर दिया तथा कई मुद्दों को तो तत्काल हल कर दिया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत यह सत्र सम्पन्न हुआ।

12. बैंकाक, थाईलैंड में 20-23 जून, 2018 को आयोजित "मैन्यूफैक्चरिंग एक्सपो थाईलैंड" में ईपीसीईएस की प्रतिभागिता

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विदेश में आयोजित व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता करने के लिए ईपीसीईएस की कार्ययोजना 2018-19 को बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित कर दिया। तदनुसार, ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) ने 22 भारतीय निर्यातक कंपनियों के साथ बैंकाक, थाईलैंड में 20 से 23 जून, 2018 के बीच आयोजित किए गए मैन्यूफैक्चरिंग एक्सपो, 2018 में प्रतिभागिता की।

इस बहु-उत्पाद व्यापार मेले "मैन्यूफैक्चरिंग एक्सपो 2018" का आयोजन 20 से 23 जून, 2018 के बीच, बैंकाक इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्जिबिशन सेंटर (बीआईटीईसी), बैंकाक, थाईलैंड में किया गया था। इस मेले में कुल 849 प्रदर्शकों एवं 67 प्रदर्शक देशों ने प्रतिभागिता की थी। इस मेले का आयोजन 41209 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में किया गया था और इस मेले में 90769 आगन्तुक आए। इस मेले के दौरान लगभग 1600 बिजनेस मैचमेकिंग किया गया।

भारतीय पंडाल का एक दृश्य

इस मेले की प्रमुख हाइलाइट्स थी : सोफिया रोबोट – उद्योग का 4.0 को सम्परिवर्तन; एसआई समुदाय मंच – ऑटोमेशन उत्पाद लाइन के बारे में ज्ञान का आदान-प्रदान करता अग्रिम का अग्रणी सिस्टम इन्टीग्रेटर्स प्लेटफार्म; रोबोट क्लस्टर पवेलियन – रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन निवेश के बारे में संगोष्ठी, कार्यशालाओं और मैचिंग से परामर्श प्राप्त करें; पेंटिंग ज़ोन – सम्बंधित क्वालिटी का पेन्टिंग समाधान, सरफेस ट्रीटमेंट पर रंग एवं ज्ञान का प्रयोग एवं कोटिंग्स, सरफेस एवं कोटिंग्स शोकेस – भविष्य की सरफेस एवं कोटिंग ट्रेंड्स तथा प्रौद्योगिकी की एक झलक; मेट्रोलॉजी ज़ोन – अद्यतन मेट्रोलॉजी प्रौद्योगिकी से उच्चतर विनिर्माण प्रिसीज़न प्राप्त करना; कटिंग टूल्स ज़ोन- अग्रणी कटिंग टूल्स प्रदाताओं का विशाल शोकेस, जिसमें टूल्स के अंतिम कार्यनिष्पादन को दर्शाया गया था; प्लास्टिक

आसूचना एवं नवोन्मेषण ज़ोन – जापान के अग्रणी प्रदायकों द्वारा प्लास्टिक उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी; रसायन एवं कच्चा माल ज़ोन – रेज़िन, रंग एवं संयोजक जैसे कच्चे माल एवं रसायनों का शोकेस; कोमा टाइकेन – स्पिन टाप चैम्पियन शिप जिसका विक्रेतागण अपने-अपने प्रतिद्वन्दी को हराने के लिए उच्च अभिव्यक्ति कौशल का प्रयोग करते हैं।

भारतीय पवेलियन पर दर्शकगण

चूंकि यह मेला "मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो 2018" एक बहु उत्पाद व्यापार मेला था, इसलिए इस प्रदर्शनी में कवर किए गए उत्पादों में टूल्स एवं टूलिंग : सीमेन्टेड कार्बाइड टूल्स, सिरेमिक, सेरमेट टूल्स, कटिंग टूल्स, डायमंड एवं सीबीएन टूल्स, हाई स्पीड स्टील टूल्स, टूल मटीरियल; प्लास्टिक, मोल्ड एवं डाई, मशीनरी एवं उपकरण, संघटक, पार्ट्स, अर्ध परिष्कृत उत्पाद, औद्योगिक ऑटोमेशन, मापन, कन्ट्रोल एवं परीक्षण, सेवा, ग्रीन ज़ोन, रसायन एवं कच्चा माल, ऑक्ज़ीलरीज़, कम्पोज़िट एवं हाई परफार्मेंस मटीरियल, मोल्ड एवं डाई के लिए मशीन, मोल्ड मटीरियल एवं कम्पोनेंट, मशीन टूल असेंबली, टूल्स एवं टूलिंग, प्रिसीज़न मीज़रिंग, ऑप्टिकल मीज़रिंग एवं टेस्टिंग मशीन एंड इन्स्ट्रूमेंट, मोल्ड रिपेयर एवं अनुरक्षण, मोल्ड डिज़ाइन एवं इंजीनियरिंग, असेम्बली ऑटोमेशन एवं विनिर्माण; असेम्बली टेक्नालॉजी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ड्राइव एवं मोशन, विद्युत परिचालन, सूचना प्रौद्योगिकी, मटीरियल हैंडलिंग, रक्षा एवं सुरक्षा, मशीन, सरफेस टेक्नालॉजीज़, उत्पाद विकास, इंट्रा पैकेजिंग, प्लास्टिक मोल्ड, सरफेस एवं कोटिंग : कैमिकल एवं कच्ची सामग्री, कोटिंग उत्पाद, ऑटोमेशन प्रणाली, मशीनरी एवं उपकरण, मैकेनिकल फिनिशिंग, मेट्रोलॉजी एवं परीक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा, ऑटोमोटिव; ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स : इंट्रा पैकेजिंग, रक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि।

भारतीय कम्पनियों के कुछ स्टॉल

कई विदेशी प्रदर्शकों एवं भारतीय निर्यातकों ने अपने उत्पाद एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया। इस मेले में विदेशी व्यावसायियों, निवेशकों एवं क्रेताओं तथा भारी संख्या में भारतीय निर्यातकों ने भाग लिया।

सभी प्रतिभागियों तथा दर्शकों ने इस मेले की सराहना की। यूनिटों को इस मेले से अधिकतम बिजनेस मिला।

भारतीय कंपनियों के कुछ स्टॉल

लगभग एक लाख व्यक्ति इस मेले में आए और भारतीय उत्पादों अर्थात भारतीय टेक्सटाइल मदों, चादरों, किचनवेयर, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मदों तथा घरेलू उपयोग की अन्य मदों की सराहना की। प्रतिभागियों ने ईपीसीईएस से निर्यात संवर्धन करने के लिए इस मेले में भविष्य में भी नियमित प्रतिभागिता करने का अनुरोध किया ताकि एमएआई लाभ उठाया जा सके।

ईपीसीईएस की प्रतिभागिता का उद्देश्य भारत से निर्यात संवर्धन करने के लिए नई बाजारों की तलाश करना तथा भारत में एसईजेड में विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए विदेशों में भारत की एसईजेड स्कीम की संकल्पना को प्रचारित करना था।

इस मेले में कुल 849 स्टॉल थे जिनमें गृह सज्जा, डिजाइन एवं टूल्स एंड टूलिंग; प्लास्टिक; मोल्ड एंड डाई; असेम्बली ऑटोमेशन एवं मैन्युफैक्चरिंग; सरफेस एंड कोटिंग; ऑटोमेटिव, इंटर पैकेजिंग, रक्षा एवं सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अपने उत्पादों का इस मेले में प्रतिभागिता करने वाली यूनिटों ने प्रदर्शन किया।

मेले में सृजित व्यवसाय/प्रेक्षण : भारतीय प्रदर्शकों जिन्होंने ईपीसीईएस की छत्रछाया में प्रतिभागिता की थी उनसे अलग-अलग फीड बैक रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिभागियों से प्राप्त इन रिपोर्टों के आधार पर यह उल्लेख किया जाता है कि इस मेले के दौरान सभी प्रतिभागियों को बहुत अच्छा बिज़नेस मिला तथा उन्होंने चाईनीज़ की विभिन्न कंपनियों के साथ विभिन्न करार/व्यवस्थाएं कीं।

पुन: यह उल्लेख किया जाता है कि इस मेले में अनेक विदेशी क्रेताओं एवं व्यावसायियों ने भ्रमण किया था और उनके साथ भारतीय प्रदर्शकों द्वारा काफी उपयोगी चर्चा की गई। प्रतिभागियों को भारी संख्या में पूछताछ भी प्राप्त हुई, जिनके संबंध में बातचीत जारी है।

13. एसईज़ेड पर बाबा कल्याणी की रिपोर्ट – 22 जून, 2018 नई दिल्ली

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, वाणिज्य विभाग द्वारा भारत की विशेष आर्थिक ज़ोन नीति का अध्ययन करने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया गया था।

उपर्युक्त समूह की पहली बैठक उद्योग भवन, नई दिल्ली में दिनांक 22 जून, 2018 को आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने की तथा श्री सी. आर. चौधरी, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, वाणिज्य सचिव, सुश्री रीता तेवतिया, आईएएस, श्री अनूप वधावन, आईएएस, श्री बी. बी. स्वैन, आईएएस, अपर सचिव और श्री टी. वी. रवि, निदेशक एसईज़ेड आदि ने इस बैठक में प्रतिभागिता की।

उद्योग जगत से नामित जिन सदस्यों ने भाग लिया उनमें शामिल हैं श्री बाबा कल्याणी, अध्यक्ष, भारत फोर्ज, समूह के अध्यक्ष, श्री नील रहेजा, ग्रुप अध्यक्ष, के रहेजा ग्रुप, श्री अरुण मिश्र, प्रबंध निदेशक टाटा स्टील, एसईज़ेड और श्री श्रीकांत बाडिगा, निदेशक हैदराबाद फीनिक्स डेवलपर। डा. विनय शर्मा को ईओयू एवं एसईज़ेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य को-आप्ट किया गया।

माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने समिति को सम्बोधित करते हुए इस विशेष समूह के गठन की पृष्ठभूमि के बारे में बताते हुए कहा कि एसईज़ेड एक अच्छी स्कीम है परन्तु इस स्कीम के लाभों का पूर्ण उपयोग करने में अभी भी कुछ खामियां हैं। उन्होंने समिति से पूछा कि वह बताएं कि एसईज़ेड की खाली पड़ी ज़मीन का उपयोग कैसे किया जाए, डब्ल्यूटीओ मानकों का अनुपालन कैसे बनाए रखा जाए, कैसे अधिकाधिक रोज़गार सृजित किया जाए, हालांकि देश के कुल निर्यात में से 30 प्रतिशत निर्यात एसईज़ेड से होता है फिर भी इस निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए क्योंकि इसमें वृद्धि करने की संभावना अभी भी है। श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने समिति से कहा कि वह अपनी रिपोर्ट अति शीघ्र प्रस्तुत करे ताकि यह मंत्रालय उसकी जांच कर सके और यह इसे वित्त मंत्रालय और ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ व्यक्तिगत रूप से उठाएंगे। श्री बाबा कल्याणी ने उन्हें आश्वस्त किया कि समिति 31 अगस्त, 2018 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

समिति ने यह रिपोर्ट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग को सौंप दी है और उस पर विचार किया जा रहा है।

14. यूरोप में तैनात वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के लिए भारतीय विदेश सेवा संस्थान द्वारा दिनांक 25 से 29 जून, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम

विदेश सेवा संस्थान (एफएसआई) ने यूरोप में तैनात अपने वाणिज्यिक प्रतिनिधियों (सीआर) के लिए 25 से 29 जून, 2018 तक की अवधि के दौरान नई दिल्ली में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ऐसा प्रस्ताव किया गया कि वह अपने सीआर का निर्यात संवर्धन परिषदों के विभिन्न प्रमुखों से परस्पर वार्ता कराएगा ताकि उन्हें उनकी ज़रूरतों एवं उम्मीदों से अवगत कराया जा सके।

ईपीसीईएस की ओर से स्थानापन्न अध्यक्ष एवं उपमहानिदेशक ईपीसीईएस ने इस परस्पर वार्ता बैठक में प्रतिभागिता की। स्थानापन्न अध्यक्ष ने वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को ईओयू एवं एसईजेड के निर्यात निष्पादन, भारत में एसईजेड की मौजूदा स्थिति, भारत में एसईजेड स्कीम के अंतर्गत प्राप्त लाभ की अद्यतन जानकारी देने के लिए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण किया। स्थानापन्न अध्यक्ष ने सभी वाणिज्यिक प्रतिनिधियों से विदेशी निवेशकों के साथ वार्ता करने एवं भारत में एसईजेड में विकासकर्ता, सह-विकासकर्ता अथवा यूनिट के रूप में निवेश करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया। उन्होंने वाणिज्यिक प्रतिनिधियों से पुनः अनुरोध किया कि एमएसएमई के लिए बाजार सृजित करें तथा हस्तशिल्प, चर्म एवं अन्य सेक्टर के बारे में उन्हें जानकारी दें जहां स्थानीय लोगों एवं दस्तकारों को रोजगार उपलब्ध हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बेहतर समन्वयन के लिए विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों तथा ईपीसी के बीच अधिक सम्प्रेषणमार्ग सृजित किया जा सकता है।

15. **निर्यात सुगमीकरण प्रकोष्ठ (ईएफसी) तथा एसईजेड में लघु क्लस्टर की शुरुआत की पहली तिमाही बैठक 28 जून, 2019 को कोलकाता में आयोजित की गई।**

(बैठक का एक दृश्य)

ईपीसीईएस के सहयोग से फाल्टा एसईजेड, सिडो, डीजीएफटी, ईसीजीसी, एक्जिम बैंक, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग एसोसिएशनों आदि ने सभी स्टेकहोल्डरों को शामिल करके ईएफसी की प्रथम तिमाही बैठक में प्रतिभागिता की जिसका आयोजन 28 जून, 2019 को ईईपीसी इंडिया, कोलकाता के सम्मेलन कक्ष में किया गया था। इस बैठक का उद्देश्य एमएसएमई सेक्टर में निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना तथा उद्योग एसोसिएशनों की सक्रिय प्रतिभागिता से एसईजेड में लघु क्लस्टर की शुरुआत करना था।

इस बैठक के प्रारंभ में, श्री अजोय बन्द्योपाध्याय, निदेशक, एमएसएमई-डीआई कोलकाता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अपना-अपना परिचय देने के सत्र के उपरांत बैठक प्रारंभ हुई। श्री जी. पोद्दार, सहायक निदेशक, एमएसएमई-डीई, कोलकाता ने एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण देकर सदस्यों के समक्ष ईएफसी के कार्यों का स्पष्ट विवरण दिया। ईएफसी की वर्ष 2019-20 के लिए कार्ययोजना का भी विवरण दिया गया और सभी स्टेकहोल्डरों से विकास आयुक्त (एमएसएमई), नई दिल्ली द्वारा उन्हें सौंपे गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण साथ एवं सहयोग देने की अर्ज की गई।

(बैठक का एक दृश्य)

श्री यू. के. आचार्य, डीजीएफटी कोलकाता, ने एमएसएमई-डीआई कोलकाता द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और सभी सदस्यों से अपील की कि वे एमएसएमई सेक्टर में निर्यात संवर्धन के लिए अपने विचारों से अवगत कराएं और यदि किसी की कोई शिकायत हो तो उससे भी इस विभाग को अवगत कराएं ताकि निर्यात वृद्धि करने के लिए शिकायतों का समाधान करने हेतु बैठक का आयोजन किया जा सके। यह भी आश्वस्त किया गया कि डीजीएफटी के प्राधिकारी सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा उनको सभी सहायता एवं सहयोग देंगे।

श्री के. अजनेय्याह, उप-विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड कोलकाता ने एसईजेड में लघु क्लस्टर को शामिल किए जाने के लिए मिलकर काम करने हेतु अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और उन्होंने सभी उद्योग एसोसिएशनों से अपील किया कि एसईजेड में लघु क्लस्टर का गठन किए जाने की योजना बनाएं क्योंकि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सद्प्रयासों से उनके लिए भूमि उपलब्ध है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि त्रिपुरा और झारखंड राज्यों में अतिशीघ्र दो नए एसईजेड बनाए जाएंगे। चूंकि फाल्टा एसईजेड एक बहु-उत्पाद एसईजेड है, इसलिए विभिन्न सेगमेंटों में लघु क्लस्टर की शुरुआत करने का स्कोप है।

डा. सव्यसाची घोष, क्षेत्रीय निदेशक, ईओयू एवं एसईजेड के लिए ईपीसी, कोलकाता ने बताया कि भारत के बाहर स्थित सभी निर्यात संवर्धन परिषदों के सदस्यों को आयोजन संवर्धन के अलावा अपनी निजी स्कीमों के जरिए बी2बी के लिए सभी सदस्यों को एमएसएमई सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय रूप से अधिक व्यवसाय आमंत्रित करने के लिए एमएसएमई की आईसी स्कीम का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

सभी उद्योग एसोसिएशनों एवं ईपीसी के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी समस्याओं का उल्लेख किया और एमएसएमई की विभिन्न स्कीमों को जानने के लिए सकारात्मक इच्छा व्यक्त की ताकि सभी सदस्य सभी स्कीमों का लाभ उठा सके और उन्होंने एमएसएमई-डीआई कोलकाता से अर्ज किया कि सभी संबंधित सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित करें। वे सभी एमएसएमई सेक्टर में निर्यात वृद्धि हेतु अपना सहयोग देंगे।

श्री एस. मुखोपाध्याय, सहायक निदेशक, एमएसएमई, डीआई कोलकाता द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही यह बैठक सम्पन्न हो गई।

16. सीमाशुल्क आयुक्त के साथ दिनांक 28 जून, 2018 को कोचीन में बैठक

क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस सीएसईजेड ने श्री एन.एन. मेनन, अध्यक्ष ईपीसीईएस के एडवाइज़र के साथ मिलकर ईओयू द्वारा अपने आयात/निर्यात प्रचालनों के दौरान सामना की जा रही दिन-प्रतिदिन की प्रचालनात्मक एवं प्रक्रियात्मक समस्याओं के निराकरण पर चर्चा करने के लिए गुरुवार दिनांक 28 जून, 2018 को सीमाशुल्क/प्रिवेन्टिव आयुक्त से भेंट की। कमिश्नर के अलावा ईओयू का काम देखने वाले कस्टम्स/प्रिवेन्टिव के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा श्री साजू के. सुन्दरन, उप-विकास आयुक्त सीएसईजेड यूनिटों द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायतों का समाधान करने के लिए मौजूद थे।

क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस सीएसईजेड ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और सीएसईजेड से निर्यात निष्पादन के योगदान में ईओयू की भूमिका एवं महत्व पर प्रकाश डाला। प्रतिभागीगण मुख्यतः इस समय बी-7 बांड में आवश्यक बैंक गारंटी की अपेक्षा तथा बांड पर क्रेडिट की अनुमति निर्यात होने के पश्चात देने के संबंध में प्रक्रियात्मक स्पष्टीकरण के बारे में चिन्तित थे।

सीमाशुल्क आयुक्त ने प्रतिभागियों की चिन्ता का समाधान किया और उन्हें अपनी ओर से सभी सहायता देने का आश्वासन दिया तथा इस मुद्दे को सीबीईसी प्राधिकारियों के साथ उठाने पर सहमति व्यक्त की।

इस बैठक की सदस्यों ने भूरि-भूरि सराहना की क्योंकि इससे प्राधिकारियों के साथ आमने-सामने बातें करने का अवसर प्राप्त हुआ। आयुक्त महोदय ने अपने भाषण में यह भी संकेत दिया कि वह इस प्रकार के परस्पर वार्तालापों के लिए डीजीएफटी जैसे उच्च प्राधिकारियों को आमंत्रित करके बड़े पैमाने पर पूर्ण सहायता देंगे।

17. एसईजेड/ईओयू एवं नवीन अद्यतनीकृत एनएसडीएल एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम पर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण तथा ईपीसीईएस सदस्यता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 28 जून, 2018 को कोलकाता में किया गया।

ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) क्षेत्रीय कार्यालय, फाल्टा एसईजेड ने पूर्वी क्षेत्र के अपने सदस्यों की मांग पर एनएसडीएल एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम पर एक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया क्योंकि अभी हाल ही में सिस्टम में नवीन विकास एवं अपडेट्स हुए और यूनिटों को दिन-प्रतिदिन व्यवसाय में दिक्कतों/समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तदनुसार, एनएसडीएल एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम पर एक कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 20 जुलाई, 2018 को सम्मेलन कक्ष मणिकांचन, एसईजेड विकास आयुक्त, साल्टलेक कोलकाता के कार्यालय में किया गया।

श्री श्रीरूप हालदार, एनएसडीएल, पूर्वी क्षेत्र के प्रतिनिधि ने निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर प्रशिक्षण दिया :

- एसईजेड ऑनलाइन नवीन विकास
- एसईजेड ऑनलाइन के साथ ईडीआई समेकन
- एसईजेड ऑनलाइन में कस्टम मॉड्यूल
- एसईजेड ऑनलाइन में प्रशासनिक मॉड्यूल

इस कार्यशाला में सहायक सीमा शुल्क आयुक्त तथा एसईजेड में तैनात अन्य सीमा शुल्क अधिकारियों ने प्रतिभागिता की। डा. सव्यसाची घोष, क्षेत्रीय निदेशक ईपीसीईएस फाल्टा एसईजेड ने मौजूद यूनिटों को सूचित किया कि इकाइयां परिषद का सदस्य बनकर ढेर सारे लाभ एवं सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं। उपस्थित यूनिटों ने ईपीसीईएस द्वारा दी गई जानकारी तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की सराहना की।

18. टोक्यो, जापान में 4 से 6 जुलाई, 2018 को आयोजित लाइफ स्टाइल एक्सपो, 2018 में ईपीसीईएस की प्रतिभागिता

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता करने के लिए बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के अंतर्गत ईपीसीईएस की वर्ष 2018-19 के लिए कार्ययोजना को स्वीकृति दे दी। तदनुसार, ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस) ने भारतीय निर्यातक कंपनियों के साथ 4 से 6 जुलाई, 2018 को टोक्यो, जापान में आयोजित किए गए "लाइफ स्टाइल एक्सपो, 2018" में प्रतिभागिता की। ईपीसीईएस की ओर से श्री टी.टी. रवि, महानिदेशक,

इस मेले से पहले, 3 जुलाई, 2018 को महानिदेशक, ईईपीसीइंडिया तथा उप-महानिदेशक, ईईपीसीइंडिया ने टोक्यो जापान में भारत के राजदूतावास टोक्यो में भारतीय मिशन के उप-प्रमुख तथा टोक्यो जापान में भारत के प्रथम वाणिज्यिक सचिव से मुलाकात की और उन्हें मेले, ईईपीसीइंडिया की गतिविधियों, शामिल उत्पादों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। महानिदेशक ने ईईपीसीइंडिया न्यूज, ईईपीसीइंडिया ब्रोशर का अद्यतन संस्करण भारतीय राजदूतावास के अधिकारियों को भेंट किया।

दाएं से बाएं : डा. सत्यपाल कुमार, प्रथम सचिव (व्यापार) श्री राज कुमार श्रीवास्तव जापान में भारत के उप-मिशन प्रमुख, श्री टी.डी. टॉ, महानिदेशक ईईपीसीइंडिया और श्री आशय गिरि उप-महानिदेशक, ईईपीसीइंडिया

श्री राज कुमार श्रीवास्तव, उप-मिशन प्रमुख, जापान में भारतीय राजदूतावास ने बैठक के दौरान सुझाव दिया कि ईईपीसीइंडिया को एमएसएमई सेक्टर के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि पात्र कंपनियों को अधिकतम सब्सिडी मिल सके। इसके पश्चात् उन्होंने सुझाव दिया कि इस मेले की तथा मेले के आउटकम और सृजित व्यवसाय या हस्ताक्षरित एमओयू की रिपोर्ट जापान में भारतीय राजदूतावास के साथ शेयर की जाए ताकि राजदूतावास इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर सके और उन फास्ट क्षेत्रों एवं उत्पादों की पहचान कर सके जिनकी मांग है और देश की भावी व्यापार कार्यनीति तैयार की जा सके।

डा. सत्यपाल कुमार, प्रथम सचिव (व्यापार), भारतीय राजदूतावास जापान ने सुझाव दिया कि ईईपीसी को मेले या प्रतिनिधिमंडल के दौरे की सूचना संबंधित राजदूतावास को पर्याप्त अग्रिम रूप से दे ताकि राजदूतावास भी तैयारी कर सके तथा इवेंट के लिए अपेक्षित समय दे सके क्योंकि उनका बहुत व्यस्त शिड्यूल होता है। यदि राजदूतावास को समय पर सूचना दी जाती है तो वे उसका समुचित प्रचार कर सकते हैं और संबंधित क्रेता कंपनियों को मेले का भ्रमण करा सकते हैं।

इस लाइफ स्टाइल एक्सपो, 2018 में छह शो अर्थात गिफ्टेक्स टोक्यो, बेबी एवं किड्स एक्सपो, फैशन गुड्स एवं असेसरीज एक्सपो, हेल्थ एंड ब्यूटी गुड्स एवं इंटीरियर टोक्यो आयोजित किए गए। इस मेले से निर्यात को बढ़ावा देने का अवसर प्राप्त हुआ। इस शो में असंख्य अतिथियों ने भाग लिया तथा प्रदर्शकों एवं क्रेताओं ने अत्यधिक अभिनव बाजार गवेषणात्मक तथा संबंधित उद्योग में लाभप्रद व्यवसाय अवसरों पर एक दूसरे से परस्पर आमने सामने वार्ता की।

लाइफ स्टाइल एक्सपो टोक्यो (पूर्ववर्ती गिफ्टेक्स टोक्यो) उपहार, गृह एवं आंतरिक उत्पादों के लिए एक अग्रणी व्यापार मेला है। इसके जनवरी संस्करण का शुभारम्भ 2018 में किया गया था और इसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार 6 विशेषीकृत शोज है।

क्रय किए गए प्रमुख उत्पादों में : असेसरीज, इन्टीरियर गुड्स, होम असेसरीज, बैराइटी गुड्स, गिफ्ट आइटम्स, किचनवेयर, टेबलवेयर, फेब्रिक, होम टेक्सटाइल, क्रिसमस असेसरीज, आयातित उत्पाद, वजाक्का/ क्राफ्ट (जापानीज स्टाइल गुड्स), फैशन गुड्स एवं असेसरीज, फैंसी गुड्स, गिफ्ट रैपिंग सप्लाइज, इको फ्रैंडली गुड्स, फ्लोरल डेकोरेशन, फ्रेगरेंस एवं अरोमा, बाथ एवं टायलेटरी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, रिलैक्सेशन एवं हीलिंग, पेट सप्लाइज, आउटडोर सप्लाइज, ट्रैवल एवं लेजर प्रोडक्ट्स, गार्डनिंग प्रोडक्ट्स, स्मार्टफोन असेसरीज आदि शामिल है।

इसके आगन्तुकों में मुख्यतः आयातक/थोक विक्रेता, भारी संख्या में फुटकर विक्रेता, गृह केंद्र, सुविधा भंडार, सुपर मार्केट्स, ड्रग स्टोर्स, 100 येन शाप्स, केटलाग रिटेलर्स, डिपार्टमेंट स्टोर, गिफ्टशाप्स, सलेक्ट शॉप्स, अपैरल शॉप्स, स्टेशनरी शॉप्स, विनिर्माता, एसपी/पीआर एजेंट एवं कारपोरेट यूजी आदि शामिल थे।

ईपीसीईएच पवेलियन का उद्घाटन : दाएं से बाएं : डा. सत्यपाल कुमार, प्रथम सचिव (वाणिज्य), भारतीय राजदूतावास जापान, श्री टी.के. टी, महानिदेशक, ईपीसीईएच और श्री आनन्द गिरि उप-महानिदेशक, ईपीसीईएच

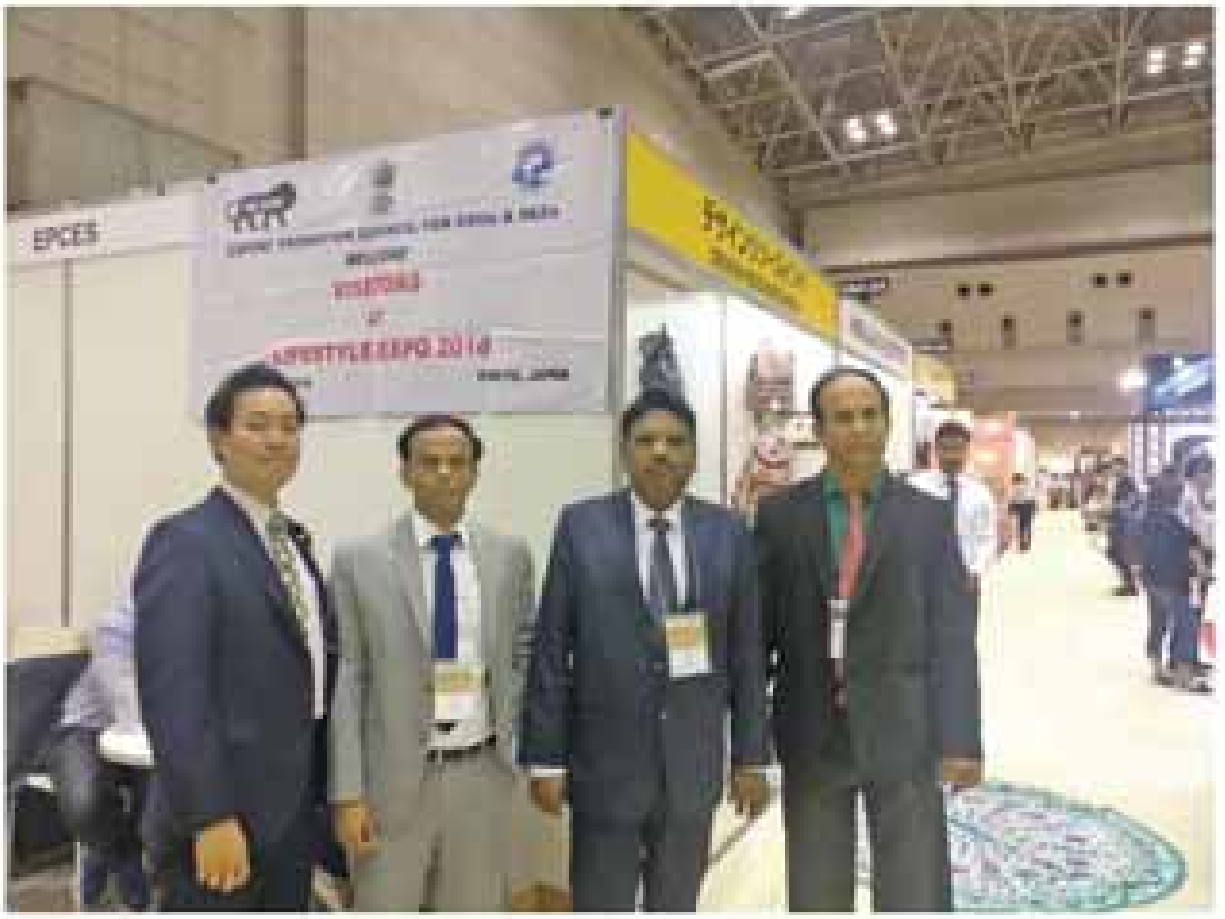

बाएं से दाएं : श्री हिरोशि इकेगाया, उप-प्रबंधक, प्रोजेक्ट डिवीज़न रीड एग्जिबिशन्स जापान लिमिटेड, डा. सत्यपाल कुमार, प्रथम सचिव (वाणिज्य), श्री टी.डी. रवि, महानिदेशक एवं हैंडीक्राफ्ट ईपीसी के प्रतिनिधि

इस मेले की सभी प्रतिभागियों तथा विजिटर्स ने भूरि-भूरि सराहना की। यूनिटों को इस मेले से अधिकतम व्यवसाय प्राप्त हुआ। इस मेले में लगभग 2 लाख विजिटर आए और उन्होंने भारतीय उत्पादों अर्थात भारतीय वस्त्र मदों, किचनवेयर, हैंडीक्राफ्ट एवं अन्य घरेलू मदों की सराहना की। प्रतिभागियों ने ईपीसीईएस से भविष्य में भी इन मेलों में नियमित प्रतिभागिता करने का अनुरोध किया ताकि एमएआई लाभ प्राप्त किया जा सके। यह संपूर्ण विश्व से आयातकों, थोक विक्रेताओं, रिटेलर्स और क्रेताओं के लिए अपने आर्डर प्लेस करने तथा ओईएम/ओडीएम पार्टनर प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्थान है।

श्री टी.डी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीईएस तथा डा. सत्यपाल कुमार, प्रथम सचिव (वाणिज्य) प्रतिभागियों के साथ बातें करते हुए

श्री टी. डी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीईएस तथा डा. राजनाथ कुमार, उप सचिव (व्यापार) प्रतिभागियों के साथ बातें करते हुए

श्री टी.डी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीईएस, व्यापार मेले के मंडप के दौरान

दाएँ से बाएँ : श्री टी. डी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीईएस और डा. राजनाथ कुमार, उप सचिव (व्यापार), भारतीय राजदूतावास टोकियो परिषद के पवेलियन का उद्घाटन करते हुए

मेले में भारतीय प्रतिभागियों के कुछ स्टॉल

मेले में भारतीय प्रतिभागियों के कुछ स्टॉल

ईपीसीईएस प्रतिभागिता का उद्देश्य भारत से निर्यात संवर्धन के लिए नई बाजारों की तलाश करना तथा भारत के एसईजेड में विदेशी निवेश आकृष्ट करने के लिए विदेशों में भारत की एसईजेड स्कीम की संकल्पना को प्रचारित करना है। श्री टी.वी. रवि, महानिदेशक, ईपीसीईएस ने संपूर्ण विश्व से आए विदेशी व्यावसायियों, निवेशकों और क्रेताओं के समक्ष एसईजेड स्कीम की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का वर्णन किया।

इस मेले के 6 हॉल में कुल 2200 स्टॉल थे जिनमें चीन, भारत, जापान, सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया आदि के निर्यातकों ने अपने-अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया था।

ईपीसीईएस ने विदेशी आगन्तुकों, निवेशकों और क्रेताओं की भारतीय स्टॉलों पर भ्रमण की व्यवस्था की थी। स्टॉलों एवं फैसिया का निर्माण करने तथा अन्य व्यवस्था के लिए ईपीसीईएस के प्रतिनिधि इस आयोजन से एक दिन पहले ही वहां पहुंच गए थे।

ईपीसीईएस के प्रतिनिधियों ने जापान, टोक्यो में भारतीय राजदूतावास के अधिकारियों से तथा जापान के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की तथा उन्हें अपनी प्रतिभागिता के बारे में विस्तार से बताया एवं उन्हें ईपीसीईएस न्यूज़लेटर, ब्रोशर आदि भेंट किए जिनमें ईओयू एवं एसईजेड स्कीम का विस्तार से उल्लेख किया गया था। भारतीय प्रतिभागियों की कंपनी प्रोफाइल, उनके संपर्क सूत्रों, उत्पादों आदि के विवरण-युक्त एक सूचीपत्र भी प्रकाशित किया गया था जिसे विदेशी व्यावसायियों, निवेशकों एवं क्रेताओं के बीच वितरित किया गया।

भीड़ का एक दृश्य

मेले का एक दृश्य

ईपीसीईएस की छत्रछाया में प्रतिभागिता करने वाले भारतीय प्रदर्शकों से अलग-अलग फीडबैक रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रतिभागियों से प्राप्त इन रिपोर्टों के आधार पर यह उल्लेख किया गया कि इस मेले के दौरान सभी प्रतिभागियों को काफी अच्छा बिज़नेस मिला और उन्होंने जापान की कम्पनियों के साथ कई करार/व्यवस्थाएं भी कीं।

पुनः यह उल्लेख किया जाता है कि अनेक विदेशी क्रेता एवं व्यावसायी इस मेले में आए और भारतीय प्रदर्शकों की उनके साथ काफी उपयोगी वार्ता हुई। प्रतिभागियों को भारी संख्या में पूछताछ भी प्राप्त हुई जिनके लिए वार्ता चल रही है।

19. डा. अनूप वधावन, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने 5 अक्तूबर, 2018 को 1000 केडब्ल्यूपी रूफ टॉप सोलर पॉवर प्लांट का उद्घाटन किया

बाएं से दाएं : डा. अनूप वधावन, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डा. एल.बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त नोएडा, एसईज़ेड

डा. अनूप वधावन, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 5 अक्तूबर, 2018 शुक्रवार को नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के 1000 किलोवाट रूफ टॉप सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ईपीसीईएस क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा ने ईओयू एवं एसईजेड इकाइयों का वाणिज्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक परस्पर वार्ता सत्र की व्यवस्था की थी।

डा. अनूप वधावन, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा डा. एल.बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड 1000 किलोवाट के रूफ टॉप सोलर प्लांट का उद्घाटन करते हुए

इस परस्पर वार्ता सत्र के दौरान एसईजेड एवं ईओयू यूनिटों ने चर्चा के लिए कई मुद्दे उठाए। डा. अनूप वधावन, वाणिज्य सचिव एवं डा. एल. बी. सिंघल – क्षेत्रीय विकास आयुक्त नोएडा ने इन सभी प्रश्नों का उचित उत्तर दिया और ईओयू तथा एसईजेड इकाइयों को आश्वस्त किया कि इन मुद्दों को शीघ्र ही भारत सरकार के संबंधित विभागों के साथ उठाया जाएगा।

डा. अनूप वधावन, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ईओयू एवं एसईजेड के साथ परस्पर वार्ता सत्र की अध्यक्षता करते हुए

इस परस्पर वार्ता सत्र में श्री एस.एस. शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त, मोहम्मद सालिक परवेज, उपायुक्त (सीमाशुल्क) नोएडा, एसईजेड, श्री विजय गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एनएसईईए, श्री भुवनेश सेठ, क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री विकास गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, श्री सुनील पुरी, सदस्य केंद्रीय शासी निकाय, ईपीसीईएस, श्री अजय गोयल, अध्यक्ष, एनएसईजेड इन्टरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने तथा भारी संख्या में अग्रणी ईओयू एवं एसईजेड यूनिटों तथा एसईजेड विकासकर्ताओं ने भाग लिया।

20. ईपीसीईएस क्षेत्रीय निदेशक, बंगलौर की श्री ए. एस. नवीन कुमारप्पा, आईआरएस, संयुक्त विकास आयुक्त, सीएसईजेड बंगलौर के साथ दिनांक 16 अक्तूबर, 2018 को आयोजित बैठक

ईपीसीईएस के क्षेत्रीय निदेशक ने क्षेत्रीय कार्यालय ईपीसीईएस तथा कोचीन एसईजेड के साथ भविष्य के कार्यों की चर्चा करने के लिए श्री ए. एस. नवीन कुमारप्पा, आईआरएस, संयुक्त विकास आयुक्त, सीएसईजेड बंगलौर से मुलाकात की। श्री ए. एस. नवीन कुमारप्पा, आईआरएस, संयुक्त विकास आयुक्त, सीएसईजेड बंगलौर ने ईपीसीईएस कार्यालय को सभी आवश्यक सहायता देने का आश्वासन दिया।

21. सभी जोनों में ईपीसीईएस स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन 15 सितम्बर से 15 नवम्बर, 2018 को किया गया

माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के अनुरूप **"स्वच्छ भारत पखवाड़ा"** मिशन के अनुसरण में तथा वाणिज्य मंत्री के दिशानिर्देशों एवं मार्गदर्शन के अनुरूप सभी जोनों के विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के सहयोग से सभी 7 जोनों में **"स्वच्छ भारत पखवाड़ा"** मनाया गया। अपने-अपने विकास आयुक्त के अधीन सभी यूनिटों एवं एसईजेड ने सभी जोनों में इस कार्यक्रम को भारी सफल बनाने के लिए पूर्ण उत्साह एवं लगन के साथ इस स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। विकास आयुक्तों ने सड़कों एवं आसपास के क्षेत्र को बुहारने तथा सफाई करने के लिए स्वयं प्रतिभागियों की अगुआई की।

इस कार्यक्रम एवं कार्य में ईपीसीईएस के क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय निदेशकों एवं स्टॉफ ने पूर्ण मनोयोग से इसमें सहयोग किया एवं प्रतिभागिता की। इसमें अलग-अलग विकास आयुक्तों के क्षेत्राधिकार में आने वाले एसईजेडों तथा विभिन्न इकाइयों के भारी संख्या में कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की।

इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां नीचे दी गई हैं।

कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्वच्छता अभियान

ईपीसीईएस के क्षेत्रीय निदेशक ने विकास आयुक्त सीएसईजेड के कार्यालय के अधिकारियों एवं स्टॉफ के साथ मिलकर कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रशासनिक भवन के आसपास सफाई अभियान चलाया।

क्रियाकलाप 2 का नाम : विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक ज़ोन में स्वच्छता ही सेवा

ईपीसीईएस के क्षेत्रीय निदेशक ने विकास आयुक्त वीएसईज़ेड तथा उनके अधिकारियों एवं स्टाफ तथा ज़ोन में स्थित अन्य यूनिटों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया।

विकास आयुक्त सीएसईजेड अन्य अधिकारियों एवं स्टाफ के साथ

श्री सिटी एसईजेड में स्वच्छता ही सेवा अभियान

दिव्यश्री टेक्नोपार्क एसईजेड बंगलौर में शून्य कूड़ा अभियान

सम्प्रेषण एवं आयोजन की तैयारी

स्रोत पर ही कूड़ा पृथक करने और हरे-भरे पर्यावरण में सम्परिवर्तित करने के बारे में शिक्षित करने की पहल

- शून्य कूड़ा वह दर्शन है जो संसाधन जीवन चक्र को पुनः डिज़ाइन करने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि सभी उत्पादों का पुनः उपयोग किया जा सके। लैंडफिल या भस्मकों को कोई कूड़ा न भेजा जाए।
- यह प्रयास है कि हमारे कैम्पस के सभी व्यक्ति अपने पुनर्चक्रण प्रयासों को बढ़ावा दें तथा अपने कैम्पस के कचरे को कम करें, तदद्वारा वे पर्यावरण पर कैम्पस के निषेधित प्रभाव को कम से कम कर सकते हैं।
- दिव्यश्री टेक्नालोजी पार्क – एसईजेड में पहली बार यह अभियान चलाया जा रहा है।
- दिन प्रतिदिन के इस क्रियाकलाप के बारे में संबंधित किराएदारों को ई-मेल के जरिए सूचना दी गई।

- वालंटियर्स के साथ इको टीम बनाई गई तथा उनके साथ नियमित बैठकें एवं प्रतिभागिता की गई।
- कैम्पस में सलाह, टैनाली सी एवं ह्यूमन् टीम नामक चार स्टॉल बनाए जा रहे हैं, प्रत्येक स्टॉल में भारी भीड़ जमा हो रही है।

- सभी विजेताओं को प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।

➢ **अनिवार्य प्रशिक्षण सेल**

- प्रशिक्षण कार्यक्रम करके उप-वेंडरों में जागरूकता
- स्रोत पर ही कचरा पृथक करना में प्रतिभागिता
- कलरकोडेड बिन्स का अधिकाधिक उपयोग
- कूड़ा निस्तारण पर मार्गदर्शन के अनुरूप जागरूकता एवं उसे अपनाना
- कस्टमाइज्ड टोकरियां खरीदी गई एवं इको स्पॉट्स इन्ट्रोड्यूस किए गए।

सूखा कूड़ा गीला कूड़ा ई-वेस्ट :

फाल्टा विशेष आर्थिक ज़ोन कोलकाता में स्वच्छता ही सेवा अभियान

विकास आयुक्त, अन्य अधिकारियों तथा स्टाफ एवं ईसीजीईएल के क्षेत्रीय निदेशक के साथ फाल्टा विशेष आर्थिक ज़ोन में स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान

विकास आयुक्त एफएसईज़ेड एवं क्षेत्रीय निदेशक ईसीजीसीएल फाल्टा ज़ोन के अधिकारियों एवं स्टाफ के साथ स्वच्छता अभियान में सक्रिय प्रतिभागिता करते हुए

विकास आयुक्त एनएसईज़ेड तथा संयुक्त निदेशक, ईपीसीईएस ने नोएडा ज़ोन के अन्य अधिकारियों एवं स्टाफ के साथ विशेष स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहभागिता की

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने वाले ईओयू एवं एसईज़ेड द्वारा स्वच्छ भारत अभियान

नोएडा विशेष आर्थिक ज़ोन के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक ईओयू यूनिट मैसर्स रिप्लिका प्रेस, सोनीपत, हरियाणा द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा

सोनीपत, हरियाणा में एक ईकोटेक मुक्त विनिर्माण क्षेत्र में एवं उसके आसपास स्वच्छता अभियान

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेक्टर नोएडा विप्रो सिटी लिमिटेड में स्वच्छता पखवाड़ा

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत डीएलएफ साइबर सिटी, गुरुग्राम, हरियाणा द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा

दिनांक 01.11.2018 को स्वच्छ भारत अभियान का उद्घाटन समारोह एवं शपथ ग्रहण समारोह

Opening Ceremony and Pledge on Swachh Bharat Abhiyan, On Dated 01-11-2018

Oath taking ceremony to start Swachh Bharat Abhiyan with all Occupants in DLF Cyber City (SEZ)

डीएलएफ साइबर सिटी के सभी कब्जाधारकों के साथ स्वच्छ भारत अभियान का शपथ ग्रहण समारोह

भवन परिसर में दिनांक 03.11.2018 को सफाई अभियान

Cleaning drive for Swachh Bharat Abhiyan by all Occupants for making the Surrounding Clean.

अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए सभी अधिभोगियों का स्वच्छ भारत अभियान के लिए स्वच्छता अभियान

स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के बारे में जागरूकता सृजित करने तथा उसका प्रचार करने के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता। इस क्रियाकलाप में 68 व्यक्तियों ने भाग लिया

Drawing Competition to publicise and bring Awareness about Swachhta Pakhwada Celebration. 68 people Participated in this activity

Cleanliness Drive Outside Building by all Occupants Cleanliness the building Periphery area

सभी अधिभोगी भवन के बाहर सफाई अभियान के दौरान भवन क्षेत्र की सफाई करते हुए

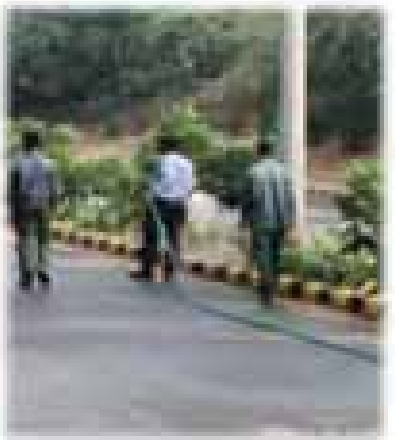

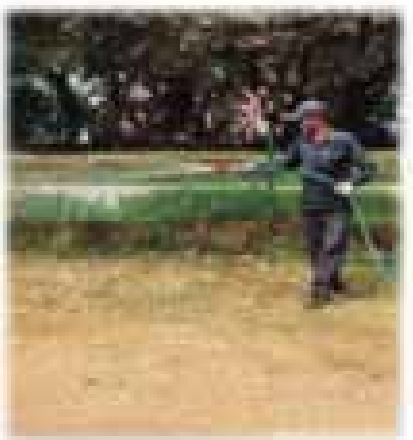

एक गैर-सरकारी संगठन (साहस) द्वारा दिनांक 12.11.2018 को अपशिष्ट प्रबंधन पर एक कार्यशाला

Workshop on Waste Management By NGO(SAAHAS) On Dated 12-11-2018

Workshop on **Waste Management in association with NGO** - **Saahas** under their project ***'Alag Karo - har din teen bin'***. This will help us to implement and manage the waste as per the SWM Rule 2016 in better way .

एक गैर-सरकारी संगठन साहस की परियोजना "अलग करो हर दिन तीन बिन" के सहयोग से अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला। इससे हमें एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन एवं क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।

डा. हेमा कपूर के सहयोग से निजी स्वच्छता विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।
इसमें 82 टीम सदस्यों ने प्रतिभागिता की और निजी एवं पेशे पर आधारित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का लाभ उठाया।

वृक्षारोपण अभियान

A workshop Was organised on **<u>Personnel Hygiene</u>** with the help of Dr Hema Kapoor, where 82 team members participated and get benefited on personal & occupational based health and safety.

Plantation Drive

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आने वाली [illegible] (प्राइवेट) लिमिटेड, गुरुग्राम, (हरियाणा) द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा

विकास आयुक्त सीप्ज एसईजेड के कार्यालय द्वारा ईपीसीईएस क्षेत्रीय कार्यालय, सीप्ज-एसईजेड मुंबई के साथ मिलकर स्वच्छता ही सेवा स्वच्छता पखवाड़ा

22. ईपीसीईएस क्षेत्रीय निदेशक बंगलौर ने दिव्यश्री एसईजेड में स्थित यूनिटों के साथ 22 नवम्बर, 2018 को एक बैठक आयोजित की।

ईपीसीईएस के क्षेत्रीय निदेशक श्री वाई. सिद्धानन्दैय्याह ने कैपजेमिनी, एक्सेंचर, विप्रो, दिव्यश्री डेवलपर्स के प्रतिनिधियों और दिव्यश्री डेवलपर्स में कार्य कर रहे विशेषीकृत अधिकारियों (सरकारी प्रतिनिधि) के साथ दिनांक 22 नवम्बर, 2018 को दिव्यश्री डेवलपर्स एसईजेड में यूनिटों की एक बैठक का आयोजन किया।

इस बैठक के दौरान क्षेत्रीय निदेशक ईपीसीईएस ने ईपीसीईएस का सदस्य बनने के महत्व पर प्रकाश डाला तथा यह भी जानकारी दी कि सभी यूनिटों एवं विकासकर्ताओं द्वारा एसईजेड स्कीम के अंतर्गत सभी छूट एवं लाभ बिना किसी अवरोध के प्राप्त करने के लिए ईपीसीईएस से आरसीएमसी प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। यूनिटों को कोचीन एसईजेड से प्राप्त सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।

ईपीसीईएस के क्षेत्रीय निदेशक ने इस बैठक में उपस्थित सभी यूनिटों से अनुरोध किया कि वे उनके समक्ष आने वाली समस्याएं, चाहे वह प्रक्रियात्मक मुद्दे हों या नीतिगत मुद्दे, ईपीसीईएस के संज्ञान में लाएं ताकि ईपीसीईएस उन समस्याओं को उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष उठा सके।

23. ईपीसीईएस के क्षेत्रीय निदेशक, बंगलौर ने विकास आयुक्त सीएसईजेड द्वारा आहूत यूनिट अनुमोदन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2018 को आयोजित बैठक में विशेष आमंत्रिती के रूप में भाग लिया।

क्षेत्रीय निदेशक ईपीसीईएस बंगलौर ने विकास आयुक्त सीएसईज़ेड द्वारा दिनांक 27.08.2018, 16.10.2018, 20.12.2018 को आहूत इकाई अनुमोदन समिति की तीन बैठकों में श्री षडमुगा सुन्दरम, आईएएस, विकास आयुक्त कोचीन तथा ज़ोनल डीसी कार्यालय के साथ, विशेष आमंत्रिती के रूप में भाग लिया।

विकास आयुक्त ने ईपीसीईएस के क्रियाकलापों की भूरि-भूरि सराहना की और क्षेत्रीय निदेशक ईपीसीईएस को परामर्श दिया कि वह यूएसी बैठक में यूनिटों द्वारा किए जाने वाले कारपोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में बात करें। इससे क्षेत्रीय निदेशक ईपीसीईएस को एसईज़ेड ज़ोन में स्थापित किए जा रहे नए एसईज़ेड के विकासकर्ताओं और प्रतिनिधियों दोनों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। ईपीसीईएस ने बैठक में भाग लेने वाली कंपनियों के सभी प्रतिनिधियों को ईपीसीईएस के बारे में तथा ईपीसीईएस का सदस्य बनने पर मिलने वाले लाभों के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि एक बार उन्हें अनुमोदन मिल जाने एवं विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा एलओए/एलओपी जारी हो जाने पर कोई यूनिट ईपीसीईएस का सदस्य बन सकती है। इसके पश्चात उन्होंने यूनिटों को सूचित किया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.08.2016 की अधिसूचना संख्या जीएसआर संख्या 771(अ) के तहत एसईज़ेड स्कीम के अंतर्गत लाभ एवं छूट प्राप्त करने के लिए ईपीसीईएस की सदस्यता लेना अनिवार्य है।

24. क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस सीप्ज़ एसईज़ेड ने श्री मनु कुमार श्रीवास्तव, आईएएस, अपर सचिव, राजस्व, महाराष्ट्र से दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 को मुलाकात की।

ईपीसीईएस के क्षेत्रीय निदेशक ने विकास आयुक्त सीप्ज़ एसईज़ेड और सीप्ज़-रत्न एवं आभूषण विनिर्माता एसोसिएशन (एसजीजेएमए) के साथ श्री मनु कुमार श्रीवास्तव, आईएएस, अपर सचिव, राजस्व, महाराष्ट्र सरकार से निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही एसईज़ेड इकाइयों के लिए स्टाम्प शुल्क छूट के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की।

25. नेतृत्व उत्कृष्टता पर दिनांक 04.01.2019 को आयोजित कार्यशाला

विकास आयुक्त सीप्ज़-एसईज़ेड और "आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन" के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सहयोग से सीप्ज़ एसईज़ेड में कार्य कर रही इलेक्ट्रॉनिक तथा रत्न एवं आभूषण विनिर्माता यूनिटों के सदस्यों के लिए नेतृत्व उत्कृष्टता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

26. श्री बी. के. पांडा, विकास आयुक्त, फाल्टा एसईज़ेड एवं ईपीसीईएस के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2019 को एमकेएसईज़ेड स्वर्ण शुद्धता कैरेट मीटर का उद्घाटन

रत्न एवं आभूषणों के निर्यातकों तथा सीमाशुल्क अधिकारियों की आसानी के लिए "ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस" तथा बेहतर पारदर्शिता के संबंध में दिनांक 28 जनवरी, 2018 को स्टेकहोल्डरों की एक बैठक का आयोजन किया गया तथा श्री बी. के. पांडा, विकास आयुक्त, फाल्टा एसईज़ेड ने, विकास आयुक्त, एमकेएसईज़ेड के कार्यालय तथा ईपीसीईएस के साथ मिलकर स्वर्ण शुद्धता कैरेट मीटर का उद्घाटन किया।

श्री बी. के. पांडा, विकास आयुक्त स्वर्ण शुद्धता कैरेट मीटर का उद्घाटन करते हुए

27. जोखिम जागरूकता के संबंध में जागरूकता संवर्धन के लिए 12 फरवरी, 2019 को मुंबई में आयोजित सिम्पोज़ियम

जोखिम जागरूकता, जोखिम मूल्यांकन, क्षति न्यूनीकरण, क्षति के डर से निपटने के संबंध में जागरूकता संवर्धन के लिए सीप्ज़-एसईज़ेड, मुंबई में दिनांक 12 फरवरी, 2019 को रत्न एवं आभूषण तथा आईटी सेक्टर के सामान्य सम्मेलन कक्ष सीप्ज़-एसईज़ेड में एक सिम्पोज़ियम का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने उन्हें इस विषय पर दी गई जानकारी की सराहना की।

28. रत्न एवं आभूषण इकाइयों की विकास आयुक्त फाल्टा एसईज़ेड तथा क्षेत्रीय निदेशक ईपीसीईएस के साथ फरवरी, 2019 में एक बैठक

रत्न एवं आभूषण उद्योग के स्टेकहोल्डरों की ईपीसीईएस के सहयोग से डीसी एफएसईज़ेड के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। श्री बी. के. पांडा, विकास आयुक्त ने यूनिट होल्डरों को सम्बोधित किया और मणिकांचन एसईज़ेड के संबंध में सभी अवरोधों पर चर्चा की गई।

श्री बी. के. पांडा, विकास आयुक्त, फाल्टा एसईज़ेड बैठक की अध्यक्षता करते हुए

29. ईपीसीईएस ने बहु उत्पाद एसईज़ेड के स्टेकहोल्डरों की श्री बी. के. पांडा, विकास आयुक्त, फाल्टा एसईज़ेड के साथ जनवरी, 2019 माह में एक बैठक का आयोजन कराया

बैठक का एक दृश्य

ईपीसीईएस के सहयोग से बहु उत्पाद एसईज़ेड के स्टेकहोल्डरों की फाल्टा ज़ोन में डीसी, एफएसईज़ेड के साथ एक बैठक का आयोजन जनवरी, 2019 माह में किया गया। श्री बी. के. पंडा, विकास आयुक्त ने यूनिट होल्डरों को सम्बोधित किया और यूनिट होल्डरों से प्राप्त सभी सुझावों को नोट किया गया जिनमें रोड ड्रेनेज, अपशिष्ट प्रबंधन, सुरक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल थे। फाल्टा ज़ोन के बारे में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई।

30. प्रधानमंत्री के सचिव श्री भास्कर खुल्बे की नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में 9 फरवरी, 2019 को ईओयू एवं एसईज़ेड के साथ एक बैठक

ईओयू/एसईज़ेड/एसईज़ेड विकासकर्ताओं की प्रधानमंत्री के सचिव श्री भास्कर खुल्बे, आईएएस के साथ सम्मेलन कक्ष नोएडा एसईज़ेड में दिनांक 9 फरवरी, 2019 को एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता डा. एल. बी. सिंघल, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा एसईज़ेड ने की। श्री भुवनेश सेठ, क्षेत्रीय अध्यक्ष ईपीसीईएस, एनएसईज़ेड, श्री विकास गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, ईपीसीईएस, एनएसईज़ेड तथा श्री पुनीत पुरी सदस्य, केंद्रीय शासी परिषद ईपीसीईएस ने इस सत्र में प्रतिभागिता की। इस बैठक में 50 से अधिक यूनिटों ने भाग लिया और मुद्दों पर गंभीर चर्चा की।

31. ईपीसीईएस ने फरवरी, 2019 माह में बंगाल ग्लोबल बिज़नेस शीर्ष बैठक 2019 में प्रतिभागिता की

इस ओपन हाउस में आए विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिनिधि

ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई
पटना एवं चंडीगढ़

221-223, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110002
दूरभाष : 91-11-23236958-60, 23237772
फैक्स : 91-11-23230831
ई-मेल : tvandeca@gmail.com,
: admin@tva.co.in

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य
ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद,
नई दिल्ली

हमने इसके साथ संलग्न ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार इसका तुलनपत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय लेखे और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां तथा वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है।

अर्हताप्राप्त अभिमत के लिए आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा लेखापरीक्षण मानकों (एसए) के अनुसार की है। इसके अतिरिक्त, इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व में भी वर्णित किया गया है। हम, उन नीतिगत अपेक्षाओं के अनुसार, जो वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संगत हैं, इस अस्तित्व से स्वतंत्र हैं और इन अपेक्षाओं के अनुरूप ही हमारे अन्य उत्तरदायित्व हैं। **इस रिपोर्ट के साथ संलग्न "अनुबंध-1" के क्रम संख्या 1 से 12 में यथावर्णित विभिन्न मामलों के मद्देनजर हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त हैं और अर्हताप्राप्त अभिमत के लिए आधार प्रदान करने हेतु उपयुक्त हैं।**

अर्हताप्राप्त अभिमत

हमारी राय में और हमें प्राप्त सर्वोत्तम सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखाकरण नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पठित वित्तीय विवरण सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं और वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों की सम्पुष्टता में **अर्हताप्राप्त अभिमत पैराग्राफ के लिए आधार में यथावर्णित वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए और 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार परिषद की आय, व्यय, परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित मामलों में (राशि प्रबंध वर्ग द्वारा सुनिश्चित नहीं) वित्तीय प्रभावों के अध्यधीन सत्य एवं यथार्थ दृश्य** प्रदान करते हैं :-

क) तुलनपत्र के मामले में, परिषद के दिनांक 31 मार्च, 2019 के अनुसार कार्यों की स्थिति का और

ख) आय एवं व्यय विवरण के मामले में, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष का;

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधवर्ग एवं अभिशासन के लिए प्रभारित व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

प्रबंध वर्ग भारत में सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी, यथा लागू सीमा तक इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है और प्रबंध वर्ग द्वारा यथानिर्धारित इस आंतरिक नियंत्रण के लिए आवश्यक है ताकि वित्तीय विवरणों को इस तरह तैयार करने में सक्षम हो सके जो धोखे से या त्रुटिवश गलत बयानी से मुक्त है।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंध वर्ग, चल रही कम्पनी के रूप में जारी रहने की इन्टिटी की योग्यता, चल रही कम्पनी से संबंधित मामलों की अनुप्रयोज्यता के अनुरूप प्रकटन करने और लेखाकरण के चल रही कम्पनी आधार के प्रयोग का आकलन करने के

लिए तब तक उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंध वर्ग का इस इन्टिटी का परिसमापन करने या इसके प्रचालन को बंद करने का इरादा हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास अन्य कोई वास्तविक विकल्प न हो।

अभिशासन से प्रभारित व्यक्तियों का उत्तरदायित्व इस इन्टिटी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करना है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या परिषद के वित्तीय विवरण समग्र रूप से गलत बयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखे से या त्रुटिवश की गई हो, और लेखापरीक्षकों की एक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा अभिमत शामिल हो। युक्तिसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन होता है, परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं होता है कि एसए के अनुसार किया गया है। लेखापरीक्षा हमेशा वास्तविक गलत बयानी, यदि की गई है तो, का संसूचन करेगी। यह गलत बयानी धोखे से या भूलवश हो सकती है और उसे वास्तविक तब कहा जाता है जब व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, वह इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हो।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और संपूर्ण लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणों की वास्तविक गलत बयानी, चाहे वह धोखे से की गई हो या भूलवश या अभिकल्पित हो, की पहचान करते हैं और उसके जोखिम का आकलन करते हैं और उन जोखिमों के प्रतिक्रियाशील लेखा प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हो। धोखे से की गई वास्तविक गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटिवश की गई गलत बयानी के परिणाम से अधिक बड़ा होता है क्योंकि इस धोखे में दुरभिसंधि, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्यानिरूपण, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सूझ प्राप्त करना ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो, परंतु परिषद के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता पर अपनी राय व्यक्त करने के प्रयोजन के लिए न हो।
- प्रयोग की गई लेखाकरण नीतियों के औचित्य का और लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगतता तथा प्रबंध वर्ग द्वारा किए गए संगत प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- लेखाकरण के आधार पर और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर परिषद के चल रहे कन्सर्न के प्रयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या स्थितियों के संबंध में वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जिससे एक चल रहे कन्सर्न के रूप में बने रहने की परिषद की क्षमता पर संदेह सृजित होता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटनों पर ध्यान आकृष्ट करना अथवा, यदि वह प्रकटन अपर्याप्त है तो हमें अपना अभिमत संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों को चल रहे कन्सर्न के रूप में जारी रहने को समाप्त कर सकते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के टाइमिंग तथा सुनियोजित दायरे एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान हमारे द्वारा अभिज्ञात की गई आंतरिक नियंत्रण में भारी कमी शामिल है, के संबंध में अभिशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से संपर्क करते हैं।

हम अभिशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से वह विवरण भी प्रदान करते हैं जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में नीतिगत जरूरतों का संगत पालन किया है और उनको वह सभी संबंध एवं अन्य मामले सम्प्रेषित करते हैं जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और यथालागू, संबंधित रक्षोपायों को वहन करना तर्कसंगत माना जाता है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट :

क) हमने वह सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण की मांग की जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

ख) हमारे अभिमत के अनुसार परिषद ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित खाताबहियों का रखरखाव किया है जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से व्यक्त होता है;

ग) परिषद का तुलनपत्र तथा इस रिपोर्ट में दिया गया आय एवं व्यय लेखा विवरण लेखाबहियों के अनुरूप है;

घ) हमारे विचार से, तुलनपत्र एवं आय-व्यय विवरण भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी, यथा सीमा तक लागू, लेखाकरण सिद्धांतों का अनुपालन करते है।

कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000038एन

ह./-
(के. एन. गुप्ता)
भागीदार
एम संख्या : 009169
यूडीआईएन : 19009169एएएएबीजे5220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 सितम्बर, 2019

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-1

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>महत्वपूर्ण प्रेक्षण</th><th>प्रबंध वर्ग का उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>सदस्यता शुल्क
सदस्यता शुल्क के संबंध में दिए गए दस्तावेजों की नमूना आधार पर जांच करते समय हमने पाया कि सदस्यगण अपने उस कारोबार का सत्यापन करने के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं जो उनसे प्रभारित किए जाने वाले सदस्यता शुल्क को निर्धारित करने में सहायता करते हैं।</td><td>लेखापरीक्षक द्वारा यथा इंगित, आवश्यक निर्धारित कारोबार प्रमाणपत्र सभी सदस्यों से प्राप्त कर लिए जाएंगे।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>निवेश
परिषद की लेखाबहियों में दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 5,64,33,229/- रुपये की राशि के निवेश का उल्लेख हो रहा है। इनमें से परिषद की विभिन्न बैंकों में पड़ी 81,72,007/-रुपये की राशि की मूल सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) का परिषद को बार-बार अनुरोध/अनुस्मारक के बावजूद नवीकरण/स्वतः नवीकरण के कारण भौतिक रूप से सत्यापन नहीं किया जा सका। (अनुबंध-1 देखें) इसके अतिरिक्त, इनमें से पास पड़ी 25,80,736/-रुपये की एफडीआर 19 फरवरी, 2018 को परिपक्व हो गई है, इसकी राशि न तो बैंक से प्राप्त हुई है और न ही परिषद ने उस एफडीआर राशि का नवीकरण कराया है और उन्हें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अभी खाताबहियों में दर्शाया गया है।</td><td>एफडी का नवीकरण कराने के लिए पीएनबी के साथ आवश्यक कार्रवाई की गई है। एफडी को रिन्यू के लिए इनको में जमा करा दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय कोचीन से अनुरोध किया गया है कि वह मूल एफडी मुख्यालय को वापस कर दे। यह लेखापरीक्षकों के अगली बार आने पर उन्हें दिखाई जाएगी।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>हमने यह भी नोट किया है कि प्रबंध वर्ग ने बैंक से अभी एफडी ब्याज प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए हैं (पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को छोड़कर)।</td><td>दिए गए सुझाव के अनुसार उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिए जाएंगे।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>बैंक जमा
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित निम्नलिखित बैंक खातों का विवरण (बैंक स्टेटमेंट, बैंक समनुरूपीकरण) सत्यापन के लिए हमें प्रदान नहीं कराए गए हैं।

<table>
<tr><th>क्षेत्रीय कार्यालय</th><th>दिनांक 31.03.2018 के अनुसार जमा (रुपये)</th><th>जमा पुष्टिकरण</th><th>बैंक स्टेटमेंट</th><th>ब्याज प्रमाणपत्र</th></tr>
<tr><td>कलकत्ता, कोलकाता</td><td>1,00,000.88</td><td>प्राप्त कर लिया गया</td><td>प्राप्त कर लिया गया</td><td>लंबित</td></tr>
<tr><td>कांडला, गुजरात</td><td>18,848.46</td><td>लंबित</td><td>लंबित</td><td>लंबित</td></tr>
<tr><td>एसईईपीजेड</td><td>3,951</td><td>लंबित</td><td>लंबित</td><td>लंबित</td></tr>
<tr><td>कोचीन</td><td>1,824</td><td>लंबित</td><td>लंबित</td><td>लंबित</td></tr>
</table></td><td>नोट कर लिया गया। आवश्यक पुष्टि लेखापरीक्षकों को दिखा दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>अचल परिसंपत्तियां

• दिनांक 31.03.2019 को 2,00,05,215/-रुपये की राशि की अचल परिसंपत्तियों का उल्लेख किया गया है। तथापि, हमने यह नोट किया है कि न तो अचल परिसंपत्तियों के आवश्यक विवरण, विनिर्देशन, अवस्थापन और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत इनके निर्धारित मूल्य को दर्शाते हुए रजिस्टर में इनका अनुरक्षण है और न ही अचल परिसंपत्तियों का लेखापरीक्षा की तारीख तक भौतिक सत्यापन कराया गया है और न ही परिषद ने इन संपत्तियों के संरक्षण के लिए उनका बीमा कराया है।

• हमने यह भी नोट किया कि परिषद ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, खरीद के लिए कुटेशन प्राप्त किए बिना, 6,14,399/-रुपये की अचल परिसम्पत्ति खरीदी है (सूची अनुबंध-2 में संलग्न है)।</td><td>नोट कर लिया गया। परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन शीघ्र ही कराया जाएगा।

नोट कर लिया गया और कार्रवाई की जाएगी।</td></tr>
</table>

6 **एमएआई अनुदान**

परिषद ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विदेशों में आयोजित तीन प्रदर्शनियों/शो अर्थात अफ्रीका, नाइजीरिया, ओमान में भाग लिया था।

ओमान एवं नाइजीरिया मेलों के समर्थनकारी दस्तावेजों की जांच करते समय हमने यह नोट किया कि :

- हमने देखा किया कि परिषद ने मैसर्स फेयर ट्रेड कंपनी, नाइजीरिया और मैसर्स फेयर एक्जिबिशन ओमान लिमिटेड, मस्कट के साथ की गई संविदा, यदि कोई, उक्त मेलों में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों/प्रदर्शकों के लिए व्यवस्था करने हेतु वेंडरों को दी गई कुल राशि, जिसमें इस संबंध में प्राप्त तुलनात्मक कोटेशन, यदि कोई हो शामिल है, में कोई टिप्पणी नहीं की।

- ईईपीसी इंडिया अधिशासी के दिनांक 22 मई, 2018 के कार्यालय नोट संख्या ईईपीसी/एमएआई/एम-18/एम-14 के अनुसार यह सुझाव दिया गया कि "मैसर्स एक्जिबिशन एंड ट्रेड फेयर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करने से ईईपीसी इंडिया को भुगतान आईएनआर में अंतरित करने में सहायता मिलेगा, जिसमें ढेर सारे समय, प्रयास और धन की बचत होगी जिसे हम डॉलर को पैसा देकर 15दिन तथा सीधी करने के लिए खर्च करते हैं और बैंक अन्य देशों को राशि भुगतान में परिवर्तित करने के लिए न्यूनतम 10 दिन का समय लेते हैं और यह भी नियमित अनुमति के उपरांत"।

- हमारी राय में, इस किसी विदेशी कंपनी, जिसके साथ आयोजित व्यवस्था किए जाने की उम्मीद थी, के बजाय किसी भारतीय कंपनी के माध्यम से भुगतान करके ईईपीसी इंडिया अधिशासी द्वारा सुझाए गए एवं क्रियान्वित किए गए कारणों एवं प्रक्रियाओं से हमको संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। इस प्रक्रिया पर प्रबंध सीओए द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है।

- दोनों मेलों में प्रतिभागिता करने वाले प्रतिभागियों की संख्या में तथा प्रतिभागियों द्वारा दिए गए अंशदान में विसंगतियां नोट की गईं। इसका विवरण निम्नलिखित है :-

मेला	मेले में प्रतिभागिता करने वाले प्रतिभागियों की वास्तविक संख्या	प्रबंध वर्ग द्वारा अनुमोदित प्रतिभागियों की संख्या (दिनांक 13 जून, 2018 के कार्यालय नोट संख्या ईईपीसी/एमएआई/एम-18/एम-14 के तहत)	खातों में प्राप्त राशि और प्रबंध वर्ग द्वारा अनुमोदित की गई राशि में अंतर (दिनांक 13 जून, 2018 के कार्यालय नोट संख्या ईईपीसी/एमएआई/एम-18/एम-14 के तहत)
नाइजीरिया	22	34*	1,85,600/-रुपये (अधिक प्राप्त)
ओमान, मस्कट	30	44*	5,67,500/-रुपये (कम)

*मैसर्स एक्जिबिशन एंड ट्रेड फेयर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दिनांक 12 जून, 2018 के ई-मेल के अनुसार

- नैरोबी की बिल्डिंग एक्सपो 2018 के लिए 80,23,320/-रुपये का स्टाल के लिए भुगतान तथा मस्कट ओमान में आयोजित ऑटोमेकानिका एक्सपो 2018 के लिए 1,20,82,673/-रुपये का भुगतान मैसर्स फेयर ट्रेड कंपनी (नाइजीरिया) से प्राप्त दिनांक 4 मई, 2018 के पत्र के अनुरूप भारतीय रुपये में (बीजक संख्या ईईपीसी/एमएआई– ईएक्सपी/एमएआई/037/2018-19) तथा (बीजक संख्या ईईपीसी/एमएआई– ईएक्सपी/एमएआई/037/2018-19) के तहत) मैसर्स एक्जिबिशन एंड ट्रेड फेयर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को और मैसर्स फेयर ट्रेड कंपनी (ओमान) से प्राप्त दिनांक 07 मई, 2018 के पत्र के तहत यह

सीओए की दिनांक 29.08.2018 को आयोजित बैठक में उक्त मामले पर चर्चा की गई। इस संबंध में एक 3 सदस्यीय समिति गठित की गई जो यह देखेगी कि अनियम एवं क्षतियों को किस तरह कम किया जाए। रिपोर्ट अभी आनी है।

प्रमाणित किया गया कि मैसर्स एक्जिबिशन एंड ट्रेड सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत में उक्त प्रदर्शनी के लिए स्थान की बिक्री करने वाली प्राधिकृत कंपनी है तथा दोनों पेढ़ों ने यह भी अनुपुष्टि की कि मैसर्स एक्जिबिशन एंड ट्रेड सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (ईटीएसआईपीएल) ने स्थान बनाने तथा टॉप डेकिंग के लिए 100 प्रतिशत भुगतान प्राप्त हो चुका है, तथापि उनके द्वारा प्राप्त औसत राशि का उल्लेख (फाइईसी के) दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के पत्र तथा (आयात के) दिनांक 22 नवम्बर, 2018 के पत्र में नहीं किया गया है।

- इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया कि परिषद ने फॉर्म 15 सीए और फॉर्म 15 सीबी भी तैयार नहीं किया है जो ईटीएसआईपीएल इंडिया द्वारा मैसर्स रीड ट्रेडिंग कंपनी, फाइईसी और मैसर्स रीड एक्जिबिशन जापान लिमिटेड, जापान को किए गए भुगतान, यदि कोई, से संबंधित है।
- हम यह भी समझते हैं कि परिषद द्वारा दिनांक 09 मई, 2019 का एक आदेश संख्या एसईपीसी/ईडीपीसी/ईपीसी/2019-20 जारी किया गया जिसमें फाइईसी मेले के लिए अनुदान के निधियों के गबन का दोषारोपण करते हुए पूर्ववर्ती अध्यक्ष द्वारा दायर की गई शिकायत के संबंध में था, इस संबंध में परिषद को मंत्रालय की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
- अच्छा होगा कि उपर्युक्त के संबंध में अंतिम अद्यतनीकृत रिपोर्ट तथा पुलिस शिकायत संबंधी (जिसका उल्लेख आपकी पिछले वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किया गया है) अद्यतन रिपोर्ट हमें दिखाई जाए।
- हमें ज्ञात है कि परिषद के अधिकारियों के नाम पर सीआरपीसी की धारा 91 के अंतर्गत एक नोटिस भी प्राप्त हुआ है जो उस मेले के विवरण की पूछताछ से संबंधित है जिसका अधिकारियों ने समर्थनकारी दस्तावेजों सहित लिखित उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। इसकी मौजूदा स्थिति की जानकारी हमें दी जाए। अनुदान अनुमोदन पत्र के अनुसार संगठन द्वारा मंत्रालय को 2 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जरूरत होती है परंतु आन्तरिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र न तो हमें दिखाए गए हैं और न ही आज तक मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए हैं।
- दिनांक 16 फरवरी, 2018 की एमएआई स्कीम के खंड 6.2 के अनुसार मंत्रालय को 60 दिनों के बाद उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर मंत्रालय द्वारा सीधी 10 प्रतिशत कटौती अधिरोपित की जा सकती है।
- एमएआई के अनुपालन के अनुसार इस अनुदान का उपयोग आयोजन स्थल की लागत, प्रचार लागत एवं सुविधा लागत के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। मैसर्स एक्जिबिशन एंड ट्रेड सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की इनवाइस की जांच करते समय यह पाया गया कि इस समग्र राशि में हवाई टिकट, होटल में ठहरने का खर्च तथा आने-जाने का खर्च जैसे अन्य खर्च भी शामिल किए गए हैं, जो कि एमएआई अनुपालन का उल्लंघन है क्योंकि अनुदान केवल आयोजन स्थल के खर्च के लिए मंजूर किया गया था, न कि प्रतिभागियों के लाभ के लिए किसी अन्य खर्च हेतु। इसके अतिरिक्त, वेंडर द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल में स्थल प्रभार तथा अन्य लागत के बीच कोई विभाजन नहीं किया गया है।

- मैसर्स एक्जिबिशन एंड ट्रेड सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त दिनांक 19 जून, 2018 की ई-मेल के अनुसार यह नोट किया गया कि मैसर्स डी.एस. इंटरप्राइजेज ने दिनांक 18 जून, 2018 को जापान मेले में प्रतिभागिता करने के लिए प्रतिभागिता शुल्क के रूप में 6 प्रतिभागियों से 1.25 लाख प्रति प्रतिभागी की दर से 7.50 लाख रुपये प्रतिभागिता शुल्क प्राप्त हुआ था जिसे परिषद की लेखाबहियों में दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार "ग्राहकों से अग्रिम" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

	हमने यह भी नोट किया कि परिषद ने उन प्रतिभागी प्रतिनिधियों के, जिन्होंने मॉरिशस, मलेशिया और जापान में आयोजित सम्मेलनों/बैठकों में प्रतिभागिता की, हवाई टिकट के बोर्डिंग पास तथा वीजा की प्रति भी नहीं रखी है।	
7	**आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करना**	
	क) सदस्यों द्वारा सदस्यता शुल्क का भुगतान 31 मई तक करने के संदर्भ में परिषद के एओए/एमओए प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन नहीं किया गया है।	
	ख) आईसीआईसीआई बैंक के मार्च, 2019 माह के समाधान विवरण में 25,836/-रुपये की राशि का एक चेक बैंक में दर्शाया गया है, यह पर्युषित हो गया जिसके लिए अधिसूचना प्रविष्टियां अभी पारित की जानी है।	नए चेक जारी किए जा रहे हैं।
	ग) परिषद ने आरपीएमसी के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने पर 400,000/-रुपये का व्यय तथा ईवेंट पोर्टल के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने पर 2,35,000/-रुपये व्यय किए तथापि, वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं मौजूदा वर्ष में भी परिषद की उन सॉफ्टवेयरों तक कोई पहुंच नहीं है जिसके परिणामस्वरूप परिषद को घाटा हुआ है। प्रबंधन द्वारा हमें यह स्पष्टीकरण दिया गया कि वेंडर ने पूर्व-स्थापित अपेक्षा की पहुंच इन सॉफ्टवेयर तक उपलब्ध करा दी है।	नोट कर लिया गया। सीजीसी आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
	घ) नोएडा एसईजेड को छोड़कर अन्य क्षेत्रीय कार्यालय के सात अप्रचालन खातों में अप्रैल, 2017 से 1,44,798/-रुपये की राशि का कोई लेन-देन नहीं हुआ। हमें कांडला, फाल्टा, एमईपीजेड एवं कोचीन क्षेत्रीय कार्यालयों से बकाया सम्पुष्टि प्रमाणपत्र भी प्राप्त नहीं हुए क्योंकि वे निष्क्रिय खाते हैं।	
	ङ) हमने देखा किया कि आईसीआईसीआई बैंक मुख्यालय के खाते में (खाता सं. 6291011028387) 31 मार्च, 2019 को 5,22,462/-रुपये का बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस प्रदर्शित हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि चेक जारी किया गया परन्तु उसे भुगतान के लिए बैंक में जमा नहीं किया गया। परिषद द्वारा अपनाई जा रही यह परम्परा ठीक नहीं है, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।	
	च) परिषद में संवितरित विभिन्न खातों पर किए गए 2,95,162/-रुपये की राशि के व्यय के लिए मैट्रिक्स प्राधिकरण के अनुरूप अनुमोदन रिकार्ड में नहीं पाया गया और डब्ल्यूएफजेडओ को सदस्यता शुल्क का भुगतान किया गया, इसके लिए महानिदेशक, उप-महानिदेशक एवं उप-निदेशक के अनुमोदन का रिकार्ड नहीं मिला।	नोट कर लिया गया। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
	छ) हमने पाया कि परिषद ने विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण दिनांक 09 जुलाई, 2018 को 10,927/-रुपये का लाभ बुक किया है, इसके लिए प्रबंधन वर्ग के पास अन्य के औचित्य के लिए कोई समर्थनकारी दस्तावेज और आधार उपलब्ध नहीं है।	नोट कर लिया गया।
	ज) हमने पाया कि आवास परिसंपत्तियों की खरीद के खाते में 1,48,922/-रुपये की राशि (परीक्षण जांच आधार पर) व्यय की गई है जिसके लिए हमारी जांच के समय संबंधित वाउचरों/फाइलों में मूल बिल मूल्य ही उपलब्ध नहीं थे।	नोट कर लिया गया।
	झ) हमने पाया कि 3,48,923/-रुपये की एक व्यय (परीक्षण जांच आधार पर) राशि का व्यय किया गया है जिसके लिए हमारी जांच के समय संबंधित वाउचरों/फाइलों के साथ समर्थनकारी कागजात नहीं लगाए गए हैं।	क्षेत्रीय कार्यालय एमईपीजेड ने 49,000/-रुपये के 2 एसी खरीदे हैं। तथापि, आरओ से मूल बिल भेजने को कहा गया है।
	ञ) हमने पाया कि उप-महानिदेशक द्वारा होटल ट्राविन्स पैराडाइज कम्पनी लिमिटेड में ठहराव अवधि पर प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत की गई इनवॉयस मॉरिशस मेले के दौरान आईएनआर 1,308/-रुपये (678 मॉरिशस रुपये) व्यय किए गए थे। तथापि, इस इनवॉयस में उप-महानिदेशक का नाम न होकर महानिदेशक का नाम है और परिषद ने इसकी प्रतिपूर्ति उप-	नोट कर लिया। भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

	महानिदेशक को की है।	
	ट) विधिक एवं पेशेवर खाते में व्यय की गई 4,34,700/-रुपये की राशि का व्यय किया गया जिसके लिए हमारे सत्यापन के समय बैंक के साथ कोई अनुबंध/करार नहीं किया गया।	नोट कर लिया। भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।
	ठ) हमने यह पाया कि 7 क्षेत्रीय निदेशकों को प्रति माह 50,000/-रुपये का भुगतान किया गया है और 4 कार्यकारी स्टॉफ को 11,000/-रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया गया है जिसके लिए उन्हें कोई अनुबंधपत्र जारी नहीं किया गया है।	क्षेत्रीय निदेशकों को सीजीबी के समक्ष उसकी दिनांक 29.08.2018 को आयोजित बैठक में रखा गया है।
	ड) हमने पाया कि परिषद ने मैसर्स एस ट्रेडर्स से स्टॉफ कार किराए पर लेने के लिए प्रतिमाह 38,100/-रुपये का व्यय किया है जिसके लिए परिषद ने न तो कोई अनुबंध किया और न ही कोई लॉग-बुक रखी गई। तथापि, सीजीबी की दिनांक 20 जनवरी, 2017 को आयोजित 42वीं बैठक में 36,000/-रुपये प्रतिमाह के व्यय की मंजूरी दी गई है। शेष अन्य राशि का भुगतान भी किया जा रहा था जिसके लिए परिषद द्वारा कोई अनुमोदन नहीं लिया गया।	अभी अनुबंध पत्र जारी किए जा रहे हैं। नोट कर लिया गया। उप-महानिदेशक से अनुरोध किया गया है कि लॉग-बुक तथा अन्य आवश्यक सामग्री का रखरखाव सुनिश्चित कराएं।
	ढ) जीएसटी पर एक बैठक के लिए 220 व्यक्तियों के लिए एक होटल की बुकिंग पर 4,28,340/-रुपये की राशि का व्यय उपगत किया गया परन्तु उपस्थिति-पत्रक पर केवल 72 प्रतिभागियों की उपस्थिति ही दर्ज है। प्रबंध वर्ग ने होटल का चयन करने के लिए न तो कोई कोटेशन लिया और न ही होटल की बुकिंग के लिए कोई अनुमोदन लिया गया है।	इस बैठक में भारी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया था। तथापि, प्रतिभागियों के हस्ताक्षर नहीं लिए जा सके। भविष्य में ऐसी गलती दुबारा नहीं होगी।
	ण) हमने नोट किया है कि परिषद के पास 11,00,000/-रुपये की राशि है जिसे वर्ष 2011 से रखे गए "इंटीग्रेटेड एवाइंडेड डिवलपमेंट्स का अंशदान" नामक खाता बही में मौजूदा देयता शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।	नोट कर लिया गया।
	त) हमने नोट किया कि परिषद ने 5,28,015/-रुपये का पूर्व आवधिक व्यय उपगत किया है जिसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) में कोई प्रावधान नहीं किया गया।	
	थ) हमने यह भी नोट किया कि परिषद के सेवा नियमों को परिषद के समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया और इन सेवा नियमों को वर्ष 2013 से अभी तक संशोधित/अद्यतनीकृत नहीं किया गया है।	
	द) हमने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में किए गए किसी व्यय के तिमाहीवार बजटीय का रिकार्ड नहीं रखा गया।	
	ध) कारगर एवं उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद के सभी सारभौमिक प्रशासनात्मक पहलुओं में उसकी प्रभावात्मक प्रभावकारिता का अभाव है।	
8	**सांविधिक अनुपालन**	
	क) परिषद ने भविष्य निधि के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अर्थात परिषद द्वारा प्रदत्त विशेष भत्तों पर भविष्य निधि की कटौती की अनुपालन करने की ओर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है।	नोट कर लिया गया।
	ख) आयकर अधिनियम की धारा 49(क)(3) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 72,032/-रुपये की राशि का नकद व्यय किया गया (प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 10,000/-रुपये से अधिक का नकद व्यय)।	नोट कर लिया गया। भविष्य में ऐसी गलतियां दुबारा नहीं होंगी।
	ग) आयकर की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रही 7,09,740/-रुपये के टीडीएस अदायगी के संबंध में आयकर विभाग के साथ कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है। सीजीबी ने 11 अगस्त, 2017 को आयोजित 44वीं बैठक में आयकर की वेबसाइट पर प्रदर्शित हो रही 5,71,341/-रुपये की टीडीएस अदायगी के लिए भुगतान करने का अनुमोदन किया था। तथापि, यह नोट	नोट कर लिया गया। किए गए उल्लेख के अनुसार आयकर विभाग के पास उक्त राशि जमा करा दी जाएगी।

किया गया कि ईसीसीईएल ने अभी तक कोई भुगतान नहीं किया है।

घ) आयकर विभाग की वेबसाइट पर परिषद का 64,577/-रुपये बकाया प्रदर्शित हो रहा है।

नोट कर लिया गया। भविष्य में अधिक सावधानी रखी जाएगी।

ङ) टीडीएस, पीएफ, जीएसटी जमा कराने में तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान उनके रिटर्न दर्ज कराने में भारी विलंब हुआ है, जिसके कारण परिषद ने 80,920/-रुपये का अर्थदंड/ब्याज चुकाया है और अगले वित्तीय वर्ष में उसे लेखाबद्ध में वसूल किया जाएगा।

नोट कर लिया गया।

च) 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार बहियों में देय 1,23,500/-रुपये का स्रोत पर कटौती किए गए कर को आज की तारीख तक जमा नहीं किया गया है।

नोट कर लिया गया। जीएसटी लेखापरीक्षक से परामर्श करके अभी जीएसटी रिटर्न भरे जा रहे हैं। सभी प्रविष्टियों को वर्ष 2018-19 की जीएसटी लेखापरीक्षा में सुधार लिया जाएगा।

छ) जीएसटी रिटर्न तथा बहियों के अनुसार जीएसटी की राशि का मिलान करते समय उसमें भारी अंतर पाया गया।

नोट कर लिया गया।

ज) वसूली योग्य टीडीएस का 26 एएस के साथ मिलान करते समय कई विसंगतियां पाई गई।

नोट कर लिया गया है।

झ) परिषद ने आरसीएम के अंतर्गत 7,627/-रुपये की राशि का भुगतान किया गया है जिसके लिए परिषद उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, अतः परिषद को राजस्व की क्षति हुई।

चालू बहियों में उनकी प्रविष्टियां कर दी गई है।

ञ) परिषद ने 2,822/-रुपये का त्रुटिपूर्ण इनपुट क्रेडिट लिया है जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अनुसार अपात्र या अनुमत नहीं है।

ट) सीजीबी के सदस्यों का 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वार्षिक रिटर्न अभी तक दायर नहीं किया गया है जैसाकि सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 4 के अंतर्गत अपेक्षित है।

ठ) हमने यह नोट किया कि आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न लेखापरीक्षा न किए गए आंकड़ों के आधार पर दायर किया गया है।

9 वह व्यय जिसके लिए केंद्रीय शासी परिषद के अनुमोदन की जरूरत होती है।

क्र.सं.	व्यय की प्रकृति	अनुमोदन के लिए कारण	राशि (रुपये)
1.	आयकर की वेबसाइट पर ट्रेस विभाग (टीडीएस) का भुगतान आज की तारीख तक नहीं किया गया।	सीजीबी द्वारा अपनी 11 अगस्त, 2017 को आयोजित 44वीं बैठक में वित्त वर्ष 2016-17 तक 5,71,341/-रुपये की राशि की ट्रेस विभाग का भुगतान करने के लिए पारित पिछले संकल्प का अनुपालन नहीं हो पाया है।	7,09,740
2.	ब्याज एवं अर्थदंड व्यय	सांविधिक देयों को जमा कराने में विलंब	80,920
3.	विविध व्यय एवं डब्ल्यूएफजेडओ को वहन सदस्यता शुल्क	प्राधिकार के प्रत्यायोजन के अनुरूप व्यय नोट पर कोई अनुमोदन नहीं।	2,95,162

नोट कर लिया गया। अंतिम भुगतान का विस्तृत विवरण सीजीबी के समक्ष रखा गया था।

10. **अध्यक्ष एवं स्थानापन्न अध्यक्ष के बीच विधिक मामले**

क) आज की तारीख को परिषद के निम्नलिखित मामले लंबित हैं :-

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
1.	डा. विनय शर्मा बनाम ईसीसीईएल एवं अन्य	पिछली सुनवाई 7 सितम्बर, 2019 को हुई थी ऑनलाइन स्टेटस "खारिज" दर्शा रहा है।
2.	ईसीसीईएल बनाम पीपी जोशी एवं अन्य	अगली सुनवाई की तारीख 9 दिसम्बर, 2019 है।

	अन्य सभी मामलों का या तो निपटारा हो चुका है अथवा वापस ले लिए गए हैं।	
11.	**आयकर से संबंधित मुद्दे** क) हमने यह नोट किया है कि आकलन अधिकारी ने अपने दिनांक 30 दिसम्बर, 2018 के आदेश के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 (आकलन वर्ष 2016-17) के लिए अभिमत व्यक्त किया है कि चूंकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 12 के प्रावधानों के अनुसार आयकर से छूट का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है और तदनुसार ही आय का आकलन व्यवसाय आय के रूप में किया गया था और आकलनकर्ता ने परिषद की आकलन वर्ष 2016-17 के लिए 88,39,712/-रुपये की आय का आकलन किया था जिस पर कुल 32,29,051/-रुपये के आयकर (टीडीएस और ब्याज की वसूली का समायोजन करने के पश्चात) की मांग की गई थी जिसकी आयकर विभाग ने परिषद के बैंक खातों को जब्त करके वसूली कर ली है। मेरी समझ में परिषद ने सीआईटी (ए), नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की है। ख) परिषद ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत 64,94,007/-रुपये की आय का संचयन कर लिया था, जिसके लिए परिषद ने तत्कालीन सांविधिक लेखापरीक्षकों से फार्म 10ख दायर नहीं किया था और तदनुसार आयकर विभाग ने दिनांक 16 मार्च, 2019 के आदेश के तहत 15,16,411/-रुपये (टीडीएस का समायोजन करने पश्चात) की आयकर देयता की मांग की है।	
12.	**आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के तहत संचयन** क) परिषद ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के तहत 62,85,278/-रुपये का संचयन कर लिया था जिसका उपयोग आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष तक किया जाना था। परंतु उसका 31 मार्च, 2019 तक उपयोग नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप परिषद की आय में उस राशि के बराबर वृद्धि हुई और उस राशि पर आयकर देय होगा। तदनुसार, परिषद ने अपनी खाताबहियों में दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 19,61,007/-लाख रुपये की आयकर देयता (ब्याज एवं अर्थदंड के अलावा) का प्रावधान किया है। ख) परिषद को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणों के अनुसार आय का कोई संचयन नहीं हुआ है क्योंकि परिषद के आय-व्यय विवरण के अनुसार परिषद की कुल आय परिषद की कुल प्राप्तियों से अधिक है और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर देयता का प्रावधान नहीं किया गया है।	

कृते ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000038एन

ह./-
(के. एन. गुप्ता)
भागीदार
एम संख्या : 009169
यूडीआईएन : 19009169एएएएबीजे5220

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24 सितम्बर, 2019

अनुबंध-1

विभिन्न बैंकों में दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार धारित सावधि जमा जिनके लिए मूल एफडीआर हमारी जांच के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराए गए।					
बैंक का नाम	सावधि जमा की संख्या	टैली के अनुसार राशि	ब्याज की दर	अवधि	एफडी संख्या
पीएनबी हाउसिंग	1	6,498,339	लागू नहीं	लागू नहीं	
एसबीआई बैंक	1	244,859	लागू नहीं	लागू नहीं	34483349946
एसबीआई बैंक	10	952,990	लागू नहीं	लागू नहीं	30694394295(10)
एसबीआई बैंक	1	297,627	लागू नहीं	लागू नहीं	31836635476
आईसीआईसीआई बैंक	6	178,192	लागू नहीं	लागू नहीं	
कुल		8,172,007			

अनुबंध-2

अचल परिसंपत्तियां जिनके लिए परिषद द्वारा कोई कुटेशन नहीं लिया गया					
वेंडर का नाम	परिसंपत्ति	बीजक संख्या	बीजक की तारीख	दैनंदिन वाउचर संख्या	राशि (रुपयों में)
ओएसआर टेक्नालोजीज	एचपी एलईडी	मई/18-19/0026	22-05-2018	149	5,800
ओएसआर टेक्नालोजीज	एचपी एलईडी	जून/18-19/0038	15-06-2018	238	5,800
मैसर्स जीएसएलएक्सी लिमिटेड	वेबसाइट	एफ22433000378	27-12-2018	677	450,000
अजीत किचेन	क्षेत्रीय कार्यालय परिसर को फिर से चमकाना	11	08-06-2018	220	99,922
स्मार्ट नेट इन्फार्मेटिक्स	लैपटॉप एवं मुद्रक	आईएस09	07-09-2019	501	52,877
कुल					614,399

ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

	अनुसूची	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
देयताएं			
पूंजीगत प्रारक्षिति	1	650,000	650,000
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष	2	65,548,316	54,817,000
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत संचयन	3	9,054,079	21,833,364
पूंजीगत व्यय निधि	4	14,885,743	17,365,730
मौजूदा देयताएं एवं प्रावधान	5	25,673,990	28,193,216
		115,812,128	**122,859,310**
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	6	20,005,216	21,759,051
निवेश	7	56,433,229	63,793,759
विविध देनदार	8	1,629,756	1,793,163
नकद एवं बैंक जमा	9	26,140,766	4,348,807
अन्य चालू परिसंपत्तियां	10	11,603,161	31,164,530
		115,812,128	**122,859,310**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां	12		

उपर उल्लिखित अनुसूची वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है

कृते **ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000038एन

कृते एवं **परिषद की ओर से**

ह./-
के. एन. गुप्ता
भागीदार
एम सं. 009169

ह./-
आनन्द गिरि
उप-महानिदेशक

ह./-
भुवनेश सेठ
उपाध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.09.2019

ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	अनुसूची	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
सदस्यता शुल्क		33,726,700	30,806,625
जमा, निवेश एवं बचत बैंक खातों पर ब्याज		4,620,540	5,419,023
आयकर प्रतिदाय पर ब्याज		-	35,156
अधिसूचना पुस्तकों/ईपीसीईएस न्यूज़ पत्रिका में विज्ञापन		615,000	745,000
निर्यात पुरस्कार समारोह का प्रायोजन			6,150,000
विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों/मेलों में प्रतिभागिता करने के लिए प्रतिभागिताकारियों से अंशदान		11,434,400	9,991,500
मंत्रालय से प्राप्त बाजार पहुंच पहल अनुदान (प्रयोग की गई सीमा तक)		8,585,000	16,130,206
धारा 11(2) के अंतर्गत संचयित अप्रयुक्त राशि			
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए (फार्म 10ख - जमा न होना)		6,494,007	-
• वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		6,285,278	-
• वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए		-	2,637,801
• वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए		-	538,925
अन्य आय		111,465	48,777
कुल		**71,872,390**	**72,503,013**
व्यय			
क. गैर-कोर क्रियाकलाप (प्रशासनिक व्यय)			
वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए धारा 11(2) के अंतर्गत संचयित राशि का उपयोग			
- कौशल संवर्धन के लिए अनुसंधान कार्य व्यय		-	10,081,356
- कौशल संवर्धन के लिए ओएसटी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सामग्री		-	1,563,070
		-	**2,644,426**
यात्रा एवं स्थानीय परिवहन		870,848	1,437,504
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार		2,131,951	2,278,229
दर एवं कर		3,555,782	291,165
वेतन, पारिश्रमिक एवं भत्ता		6,873,396	7,390,879
कार्यालय व्यय		3,386,497	4,846,906
अन्य संगठनों के साथ सदस्यता		45,620	34,313
सांविधिक अंकेक्षण शुल्क		150,000	85,000
मूल्यह्रास	6	2,479,987	2,554,490
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		-	514,968
क्षेत्रीय कार्यालय व्यय	11	7,414,477	3,885,768
विविध व्यय		140,925	163,769

	अनुसूची	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
उप-योग (क)		**27,049,482**	**26,127,417**
ख. मुख्य क्रियाकलाप (कार्यात्मक व्यय)			
विदेश में प्रदर्शनियों में भागीदारी			
- बाजार पहुंच पहल अनुदान से व्यय		8,585,000	16,130,206
- एमएआई के अंतर्गत आयोजन के लिए सदस्यों के अंशदान से व्यय		21,098,158	9,354,442
		29,683,158	**25,484,648**
आयोजन प्रबंधन व्यय		-	135,850
ओपन हाउस बैठक/कार्यशाला/बैठक व्यय		663,583	17,41,632
डीजीएफटी/सीबीईसी/सीबीडीटी/आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर प्रकाशन		-	-
अखबारों में विज्ञापन		-	1,809,652
संस्थापक दिवस समारोह, मीडिया सहित		600,000	2,047,783
ईपीसीईएस समाचार/ बजट/अधिसूचना पुस्तक का मुद्रण		1,282,260	2,195,745
ईपीसीईएस निर्यात पुरस्कार		213,832	3,409,542
उप-योग (ख)		**32,442,833**	**36,824,852**
कुल (क + ख)		**59,492,315**	**62,952,269**
विनियोग से पूर्व वर्ष के लिए अधिशेष		12,380,075	9,550,744
जोड़ें : पूंजी व्यय निधि से जारी राशि		2,479,987	2,554,490
घटाएं : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अलग रखी गई राशि		-	2,676,608
घटाएं : आयकर अधिनियम के लिए प्रावधान		4,128,746	166,528
तुलनपत्र में आरक्षित एवं अधिशेष लेखा में अंतरित जमा		**10,731,316**	**9,262,098**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां	12		

उपर उल्लिखित अनुसूची वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है

कृते **ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000038एन

कृते एवं **परिषद की ओर से**

ह./-
के. एस. गुप्ता
भागीदार
एम सं. 009169

ह./-
आनन्द गिरि
उप-महानिदेशक

ह./-
मुकेश सेठ
उपाध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.09.2019

ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
अनुसूची-1		
पूंजीगत प्राप्तियां		
संस्थापक सदस्यों से प्राप्त प्रारंभिक धन	650,000	650,000
	650,000	**650,000**
अनुसूची-2		
प्राप्तियां एवं अधिशेष		
पिछले वर्ष के अनुसार शेष	54,817,000	45,554,902
जोड़ : आय एवं व्यय खाते से अंतरित अधिशेष	10,731,316	9,262,098
	65,548,316	**54,817,000**
अनुसूची-3		
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत संचयन		
पिछले वर्ष के अनुसार शेष	21,833,364	22,333,482
घटाएं : वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत संचयन के रूप में आय एवं व्यय लेखों में अंतरित राशि (फार्म 10ख प्रस्तुत न किया जाना)	6,494,007	-
घटाएं : 31 मार्च, 2019 तक उपयोग न की गई वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत संचयित के रूप में आय एवं लेखों में अंतरित राशि	6,285,278	-
घटाएं : वित्तीय वर्ष 2012-13 में उपयोग न की गई राशि के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत किए गए संचयन के रूप में आय एवं व्यय खाते में अंतरित राशि	-	2,637,801
घटाएं : 31 मार्च, 2017 तक उपयोग न की गई वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 11(2) के अंतर्गत संचयित राशि के रूप में आय एवं व्यय खाते में अंतरित राशि	-	538,925
जोड़ : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अलग रखने हेतु आय एवं व्यय खाते से अंतरित की गई राशि	-	2,676,608
	9,054,079	**21,833,364**
अनुसूची-4		
पूंजीगत व्यय निधि		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष	17,365,730	19,920,220
घटाएं : आय एवं व्यय खाते में अंतरित	2,479,987	2,554,490
	14,885,743	**17,365,730**
अनुसूची-5		
चालू देयताएं एवं प्रावधान		
प्राप्त अग्रिम सदस्यता शुल्क	4,343,460	6,270,187
उपयोग न किया गया एमएआई अनुदान	2,040,000	4,375,000*

	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
"अधिसूचना पुस्तक" से अग्रिम विज्ञापन आय	-	-
सोर्सिंग प्रदर्शनी में ईपीसीईएस की प्रतिभागिता	-	3,740,000
देय लेखापरीक्षा शुल्क – अलग्यवार: जीएसटी के लिए (टीडीएस का निवल)		
- सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	135,000	76,500
- आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	85,500	-
अन्य देयताएं	4,265,145	4,252,322
ईपीसीईएस एसईज़ेड विकास खाते के लिए प्राप्त अंशदान	1,100,000	1,100,000
विभिन्न देनदारों से प्रतिदेय योग्य राशि	602,754	638,154
देय आयकर	4,128,746	166,528
सेवानिवृत्ति लाभ हेतु प्रावधान		
-ग्रेच्युटी (उपदान)	2,717,284	2,549,461
-छुट्टी नकदीकरण	2,918,798	2,855,281
देय सम्पदा कर	255,765	255,765**
सेवाकर/देय जीएसटी	829,117	403,514**
देय पीएफ	262,037	106,083**
देय टीडीएस	943,085	1,169,965**
देय वेतन	1,047,299	234,456
	25,673,990	**28,193,216**
*अप्रैल, 2019 में चुकता		
**अप्रैल से सितम्बर, 2019 के दौरान चुकता		

ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार	जोड़	विलोपन	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार
अनुसूची-6				
अचल परिसंपत्तियां				
सकल ब्लॉक				
कार्यालय वाहन	1,044,972	-	-	1,044,972
फर्नीचर एवं जुड़नार	920,154	99,921	-	1,020,075
कार्यालय उपकरण	1,249,987	39,171	-	1,289,158
कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर	2,496,602	52,060	-	2,548,662
कार्यालय परिसर	41,436,264	-	-	41,436,264
अमूर्त परिसंपत्तियां	82,000	535,000	-	617,000
	47,229,979	**726,152**	**-**	**47,956,131**
पिछला वर्ष	**46,438,232**	**791,747**	**-**	**47,229,979**
अवमूल्यन				
कार्यालय वाहन	289,980	113,249	-	403,229
फर्नीचर एवं जुड़नार	437,584	61,344	-	498,928
कार्यालय उपकरण	865,763	63,509	-	929,272
कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर	2,235,005	124,543	-	2,359,548
कार्यालय परिसर	21,617,428	1,981,884	-	23,599,312
अमूर्त परिसंपत्तियां	25,168	135,458	-	160,626
	25,470,928	**2,479,987**	**-**	**27,950,915**
पिछला वर्ष	**22,916,438**	**2,570,390**	**-**	**25,486,828**
निवल ब्लॉक				
कार्यालय वाहन	754,992	-	-	641,743
फर्नीचर एवं जुड़नार	482,570	-	-	521,147
कार्यालय उपकरण	384,224	-	-	359,886
कम्प्यूटर एवं साफ्टवेयर	261,597	-	-	189,114
कार्यालय परिसर	19,818,836	-	-	17,836,952
अमूर्त परिसंपत्तियां	56,832			456,374
	21,759,051	**-**	**-**	**20,005,216**
पिछला वर्ष	**23,521,794**	**-**	**-**	**21,743,152**

ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
अनुसूची-7		
निवेश		
सावधि जमा		
मुख्यालय में		
आवासन एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड	2,580,736	2,580,736
पीएनबी हाउसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन	41,496,080	41,496,080
क्षेत्रीय कार्यालयों में		
कारपोरेशन बैंक	9,642,664	16,619,477
भारतीय स्टेट बैंक, कोचीन	1,495,476	1,495,476
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नोएडा	-	383,717
आईसीआईसीआई बैंक, वीएसईजेड	895,342	895,342
इंडियन बैंक, चेन्नई	322,931	322,931
	56,433,229	**63,793,759**
अनुसूची-8		
विविध देनदारों पर 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया		
-प्रतिभूति रहित, अच्छा माना गया	1,023,281	227,913
-प्रतिभूति रहित, संदिग्ध माना गया	-	567,788
	1,023,281	**795,701**
घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	-	451,688
	1,023,281	**344,013**
विविध देनदारों पर 6 महीने से कम की अवधि के लिए बकाया		
-प्रतिभूति रहित, अच्छा माना गया	606,475	1,199,150
-प्रतिभूति रहित, संदिग्ध माना गया	-	313,280
	606,475	**1,512,430**
घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	-	63,280
	606,475	**1,449,150**
	1,629,756	**1,793,163**
अनुसूची-9		
नकद एवं बैंक जमा		
नकद जमा		
मुख्यालय	71,920	39,747
क्षेत्रीय कार्यालय	-	3,312
निम्नलिखित खातों में जमा		
चालू खाता		
मुख्यालय कारपोरेशन बैंक	10,644,834	4,772,823

ईओयू एवं एसईज़ेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियां

	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार
क्षेत्रीय कार्यालय	375,984	27,571
बचत खाता		
मुख्यालय कारपोरेशन बैंक	1,512,603	1,460,800
मुख्यालय आईसीआईसीआई बैंक (बुक ओवर ड्राफ्ट)	-522,462	(5,314,176)
क्षेत्रीय कार्यालय	128,617	136,637
ऑटो स्विप्ड जमा		
मुख्यालय आईसीआईसीआई बैंक	13,929,270	3,222,093
	26,140,766	**4,348,807**
अनुसूची-10		
अन्य चालू परिसंपत्तियां (गैर-प्रतिभूतियुक्त, अच्छी मानी गई)		
उपार्जित सदस्यता शुल्क	-	500,000
निर्यात पुरस्कार 2015-16 निष्पादन के लिए उपार्जित स्पॉन्सरशिप (वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिल की गई)	-	4,835,000
पट्टा अग्रिम	6,900	9,415,349
पूर्व प्रदत्त व्यय	9,250	61,300
स्टाफ को अग्रिम	210,000	205,000
निवेश एवं जमा पर उपार्जित ब्याज (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय)	7,940,420	5,583,439
इम्प्रेस्ट होल्डर्स इन-हैंड	46,697	-
प्रतिभूति जमा	16,500	16,500
वसूली योग्य टीडीएस	2,681,262	1,939,705
एमएआई अनुदान प्राप्य	-	7,356,206*
प्राप्य जीएसटी इनपुट कर क्रेडिट	692,123	1,234,031
	11,603,181	**31,184,530**
*ओडिशा एवं तेलंगाना राज्यों में प्रतिभागिता के लिए क्रमश: अप्रैल एवं मई, 2018 में प्राप्त		
अनुसूची-11		
क्षेत्रीय कार्यालय व्यय		
नॉन-कोर क्रियाकलाप		
यात्रा एवं स्थानीय व्यय	65,966	325,126
मानदेय व्यय	4,628,000	2,520,000
मुद्रण स्टेशनरी	15,880	27,080
टेलीफोन एवं पोस्टेज व्यय	54,735	66,970
स्टाफ का कल्याण/आतिथ्य	11,491	4,096
अखबार एवं पत्रिकाएं	2,095	8,512
किराया	2,407,435	4,200
कार्यालय व्यय	73,244	909,888
बैंक प्रभार	1,187	117
पेशेवर शुल्क	-	19,770
बैठक व्यय	154,444	-
	7,414,477	**3,885,768**

ईईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का अंश बनने वाली टिप्पणियां

अनुसूची-12

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणियां

(क) पृष्ठभूमि

1. यह परिषद रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के पास सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में दिनांक 16 जनवरी, 2003 को पंजीकृत की गई।
2. यह परिषद निदेशक, आयकर (छूट) के कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा 16 जनवरी, 2003 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अंतर्गत दिनांक 15 अक्तूबर, 2008 के पत्र के तहत पंजीकृत है।

(ख) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण परिपाटी

वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण नीतियों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार और भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार लेखाकरण के प्रोद्भवन आधार पर परम्परागत लागत परिपाटी के अंतर्गत तैयार किए गए हैं।

2. राजस्व अभिज्ञान

क) सदस्यता शुल्क से प्राप्त राजस्व मान्यता प्राप्त है, जब इसकी प्राप्ति के संबंध में कोई भारी अनिश्चितता न हो।

ख) जब अंतिम संग्रहण अनिश्चित माना जाए उसके सिवाय सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क का लेखा प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। अग्रिम रूप से प्राप्त शुल्क को अग्रनीत किया जाता है और उसे उससे संबंधित वर्ष में समायोजित किया जाता है।

ब्याज आय की गणना लागू दर पर एवं बकाया राशि को ध्यान में रखते हुए समय-अनुपात आधार पर की जाती है।

ग) ईपीसीईएस वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुरोध पर अपने वार्षिक प्रस्तावों को (विदेशों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए) प्रतिवर्ष बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत करता है। इन प्रस्तावों पर वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में विचार किया जाता है। उक्त अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन और अनुदान राशि की मंजूरी के पश्चात ईपीसीईएस अन्य भारतीय निर्यातक कंपनियों के साथ विदेश में आयोजित केवल उन व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता करती है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होते हैं। इस संबंध में प्राप्त राशि का उपयोग प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता करने के लिए व्यय किया जाता है। तथापि, यदि ईपीसीईएस विदेशों में आयोजित व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता करने में समर्थ नहीं हो पाती है तो उपयोग न की गई अनुदान राशि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को वापस कर दी जाती है।

3. आकलनों का प्रयोग

भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों की सम्पुष्टता में वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय उन प्राक्कलनों एवं पूर्वानुमानों को करना अपेक्षित होता है जो वित्तीय विवरणों की तारीख को आकस्मिक देयताओं के प्रकटन और रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों एवं देयताओं की राशि और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई राजस्व एवं व्यय की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से पृथक हो सकते हैं। लेखाकरण आकलनों में किए गए संशोधन को भविष्यप्रभावी रूप से चालू एवं भावी लेखाकरण अवधियों के लिए अभिज्ञात किया जाता है।

4. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों की लागत का उल्लेख संचयी अवमूल्यन को घटाकर किया जाता है। अधिग्रहण/निर्माण की लागत में संबंधित परिसंपत्ति के प्रतिष्ठापन/प्रारंभ तक हुए माल भाड़ा, शुल्क, कर एवं अन्य आकस्मिक व्यय शामिल होते हैं।

चालू परिसंपत्तियों का अवमूल्यन आयकर नियम, 1962 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों पर अवलेखन मूल्य तरीके से किया जाता है। अवमूल्यन की दरें निम्नलिखित हैं :-

कार्यालय वाहन	15 प्रतिशत
फर्नीचर एवं जुड़नार	10 प्रतिशत
कार्यालय उपकरण (मोबाइल फोन सहित)	15 प्रतिशत
कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर	40 प्रतिशत
कार्यालय परिसर	10 प्रतिशत
अमूर्त परिसंपत्तियां	25 प्रतिशत

5. निवेश

जो निवेश तत्काल में कार्यरूप में परिणत करने योग्य हैं और जिनको एक वर्ष से अधिक के समय के लिए धारित करने का इरादा नहीं है उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

चालू निवेशों को लागत की न्यूनतर दर पर और व्यक्तिगत निवेश आधार पर निर्धारित वसूल करने योग्य निवल मूल्य पर लाया जाता है। दीर्घावधिक निवेश को उनकी लागत पर लिया जाता है। तथापि, मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है ताकि निवेश के मूल्य में अस्थायी गिरावट को छोड़कर किसी अन्य गिरावट का अभिज्ञान किया जा सके।

6. सेवा निवृत्ति लाभ

परिदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार देय परिदान के कारण उत्पन्न देयता का प्रावधान किया गया है और प्राप्त न की गई छुट्टियों के लिए छुट्टी नकदीकरण के लिए देनदारी का प्रावधान परिषद के छुट्टी नियमों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार छुट्टी नकदीकरण के आधार पर किया जाता है।

7. आय पर कर

ईपीसीईएस करयोग्य आय की गणना और आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आय की अनुप्रयोज्यता आय एवं व्यय विवरण के अनुरूप (उपार्जित आधार पर) तैयार करती है। चूंकि ईपीसीईएस कोई व्यवसाय क्रियाकलाप नहीं करता है और सभी व्यय परिषद के उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं जिन पर आयकर अधिनियम की धारा 12क के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त है।

8. परिसंपत्तियों का हानिकरण

परिषद वार्षिक आधार पर प्रत्येक ऐसे संकेतक का आकलन करती है जिनसे परिसंपत्तियों को क्षति पहुंच सकती है। यदि कोई ऐसा संकेतक मौजूद होता है तो परिषद उस परिसंपत्ति पर वसूल कर सकने योग्य राशि का आकलन करती है। यदि इस तरह वसूल करने योग्य राशि वहनीय राशि से कम होती है तो वहनीय राशि को इसकी वसूल करने योग्य राशि से कम कर दिया जाता है। इस कटौती को क्षति हानि के रूप में माना जाता है और उसे आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया जाता है। यदि तुलनपत्र की तारीख को ऐसा कोई संकेत है कि पूर्व में आकलित की गई क्षति हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का फिर से आकलन किया जाता है और उस परिसंपत्ति को मूल्यह्रासित ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन वसूली जा सकने योग्य राशि पर प्रदर्शित किया जाता है।

9. परिषद द्वारा विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन को उस लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर गिना जाता है। तुलनपत्र की तारीख को बकाया (व्युत्पादित संविदाओं के अलावा) विदेशी मुद्रा में मौद्रिक मदों को वर्ष की समाप्ति के समय की विनिमय दर पर फिर से उल्लिखित किया जाता है। गैर-मौद्रिक मदों को ऐतिहासिक लागत पर लाया जाता है और विनिमय लाभ या हानि को आय एवं व्यय विवरण में अभिज्ञात किया जाता है। मौद्रिक मदों पर सृजित उन विनिमय विसंगतियों को, जो, पदार्थ रूप में, उस उद्यम के गैर-अविभाज्य विदेशी प्रचालन में निवल निवेश का भाग बनाता है, उन्हें विदेशी मुद्रा अंतरण प्रारक्षिति में संचयित किया जाता है।

10. **प्रावधान एवं आकस्मिकताएं**

यदि किसी ऐसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप, जहां आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभव है और प्रतिबद्धता की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है, वहां परिषद मौजूदा प्रतिबद्धता के लिए प्रावधान करती है।

आकस्मिक देयताओं के लिए तब प्रकटन किया जाता है जब निम्नलिखित में से कुछ होता है :

क) संभावित दायित्व हो, जिसकी मौजूदगी की सम्पुष्टि किसी एक या अधिक अनिश्चित घटना के होने या न होने से होती है और जो परिषद के पूर्णतया नियंत्रण में न हो; अथवा

ख) मौजूदा दायित्व, जहां यह संभव न हो कि उस प्रतिबद्धता का निस्तारण करने के लिए आर्थिक लाभ के प्रतीक के रूप में संसाधनों का आउटफ्लो करना अपेक्षित होगा; अथवा

ग) मौजूदा दायित्व, जिसका भरोसेमंद आकलन न किया जा सकता हो।

जहां कोई ऐसा मौजूदा दायित्व है जिसके संबंध में संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना दूरस्थ हो, वहां कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

(ग) **लेखाओं पर टिप्पणियां**

1. वेतन, पारिश्रमिक और भत्तों में, अनुग्रही, स्टाफ कल्याण, प्रतिपूर्ति, परिदान, छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान, भविष्य निधि के लिए अंशदान आदि जैसी अनुश्रेणियां शामिल होती हैं।

2. विगत वर्ष (वर्षों में) परिषद ने आय एवं व्यय खाते से अंतरित करके 31 मार्च, 2018 तक 1,73,65,730/-रुपये की पूंजीगत व्यय निधि सृजित की थी। इस निधि का उपयोग "कार्यालय बनाने/विस्तार करने, जिसमें फर्नीचर एवं जुड़नार तथा कम्प्यूटरीकरण आदि" शामिल था, के लिए करने का इरादा था। मूल्यह्रास की राशि के बराबर 24,79,987/-रुपये (पिछले वर्ष 25,54,490/-रुपये) आय व्यय खाते में अंतरित करके पूंजीगत व्यय निधि से रिलीज किए गए हैं।

3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत संचयन

क. परिषद ने वित्तीय वर्ष 2013-14 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत 62,85,278/-रुपये संचय किए थे जिनका उपयोग आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 तक किया जाना था। तथापि, इस संचयित निधि का उपयोग 31 मार्च, 2019 तक नहीं किया जा सका। इसलिए इसे उस राशि के बराबर आय के रूप में माना गया जिस पर आय कर देय होगा।

तदनुसार, परिषद ने 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार अपनी खाता बहियों में 19,61,007/-लाख रुपये (ब्याज एवं अर्थदंड को छोड़कर) की आयकर देयता के लिए प्रावधान किया था।

4. **आयकर आकलन**

क) परिषद को वित्तीय वर्ष 2015-16 (आकलन वर्ष 2016-17) के लिए आय कर विभाग से (दिनांक 30 दिसम्बर, 2018 के तहत) एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें अभिमत व्यक्त किया गया कि करदाता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 12 के प्रावधानों के अनुसार आयकर से छूट का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है और तदनुसार, इस आय का आकलन व्यवसाय आय के रूप में किया गया है और आकलन अधिकारी ने परिषद की आकलन वर्ष 2016-17 के लिए 86,39,712/-रुपये की आय का आकलन किया है जिस पर (टीडीएस और ब्याज पर शुल्क का समायोजन करने के पश्चात) 32,29,051/-रुपये के आयकर की मांग की गई जिसे आयकर विभाग ने परिषद के बैंक खाते की जब्ती करके वसूल कर लिया।

ख) परिषद ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के अंतर्गत 64,94,007/-रुपये की आय का संचयन किया था जिसके लिए परिषद तत्कालीन सांविधिक लेखापरीक्षकों ने फार्म 10ख दायर नहीं किया था और तदनुसार आयकर विभाग ने अपने दिनांक 16 मार्च, 2019 के आदेश के तहत (टीडीएस का समायोजन करने के पश्चात) 15,16,411/-रुपये की आयकर देयता की मांग की थी और इसके लिए खाता बहियों में 15,16,411/- रुपये का प्रावधान सृजित किया गया।

ग) परिषद ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणों के अनुसार आय का कोई संचयन नहीं किया है क्योंकि परिषद के आय व्यय के विवरण के अनुसार अनुप्रयोजित कुल आय कुल प्राप्तियों से अधिक है और तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर देयता का प्रावधान नहीं किया गया है।

5. परिषद को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान 1,06,25,000/-रुपये का (पिछले वर्ष 20,505,206/-रुपये का) एमएआई अनुदान प्राप्त हुआ था/प्राप्य था जिसमें से वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 85,85,000/-रुपये की राशि का उपयोग किया गया है और 20,40,000/-रुपये की शेष राशि को दिनांक 31 मार्च, 2019 तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को वापस किया जाना था।

6. परिषद के सदस्यों की राय में, मौजूदा परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का मूल्य, यदि उनकी वसूली व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में की जाए तो कम से कम उस राशि के समान होगा जिसका उल्लेख तुलनपत्र में किया गया है और अलग से विनिर्दिष्ट सीमा को छोड़कर सभी ज्ञात देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है।

7. वित्तीय वर्ष 2018-19 में सांविधिक देयताओं (टीडीएस, पीएफ, जीएसटी, सम्पदा कर) को जमा करने और उनकी रिटर्न दाखिल करने में विलंब हुआ जिसके कारण 80,920/-रुपये के ब्याज/अर्थदंड का लेखा बहियों में प्रावधान किया गया है।

8. परिषद को टीडीएस विभाग से ट्रेसेस की वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक 7,09,740/-रुपये की राशि की कर मांग प्राप्त हुई थी जिसके लिए लेखा बहियों में प्रावधान किया गया था।

9. परिषद का आकलन वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों (जिसमें मांग का इरादा नोटिस शामिल है) पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत छूट से मनाही तथा पूर्वावधि व्यय की अनुमति न देना और आयकर अधिनियम की धारा 11(2) के अंतर्गत संचयन का लाभ आदि से संबंधित विवाद है। इनसे संबंधित आदेश अपील के विभिन्न स्तरों पर लंबित है। ई-फाइलिंग पोर्टल के अनुसार 15,80,987/-रुपये की बकाया लंबित मांग है जिसमें से विभाग द्वारा 8 अप्रैल, 2019 को धारा 220(2) के अंतर्गत विभाग द्वारा सृजित 64,577/-रुपये के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

10. फाईबर और जलवस्त्र के लिए प्राप्त अनुदान से गबन का आरोप पूर्व अध्यक्ष ने ईपीसीईएस सचिवालय में शिकायत दर्ज करके लगाया है परिषद का उत्पन्न विवाद है, इस विवाद के संबंध में मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट परिषद को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

11. इस समय, परिषद के केवल दो विधिक मामले लंबित हैं जिसमें से एक मामला (डा. विनय शर्मा बनाम ईपीसीईएस एवं अन्य) 7 सितम्बर, 2019 को सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया गया है और अन्य मामले (ईपीसीईएस बनाम पी. पी. जौहरी एवं अन्य) की अगली सुनवाई 9 दिसम्बर, 2019 को होगी।

12. परिषद को परिषद के सचिवालय के नाम पर सीआरपीसी की धारा 91 के अंतर्गत एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें मेले के विवरण के बारे में पूछा गया है। इसका सचिवालय ने समर्थनकारी दस्तावेज लगाते हुए विधिवत उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। इस मामले की मौजूदा स्थिति ज्ञात नहीं है।

13. परिषद ने 5,28,015/-रुपये का पूर्वावधि व्यय उपार्जित किया है जिसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

14. पिछले वर्ष के आंकड़ों को, मौजूदा वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्समूहित अथवा पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते **ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कंपनी**
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000038एन

कृते **और परिषद की ओर से**

ह./-
के. एन. गुप्ता
भागीदार
एम सं. 009169

ह./-
आनन्द गिरि
उप-महानिदेशक

ह./-
भुवनेश सेठ
उपाध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.09.2019

ईपीसीईएस ने अपनी एसईजेड यूनिट के सदस्यों के साथ फरवरी, 2019 माह में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 में प्रतिभागिता की जिसका उद्देश्य एवं मुख्य लक्ष्य सभी पक्षों में कुशल कामगारों की भारी उपलब्धता प्रदान करना, बड़े पैमाने पर उत्पादन, खाद्य उत्पादों का प्रसंस्करण एवं उसकी पैकेजिंग, हमारे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की बराबरी करना, साझा सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए कार्यनीतियां विकसित करना आदि पर विचार करना था। यह बैठक निर्यातकों द्वारा अधिक निर्यात करने पर आगामी नीति तैयार करने के लिए देश के सभी प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई।

32. सदस्यता स्थिति

वर्ष 2018-19 के दौरान परिषद को 2703 यूनिटों से सदस्यता शुल्क प्राप्त हुआ था।

क्षेत्रवार सदस्यता का विवरण निम्नलिखित है :

क्र.सं.	क्षेत्र	ईओयू	एसईजेड	विकासकर्ता	नए सदस्य	कुल सदस्यता इकाइयां
1	कोचीन एसईजेड	59	318	41	122	540
2	फाल्टा एसईजेड	14	56	7	5	82
3	कांडला एसईजेड	41	209	20	62	332
4	एमईपीजेड-एसईजेड	126	259	35	60	480
5	नोएडा एसईजेड	43	320	26	60	449
6	सीप्ज-एसईजेड	44	190	22	98	354
7	विशाखापत्तनम एसईजेड	57	315	39	55	466
कुल		384	1667	190	462	2703

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के दिनांक 21.02.2019 के पत्र संख्या के 3312(13)/2/2018-एसईजेड के अनुसार नए [illegible] के गठन होने तक वर्ष 2018-19 के लिए ईपीसीईएस की संशोधित केंद्रीय शासी परिषद गठित की गई है :

क्षेत्र		ईओयू		एसईजेड इकाई		एसईजेड विकासकर्ता		क्षेत्रीय अध्यक्ष
कोचीन ईजेड	1	रिक्त	2	रिक्त	3	रिक्त	4	[ईओयू] श्री जोजी जोसेफ, [illegible] लिमिटेड, [illegible], [illegible] रोड, [illegible], [illegible] [illegible], कोचीन, केरल मोबाइल : [illegible] दूरभाष : 0484-[illegible], [illegible] फैक्स: 0484-[illegible], ई-मेल: [illegible]
फाल्टा ईजेड	5	रिक्त	6	श्री कृष्ण कुमार [illegible], निदेशक (वित्त), [illegible] लिमिटेड "[illegible] हाउस", [illegible], कोलकाता-[illegible] दूरभाष: 033-[illegible] फैक्स: 033-[illegible] ई-मेल: [illegible]	7	श्री अमित [illegible], निदेशक [illegible] कोलकाता 10वां तल [illegible] टॉवर, गुड़गांव हरियाणा मोबाइल: [illegible] ई-मेल: [illegible]	8	[एसईजेड] श्री अभिषेक [illegible], कोलकाता आईटी पार्क, [illegible] प्रा.लि., 12, [illegible], कोलकाता-700 017 दूरभाष: 033- [illegible] फैक्स: 033-[illegible] ई-मेल: [illegible] [illegible]
कांडला ईजेड	9	रिक्त	10	रिक्त	11	रिक्त	12	[ईओयू] रिक्त
[illegible] ईजेड	13	श्री टी डी [illegible], प्रबंध निदेशक, [illegible] प्रा.लि., [illegible], [illegible] रोड, [illegible], कोयम्बटूर-[illegible]	14	रिक्त	15	श्री सुनील [illegible], प्रबंध निदेशक, [illegible] [illegible] लिमिटेड, [illegible], चेन्नई-[illegible] ई-मेल: [illegible] [illegible]	16	[ईओयू] रिक्त
[illegible] ईजेड	17		18	श्री सुनील पुरी, निदेशक [illegible] प्रा.लि., बी-[illegible], [illegible], नई दिल्ली मोबाइल: [illegible] ई-मेल: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	19	रिक्त	20	[ईओयू] श्री [illegible], प्रबंध निदेशक [illegible] प्रा. लिमिटेड, [illegible], [illegible], [illegible] रोड, [illegible], जिला सोनीपत, हरियाणा - 131028 दूरभाष: 0130-2219644, 2219642 फैक्स: 0130-2219642 मोबाइल : 9811224444 ई-मेल: [illegible] [illegible]
सीप्ज़	21		22	श्री पी डी [illegible] निदेशक ([illegible])	23	श्री [illegible] हीरानन्दानी [illegible]	24	[ईओयू]

				[illegible] इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड 21/2 [illegible] रोड [illegible], पुणे-411 0[illegible] दूरभाष : 020-[illegible], मोबाइल : 98230[illegible] फैक्स : 020-[illegible] ई-मेल : [illegible]		(एसईजेड) [illegible] लिमिटेड, [illegible], हीरानंदानी बिज़नेस पार्क, पोवई, मुंबई-400076 दूरभाष : 022-2576[illegible] फैक्स : 022-2576[illegible] ई-मेल : [illegible]		रिक्त
[illegible]	25	श्री [illegible] निदेशक [illegible] इंडिया प्रा. लिमिटेड, प्लॉट सं. [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] मोबाइल: [illegible] ई-मेल: [illegible]	26	रिक्त	27	श्री [illegible], निदेशक, [illegible] प्रा.लि., प्लॉट सं. [illegible], रोड सं.[illegible], [illegible], हैदराबाद-500 [illegible] मोबाइल: [illegible] दूरभाष: 040-[illegible] ई-मेल: [illegible]	28	[एसईजेड] श्री [illegible] वरिष्ठ [illegible] [illegible] [illegible] लिमिटेड, [illegible] सं. 129, 130, 131 तथा 132 [illegible] [illegible], [illegible] मंडल हैदराबाद- 500 019 दूरभाष : +91-40-[illegible] ई-मेल [illegible] मोबाइल : [illegible]

विकास आयुक्त 29. **श्री [illegible] सिंह, आईएएस** विकास आयुक्त सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400 096 दूरभाष : 022-28290856 / 143 फैक्स: 022-28291385 ई-मेल : [illegible] 30. **डॉ. एल.बी. सिंघल,** विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा दादरी रोड, फेज II नोएडा (उ.प्र.) 201 305 दूरभाष : 0120-2567270-74, 3023444-46 फैक्स: 0120-2562314, 2567276 ई-मेल : [illegible] 31. **श्री [illegible]** विकास आयुक्त फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र दूसरा [illegible], [illegible], निज़ाम पैलेस, कोलकाता- 700 020 दूरभाष: 033-22813117 फैक्स: 033-22877923 ई-मेल: [illegible]	**भारत सरकार के प्रतिनिधि** 36. **श्री [illegible], आईआरएस** निदेशक(एसईजेड) एवं महानिदेशक, ईपीसीईएस, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110 011 दूरभाष : 011-23062109 ई-मेल : [illegible] 37. सुश्री [illegible] निदेशक (आईटीए-I), सीबीडीटी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दूरभाष : 011-23092107 Mobile: [illegible] ई-मेल : [illegible] **बी.आरबीआई सहायक** 38. श्री पंकज जैन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप, [illegible] बिल्डिंग, नई दिल्ली दूरभाष: 23748714, ([illegible]) ई-मेल: [illegible] [illegible]	43. **श्री जय करन सिंह** संयुक्त डीजीएफटी विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली दूरभाष : 23062225 ई-मेल : [illegible] 44. **श्री के. [illegible]** संयुक्त सचिव (ईपी) विदेश मंत्रालय, जवाहर लाल नेहरू भवन, 23-डी, जनपथ, नई दिल्ली - 110001 45. **डा. ए. के. त्रिपाठी,** [illegible] नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ब्लॉक 14, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली दूरभाष : 24363036 फैक्स: 24363035 ई-मेल: [illegible] 46. **श्री [illegible],** [illegible], [illegible],

12. **डॉ. अमिय चन्द्र**
विकास आयुक्त,
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र
प्रशासनिक भवन,
गांधीधाम, कच्छ- 370 230
दूरभाष : 02836-252475, 253300
फैक्स: 02836-252250
ई-मेल : dc.kasez-gj@gov.in
kandlasez@gmail.com

13. **श्री एस के एम सुन्दरम, आईएएस**
विकास आयुक्त,
एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र,
तम्बरम, चेन्नई
दूरभाष : 044-22628232 / 20
फैक्स: 044-22628218
ई-मेल: dc@mepz.gov.in

14. **श्री ए. सीताराम रेड्डी**
विकास आयुक्त
विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र
दुव्वाडा विशाखापत्तनम- 530049
दूरभाष : 0891-2708235
फैक्स: 0891-2587352
ई-मेल : devcomm.vsez@gov.in
dc@vsez.gov.in, info@vsez.gov.in

15. **श्री एम. के. एम. सुन्दरम, आईएएस,**
विकास आयुक्त
(अतिरिक्त प्रभार)
कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र
काक्कनाड कोचीन- 682 030
दूरभाष : 0484-2556676
फैक्स: 0484-2413074
ई-मेल : dc@csez.gov.in,
mail@csez.gov.in

39. **श्री के. वी. माधन**
केपीएमजी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड,
ओल्ड नं.21, नया नं.36, लक्ष्मण स्ट्रीट,
महालिंगपुरम, चेन्नई-600034
दूरभाष : 044-45572620
(मो.) 09840920247Fax: 044-24311450
ई-मेल: kvmadhan@gmail.com

40. **श्री विवेक मेहरा**
कार्यकारी निदेशक/पार्टनर
प्राइस वाटर हाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड
बिल्डिंग नं 10, टॉवर सी
डीएलएफ साइबर सिटी,
गुड़गांव हरियाणा-122 002
दूरभाष : 0124-3306000 (M) 9811068118
ई-मेल: vivek.mehra@in.pwc.com

41. **श्री एस. के. मेहरा**
संयुक्त निदेशक (ईपी),
निर्यात संवर्धन महानिदेशालय,
सीबीईसी, राजस्व विभाग,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार,
प्रथम तल, होटल जनपथ, नई दिल्ली- 110 001
दूरभाष : 011-23344615
फैक्स : 011-23344614
ई-मेल : dgep@indiatimes.com

42. **श्री वायला रंगनूज,**
उप-सचिव,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन,
रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110 001
दूरभाष : 23737510
फैक्स: 23737510
ई-मेल: vayaila.r@nic.in

निगम लिमिटेड,
मोहन देव, छठा तल,
टॉलस्टाय मार्ग, कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110001,
टेली : (011) 4152 9912-16 / 19 – 21
फैक्स: (011) 4152 9918
ई-मेल : nm@negc.in

47. **श्री रजनीश अग्रवाल,**
निदेशक,
सॉफ्टवेयर टेक्नालोजी
पार्क्स ऑफ इंडिया
गंगा साफ्टवेयर टेक्नालोजी काम्प्लेक्स
सेक्टर – 29, नोएडा- 201303
दूरभाष: 0120-2470502
फैक्स: 0120-2470403
ई-मेल: rani@stpi.in

48. **श्री अनंत दास,**
महाप्रबंधक,
भारत व्यापार संवर्धन संगठन,
प्रगति भवन, प्रगति मैदान,
नई दिल्ली-110001
दूरभाष: 23370929
फैक्स: 23371673
ई-मेल: jd@itpo-online.com

भारत में ईपीसीईएस के क्रियाकलाप

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ईपीसीईएस आपकी सेवा में

ईओयू एवं एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
8जी, हंसालय भवन, 15 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
दूरभाष: 23329766-69 फैक्स सं. 011-23329770
ई-मेल : epcesho@gmail.com वेबसाइट: www.epces.in

कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रशासनिक भवन, काक्कनाड, कोच्चि- 37 केरल दूरभाष : 0484-2413312 मोबाइल : **9847034862** ई-मेल : rdcsez@epces.org	**फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र** क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, दूसरा एमएसएमई भवन, चौथा तल, निज़ाम प्लेस, कोलकाता – 700 020 मोबाइल : **09007508189** ई-मेल: rdfsez@epces.org
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस **कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र,** 13-ए, प्रशासनिक भवन, गांधीधाम, कच्छ-370 230 (गुजरात)	**एमईपीज़ेड विशेष आर्थिक क्षेत्र** क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस एमईपीज़ेड – विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रशासनिक कार्यालय भवन, तम्बरम, चेन्नई – 600 045 मोबाइल : **9840796403** ई-मेल: rdmepz@epces.org
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रथम तल, प्रशासनिक ब्लॉक, नोएडा दादरी रोड फेज- II, नोएडा – 201 305 (उत्तर प्रदेश) मोबाइल : **9810448119** ई-मेल : rdnsez@epces.org	**सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र** क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यालय सं. 3, तृतीय तल, व्यवसाय सुविधा केंद्र, सीप्ज़ – एसईज़ेड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096 (महाराष्ट्र) मोबाइल : **9870211174** ई-मेल : rdseepz@epces.org
विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र क्षेत्रीय निदेशक, ईपीसीईएस **विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र** दूसरा तल, प्रशासनिक भवन, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र, दुव्वाडा, विशाखापत्तनम -4 मोबाइल : **9866176962** ई-मेल: rdvsez@epces.org	**सीएसईज़ेड ईपीसीईएस बंगलौर ऑफिस** क्षेत्रीय निदेशक – बंगलौर (सीएसईज़ेड) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र संख्या -120-बी ईपीआईपी , [illegible], सीएसईज़ेड कार्यालय, व्हाइटफील्ड, बंगलौर **-560066** मोबाइल : **09449066447** ई-मेल: **rdbangalore@epces.org**